गुरूवार, 21 नवंबर, 1996

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(ग्यारहवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

लोक सभा के दिनांक 21 नवम्बर, 1996 के वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि पत्र

....

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
1	5	श्री लाल मुनी चौवे	श्री लालमुनी चौबे
2	नीचे से 4	आई	आइये
61	2	श्री महबूब जहेडी	श्री महबूब जहेदी
81	19	श्री पी·आर·दासमंशी	श्री पी·आर·दासमुंशी
143	प्रश्न सं· 268	श्री दादा बाबूराव पारांजये	श्री दादा बाबूराव परांजपे
145	प्रश्न सं· 270	श्री एस·डी·आर·वाडियार	श्री एस·डी·एन·आर·वाडियार
150	नीचे से 18	संसदीय कार्यमंत्री	संसदीय कार्य मंत्री
160	प्रश्न सं· 294	श्री संदीपन थोरात	श्री संदीपान थोरात
177	प्रश्न सं· 315	श्री बी·एस·गढ़वी	श्री पी·एस·गढ़वी
227	1	पयेजल	पेयजल

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 6, तीसरा सत्र, 1996/1918 (शक)
अंक 2, गुरूवार, 21 नवम्बर, 1996/30 कार्तिक, 1918 (शक)

विषय		कालम
मारीशस के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत		1
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	21 से 40	3—39
अतारांकित प्रश्न संख्या	157 से 386	40—227
सभा पटल पर रखे गये पत्र		228—233
विधेयकों पर अनुमति		234
संचार संबंधी स्थायी समिति		
चौथा प्रतिवेदन—**प्रस्तुत**		234—235
संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक के बारे में संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाये जाने के बारे में प्रस्ताव—**स्वीकृत**		235
विधेयक—**पुरःस्थापित**		
दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक		236

लोक सभा

गुरूवार, 21 नवम्बर, 1996/30, कार्तिक, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, आज मामला गंभीर है।...**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : आप जरा बैठिये।...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : विदेशी मेहमान आए हुए हैं, उनका परिचय कराना है, आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

मॉरीशस के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, सर्वप्रथम मुझे एक घोषणा करनी है मुझे अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से भारत की यात्रा पर आए माननीय अतिथियों मारीशस की नेशनल असेम्बली के अध्यक्ष सर रमेश जीवूलाल, लेडी जीवूलाल तथा मारीशस के संसदीय शिष्टमंडल के अन्य माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

शिष्ट मंडल के अन्य सदस्य हैं :-

1. माननीय हरवे दुवल
2. माननीय गोविन्द्रानाथ गिनीस
3. माननीय येसदेव जीलाल
4. माननीय जीलान्नी पीरून
5. माननीय (श्रीमती) ऐनी मैरी पैरियर
6. माननीय राजमन राम प्रसाद

शिष्टमंडल 20 नवम्बर, 1996 को दिल्ली पहुंचा। वे इस समय विशेष कक्ष में बैठे हैं। हम अपने देश में उनके सुखद और लाभप्रद प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम मारीशस के महामहिम राष्ट्रपति, वहां की संसद और मित्र जनता को बधाई तथा शुभकामनायें भेजते हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई-उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्नकाल स्थगित करने की सूचना दी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 21।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने संविधान की हत्या की है।

[अनुवाद]

संविधान और लोकतंत्र की नृशंस हत्या हुई है।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : उत्तर प्रदेश में संयुक्त मोर्चा की सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है, संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं और सारा संविधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बने इसके लिए उपयोग में लाने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी से हारा हुआ व्यक्ति वहां निर्णय के लिए बैठा है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस प्रकार का षडयंत्र देश में रचा जा रहा है। मैं आपसे मांग करता हूं कि आप प्रश्नकाल को स्थगित करिये और हमने काम रोको प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की स्थिति पर और वहां के राज्यपाल के व्यवहार पर दिया है। आप पहले इस पर विचार करें और बाद में प्रश्नकाल कराएं। ...**(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण-दिल्ली) : मान्यवर, यह बात गंभीर है।...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान ग्रहण कीजिए। मुझे कुछ कहने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान ग्रहण कीजिए।

जहां तक कि आन्ध्र प्रदेश में आए चक्रवात का संबंध है, संबंधित मंत्री वहां पहले ही दौरे के लिए जा चुके हैं। वे वापस आने पर 26 तारीख को अपना एक वक्तव्य देंगे। आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हमने इस मामले पर 26 तारीख को नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करने का निर्णय लिया है। अतः, यह मामला यही समाप्त होता है।

जहां तक कि उत्तर प्रदेश की स्थिति का संबंध है, यदि आप आज की कार्य सूची देखें तो आप देखेंगे कि क्रम संख्या 18 के अन्तर्गत इस मामले पर गृह मंत्री एक वक्तव्य देने जा रहे हैं। वे उस समय इस मामले पर चर्चा करेंगे।.

आई अब प्रश्न काल आरंभ करें।

प्रश्न संख्या 21 – श्री दत्ता मेघे – अनुपस्थित

प्रश्न संख्या 22 – श्री शिवराज सिंह चौहान

(व्यवधान)

डा. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, यह दो भिन्न मुद्दे हैं।

[हिन्दी]

ये दोनों अलग अलग मसले हैं।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

इस समय, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री और कुछ अन्य सदस्य आए और सभापटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 12 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

बाल श्रमिक

***21. श्री दत्ता मेघे :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार बाल श्रमिकों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितने बाल श्रमिक खतरनाक उद्योगों में कार्यरत हैं; और

(ग) सरकार द्वारा विशेष रूप से खतरनाक उद्योगों में बाल श्रमिकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ख). 1981 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कामकाजी बालकों की संख्या 13.6 मिलियन थी। कामकाजी बालकों का राज्यवार वितरण निम्नलिखित हैं।

1.	आंध्र प्रदेश	1,951,312
2.	अरुणाचल प्रदेश	17,950
3.	असम	उ.न.
4.	बिहार	1,101,764
5.	गोवा	9,378
6.	गुजरात	616,913
7.	हरियाणा	194,189
8.	हिमाचल प्रदेश	99,624
9.	जम्मू और कश्मीर	258,437
10.	कर्नाटक	1,131,530
11.	केरल	92,854
12.	मध्य प्रदेश	1,698,597
13.	महाराष्ट्र	1,557,756
14.	मणिपुर	20,217
15.	मेघालय	44,916
16.	मिजोरम	6,314
17.	नागालैंड	16,235
18.	उड़ीसा	702,293
19.	पंजाब	216,939
20.	राजस्थान	819,605
21.	सिक्किम	8,561
22.	तमिलनाडु	975,055
23.	त्रिपुरा	24,204
24.	उत्तर प्रदेश	1,434,675
25.	पश्चिम बंगाल	605,263
26.	अंडमान व निकोबार	1,309
27.	चंडीगढ़	1,986
28.	दादर व नगर हवेली	3,615
29.	दमण और दीव	उ.न.
30.	दिल्ली	25,717
31.	लक्षद्वीप	56
32.	पांडिचेरी	3,606

1987-88 में किए गए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 43वें दौर के अनुसार कामकाजी बालकों की कुल संख्या 17.02 मिलियन थी। अतः यह अनुमान है कि वर्तमान में लगभग 20 मिलियन कामकाजी बालक होंगे। बाल श्रम का एक बड़ा भाग कृषि और तत्सम्बद्ध रोजगारों में लगा हुआ है जिसमें घर आधारित व्यवसाय भी है। कुल बाल श्रम जनसंख्या में से, लगभग 2 मिलियन बालकों के जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कार्य करने का अनुमान है। 1991 की जनसंख्या के अनुसार कामकाजी बालकों के बारे में आंकड़े महापंजीयक के कार्यालय द्वारा अभी जारी किए जाने हैं।

(ग) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत, इस अधिनियम की अनुसूची के भाग अ और ब में वर्णित सात व्यवसायों और अठारह प्रक्रियाओं में बाल श्रम का नियोजन प्रतिषिद्ध है। प्रतिषिद्ध व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बालकों को नियोजित करने वाले नियोजकों के विरूद्ध अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन चलाया जा सकता है। विभिन्न उपबंधों के प्रवर्त्तन का दायित्व मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। केन्द्रीय

सरकार इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के कड़ाई से प्रवर्तन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों पर जोर देती रही है। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत उपबंधों के अलावा, कामकाजी बालकों के हित की रक्षा करने के लिए विभिन्न अन्य श्रम कानूनों में अन्य संरक्षात्मक कानूनी उपबंध विहित है।

[अनुवाद]

डाक और तार कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

***22. श्री शिवराज सिंह :**

श्री प्रदीप भट्टाचार्य :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार विभाग के समूह "ग" और "घ" कर्मचारियों द्वारा हाल ही में हड़ताल की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण थे;

(ग) क्या सरकार और कर्मचारियों के बीच कोई समझौता हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस हड़ताल के कारण सरकार को कुल कितना घाटा हुआ;

(च) हड़ताल के दौरान जमा हुई डाक के वितरण हेतु क्या कदम उठाये गये हैं और अब तक इस जमा हुई डाक में से कितनी वितरित की जा चुकी है; और

(छ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख). डाक और दूरसंचार विभाग के ग्रुप "ग" और "घ" कर्मचारी तथा अतिरिक्त विभागीय डाक एजेंट 23 अक्तूबर, 1996 को प्रातः 6 बजे से हड़ताल पर चले गए थे और वे 29 अक्तूबर, 1996 तक हड़ताल पर रहे। उनकी मांगें थीं (क) इन विभागों में ग्रुप "ग" और "घ" के सभी कर्मचारियों को बोनस देने के लिए पात्रता सीमा को समाप्त करना, और (ख) डाक कर्मचारियों के लिए परियात पर आधारित औचित्यसम्मत बोनस की मंजूरी तथा दूरसंचार कर्मचारियों को संशोधित फार्मूले के अनुसार पूरे बोनस का भुगतान।

(ग) और (घ). जी नहीं। तथापि, डाक और दूरसंचार कर्मचारी फेडरेशनों तथा एसोसिएशनों ने 30 अक्तूबर, 1996 को औपचारिक रूप से हड़ताल वापस ले ली। इससे पूर्व, सरकार ने ऐसे विभागों के ग्रुप "ग" और "घ" के सभी कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़ा बोनस देने का निर्णय लिया था, जहां ऐसा बोनस दिया जा रहा है।

(ङ) जहां तक डाक और दूरसंचार विभाग का संबंध है, सरकार को लगभग 40.6 करोड़ रुपये के कुल अनुमानित राजस्व की हानि हुई।

(च) हड़ताल के दौरान जमा हुई डाक के निपटान के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारियों को क्षेत्रों में सामान्य स्थिति की बहाली पर नजर रखने के लिए नियुक्त किया गया और निर्धारित लक्ष्य की अवधि तक जमा हुई डाक का निपटान सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत अनुदेश जारी किए गए। जमा हुई डाक का अब पूरी तरह निपटान कर दिया गया है।

(छ) कर्मचारी प्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच विचार-विमर्श की मौजूदा यवस्था का भरपूर उपयोग करना जारी रखा जाएगा और जैसा कि आश्वासन दिया गया है, मुख्य मतभेदों/विवादों का निवारण करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाएंगे।

[हिन्दी]

इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर आग लगने की दुर्घटना

***23. श्री कचरु भाऊ राउत :**

श्री सन्तोष कुमार गंगवार :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर हाल ही में हुई आग लगने की दुर्घटना से कितनी अनुमानित हानि हुई है;

(ख) इस हानि को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इस दुर्घटना के क्या कारण हैं तथा इसके लिए कौन-कौन से व्यक्ति जिम्मेदार हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच समिति गठित की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति के विचारार्थ विषय क्या है;

(च) क्या सरकार उक्त समिति में शामिल सदस्यों के बारे में हुई आम आलोचना से अवगत है;

(छ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ज) क्या उक्त पांच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ञ) यदि नहीं, तो समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

नागर विमान मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हुई अनुमानित क्षति लगभग 11 करोड़ रुपए थी।

(ख) बीमा कंपनी मै. दी ओरियन्टल इन्श्यूरेंस कम्पनी लि. नई दिल्ली को दावे दाखिल कर दिये गये हैं।

(ग) से (ङ). एक जांच समिति का गठन किया गया है जिसमें श्री एस.के. घेरी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, दिल्ली अग्नि शमन सेवा, श्री शारदा प्रसाद, अपर आयुक्त, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, श्री जे.एन. भवानी प्रसाद, मुख्य अभियन्ता (ई.), सी.पी.डब्ल्यू.डी. तथा श्री ए.के. चारी, मुख्य अभियन्ता (ई.एण्ड एम.) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण शामिल हैं; इस जांच समिति को निम्नलिखित कार्य सौंपा गया है :-

1. दिनांक 30-10-1996 की सुबह इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टर्मिनल 1ए में लगी आग के कारण का पता लगाना।
2. आग फैलने के कारण।
3. आग का पता लगाने और बुझाने की प्रणालियों की उपलब्धता, पर्याप्तता तथा उपयोग।
4. आग को फैलने से रोकने तथा संवदेनशील संस्थापनों की सुरक्षा के लिए किए गए उपाय।
5. क्षीति के परिमाण का जायजा लेना।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) से (ञ). समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट 30-11-96 तक प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

[अनुवाद]

न्यूनतम मजदूरी

***24. श्री रूप चन्द पाल :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार असंगठित क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है कि न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि करने संबंधी निर्णय पर नियोक्ताओं द्वारा सख्ती से अमल किया जाये?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग). न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन राज्य और केन्दीय सरकार दोनों ही अपने क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले अनुसूचित रोजगारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों का निर्धारण/संशोधन करने के लिए समुचित सरकारें हैं। तथापि, अनुसूचित रोजगार का एक बड़ा भाग राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है और केन्द्रीय सरकार केवल 40 अनुसूचित रोजगारों के लिए जिम्मेदार है। अधिनियम में मजदूरी की न्यूनतम दरों का आवधिक संशोधन किए जाने की व्यवस्था की गयी है जो कि पांच वर्षों से अधिक के अंतराल में न हो। तथापि, श्रम मंत्रियों के सम्मेलन, भारतीय श्रम सम्मेलन आदि जैसे विभिन्न मंचों/निकायों ने विगत में इस अवधि को कम किए जाने की सिफारिश की है। इन सिफारिशों को राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संसूचित कर दिया गया है। केन्द्रीय क्षेत्र में कृषि में रोजगार के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों को पिछली बार 12.8.92 को संशोधित किया गया था, 39 अन्य अनुसूचित रोजगारों, जो कि मुख्यतः खनन निर्माण और रेलवे क्षेत्रों से संबंधित हैं, के लिए इनमें पिछली बार 12.7.94 को संशोधन किया गया था। न्यूनतम मजदूरी के हिस्से के रूप में परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के आधार पर प्रत्येक छः माह के अंतराल में संशोधन किया जाता है। परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते में पिछली बार संशोधन 1.10.96 से किया गया था।

अधिनियम में अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रवर्तन तंत्र को गठित किए जाने के लिए भी व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय क्षेत्र में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का प्रवर्तन केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के अधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। ये अधिकारी अधिनियम के अधीन प्रतिष्ठानों का नियमित और आवधिक निरीक्षण करते हैं और जब कभी अधिनियम के उल्लंघन की कोई सूचना प्राप्त होती है, तो जरूरी कार्रवाई करते हैं। इसी तरह से राज्यों के पास भी एक व्यापक और निचले स्तर का प्रवर्तन इन्फ्रास्ट्रक्चर हैं। केन्द्रीय सरकार समय समय पर राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को सलाह देती रहती है कि वे अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन को और प्रभावी बनाने के लिए अनेक प्रकार के कदम उठाएं।

अन्तरराष्ट्रीय विमान यात्रियों के लिए नई योजना

***25. श्री अजमीरा चन्दूलाल :**

श्री के.पी. नायडू :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ी संख्या में अन्तरराष्ट्रीय विमान यात्रियों को आकर्षित करने के लिए एयर इंडिया द्वारा तैयार की जाने वाली नई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) अतिरिक्त क्षमता का सृजन करने तथा और अधिक उड़ानें शुरू करने के लिए विमानों की संख्या बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) एयर इंडिया द्वारा समय-समय पर यात्रियों को आकृष्ट करने के लिए योजनाएं शुरू की जाती हैं। इस समय विद्यमान ऐसी कुछ योजनाएं हैं :-

(1) चुनींदा मार्गों पर प्रथम तथा एक्जिक्यूटिव श्रेणी के यात्रियों के लिए किसी साथी को निःशुल्क ले जाने की पेशकश ।

(2) फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्यक्रम।

(3) उन सभी यात्रियों पर लागू लक्की ड्रा स्कीम जो अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत में एयर इंडिया की टिकटें खरीदते हैं।

(4) चुनींदा मार्गों पर विशेष किराए की पेशकश।

(ख) एयर इंडिया ने क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से अपने बेड़े के नवीकरण की योजना के अंग के रूप में, अक्तूबर-नवम्बर, 1996 के दौरान 2 बोइंग 747-400 विमानों की खरीद की है। एयर इंडिया की नौंवी योजना अवधि के दौरान अपने बेड़े का नवीकरण जारी रखने की योजना है।

हवाई यातायात को नियंत्रित करने की योजना

*26. **श्री पंकज चौधरी :**

श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बढ़ते हुए हवाई यातायात को नियंत्रित करने की एक दीर्घकालिक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक उक्त योजना लागू किए जाने की संभावना है तथा किन-किन हवाई अड्डों पर यह लागू की जायेगी?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भारतीय वायु क्षेत्र में बढ़ते विमान यातायात को हैण्डल करने तथा तदनुरूप स्थलीय आधारसंरचनात्मक सुविधाओं जैसे टर्मिनल भवन, धावनपथ, एप्रन आदि का स्तरोन्नयन करने की योजनाएं तैयार की हैं।

(ख) और (ग). जिन स्कीमों का क्रियान्वयन हो रहा है/क्रियान्वयन करने की योजना है तथा जिस समय-सीमा तक इनके क्रियान्वित हो जाने की संभावना है, उनका विवरण I और II संलग्न है।

विवरण-I

अंतर्देशीय विमानपत्तनों पर विमान यातायात और एरोड्रम सुविधाओं को हैंडल करने के लिए योजना (टर्मिनल भवन परिसर)

क्र. सं.	विमानपत्तन	कार्य का स्वरूप	टर्मि. भवन की मौजूदा क्षमता	टर्मि. भवन की बढ़ी हुई क्षमता	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)	काम परा होने की संभावित तारीख	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अगरतला	टर्मिनल भवन का विस्तार और संवर्धन	200	500	18.11	काम शुरू होने की तारीख से 18 माह में	अनुमोदन की स्थिति में
2.	अमृतसर	टर्मिनल भवन का विस्तार	(i) अंतर्देशीय ब्लाक (ii) अंतरराष्ट्रीय ब्लाक	अंतर्देशीय 400 अंतर्राष्ट्रीय 300	तैयार किए जा रहे हैं 46.57	काम शुरू होने की तारीख से 18 माह में	योजना बनाई जा रही है
3.	औरंगाबाद	नये टर्मिनल भवन का निर्माण	200	अंतर्देशीय 500 अंतरराष्ट्रीय 600		काम शुरू होने की तारीख से 30 माह में	मुंजरी के लिए ओ. ईसीएफ जापान को प्रस्ताव प्रस्तुत
4.	आगरा	टर्मिनल भवन का विस्तार	150	500	10.24	दिस., 97	
5.	बंगलौर	नये समेकित आगमन हाल का निर्माण	700	2000	13.69	दिस., 98	

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	बागड़ोगरा	नये टर्मिनल भवन का निर्माण	200	500	11.43	काम शुरू होने की तारीख से 30 माह में	काम दे दिया गया है।
7.	भोपाल	टर्मिनल भवन का विस्तार और संवर्धन	100	500	3.38	अक्तू., 97	
8.	भुवनेश्वर	नये टर्मिनल भवन का निर्माण	200	500	13.42	मार्च, 97	
9.	भुज	नये टर्मिनल भवन का निर्माण	100	500	तैयार किए जा रहे हैं	काम शुरू होने की तारीख से 30 माह में	योजना बनाई जा रही है
10.	कालीकट	टर्मि. भवन का विस्तार और नये अंतर्राष्ट्रीय ब्लाक का निर्माण	600	1000	6.01	पूरा हो गया	
11.	कोयम्बतूर	नये टर्मिनल भवन का निर्माण	100	500	4.15	पूरा हो गया	
12.	दीमापुर	नये टर्मिनल भवन का निर्माण	100	500	9.65	मार्च, 97	
13.	गोवा	नये टर्मिनल भवन का विस्तार नये अंतर्राष्ट्रीय ब्लाक का निर्माण	400	1500	11.85	अंतरराष्ट्रीय अंतर्देशीय	पूरा हो गया मार्च, 97
14.	गुवाहाटी	टर्मिनल भवन का विस्तार	400	1500	12.45	आगमन हाल पूरा हो गया	
15.	हैदराबाद	अंतरराष्ट्रीय ब्लाक का निर्माण टर्मिनल भवन का विस्तार	750	3000	43.60	अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल ब्लाक पूरा हो गया अंतर्देशीय ब्लाक दिसम्बर, 97	
16.	इंफाल	टर्मिनल भवन का विस्तार	300	600	14.79	मार्च, 99	
17.	इंदौर	टर्मिनल भवन का विस्तार	250	500	7.92	दिसंबर, 96	
18.	जयपुर	टर्मिनल भवन का विस्तार और संवर्धन	200	500	5.91	पूरा हो गया	
19.	जोधपुर	टर्मिनल भवन का विस्तार	100	400	7.63	मार्च, 97	
20.	कारगिल	30 सीटर विमान के लिए नये विमानपत्तन का निर्माण	–	100	18.69	दिसम्बर, 98	
21.	लखनऊ	टर्मिनल भवन का विस्तार	100	750	14.98	पूरा हो गया	
22.	लुधियाना	टर्मिनल भवन का विस्तार	50	100	1.07	दिसम्बर, 97	
23.	नागपुर	नये टर्मिनल भवन का निर्माण	100	750	10.98	पूरा हो गया	
24.	उत्तरी लखीमपुर	नये टर्मिनल भवन का निर्माण	100	500	14.47	काम शुरू होने की ता. से 32 माह में	काम दे दिया गया
25.	पटना	टर्मिनल भवन का विस्तार और संवर्धन	200	500	6.08	मार्च, 97	
26.	पोर्टब्लेयर	नये टर्मिनल भवन का निर्माण	200	500	18.87	काम शुरू होने की ता. से 30 माह में	अनुमोदन की स्थिति
27.	पोरबंदर	नये टर्मिनल भवन का निर्माण	50	200	6.52	काम शुरू होने की ता. से 18 माह में	
28.	रायपुर	टर्मिनल भवन का विस्तार और संवर्धन	100	400	8.55		

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	सिल्चर	टर्मिनल भवन का विस्तार और संवर्धन	100	300	3.38	दिसम्बर, 97	
30.	तेजपुर	नये टर्मिनल भवन का निर्माण	50	400	18.60	काम शुरू होने की ता. से 30 माह में	काम दिया जा रहा है
31.	तिरूपति	टर्मिनल भवन का निर्माण तक. ब्लाक एवं नियंत्रण टार्वर	80	250	5.07	जनवरी, 98	
32.	विजयवाड़ा	टर्मिनल भवन का निर्माण	50	150	3.00	24 माह	निविदा आमंत्रित करना है।

विवरण–II

अंतर्देशीय विमानपत्तनों पर विमान यातायात और ऐरोड्रम सुविधाओं को हैंडल करने के लिए योजना (धावनपथ और सहायक पेवमेंट)

क्र. सं.	विमानपत्तन	कार्य का स्वरूप	अनुमानित लागत	काम पूरा होने की संभावित ता.	स्थिति (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5	6
1.	अहमदाबाद	धावनपथ को 9000 फुट से 11500 फुट तक बढ़ाना और सहायक कार्य	49.88	काम शुरू होने की तारीख से 24 माह में	आकलन बनाये जा रहे हैं
2.	औरंगाबाद	धावनपथ को 7500 फुट से 9000 फुट तक बढ़ाना और सहायक सुविधाओं स्तरोन्नयन	20.00	काम शुरू होने की तारीख से 30 माह में	योजना बनाई जा रही है
3.	अगरतला	भूमि अधिग्रहण और धावनपथ को 6000 फुट से 7500 फुट तक बढ़ाना तथा सहायक कार्य	40.00	–यथोपरि–	भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है
4.	भुवनेश्वर	धावनपथ को 9000 फुट तक बढ़ाना	12.62	दिसंबर, 98	काम चल रहा है
5.	कालीकट	धावनपथ को बढ़ाकर 9000 फुट तक करना	89.88	दिसम्बर, 99	काम चल रहा है
6.	कोयम्बतूर	धावनपथ को 7500 फुट से 9000 फुट तक बढ़ाना	30.00	काम शुरू होने की तारीख से 30 माह में	योजना बनाई जा रही है
7.	डिब्रूगढ़	धावनपथ का सुदृढ़ीकरण	9.14	नवम्बर, 96	काम पूरा होने वाला है
8.	दीमापुर	धावनपथ को 7500 फुट तक बढ़ाना	1.4	काम पूरा हो गया	
9.	गोवा (सी.ई.)	एप्रन का विस्तार	8.57	अक्तूबर, 97	काम चल रहा है
10.	गुवाहाटी	एप्रन का विस्तार	2.53	सितम्बर, 97	काम चल रहा है
		धावनपथ को 12000 फुट तक बढ़ाना और सहायक कार्य	52.00	काम शुरू होने की ता. से 30 माह में	भूमि अधिग्रहण चल रहा है
11.	इंदौर	धावनपथ को 5600 फुट से 7500 फुट तक बढ़ाना	7.93	दिसम्बर, 97	काम चल रहा है
12.	जम्मू (सी.ई.)	धावनपथ और सहायक पेवमेंटों का विस्तार भूमि अधिग्रहण सहित	13.00	काम शुरू होने की ता. से 2 वर्ष में	भूमि अधिग्रहण चल रहा है

1	2	3	4	5	6
13.	जयपुर	धावनपथ को 6000 फुट से 7500 फुट तक बढ़ना	4.59		काम चल रहा है
		धावनपथ को 7500 फुट से 9000 फुट तक बढ़ाना और मौजूदा पेवमेंटों को एबी-300 के लिए सुदृढ़ करना	20.00		
14.	जबलपुर	धावनपथ को 7500 फुट तक बढ़ाना और सुदृढ़ीकरण	25.00	काम शुरू होने की ता. से 24 माह में	निविदाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है
15.	मंगलौर	धावनपथ का 7500 फुट तक निर्माण	25.00	-यथोपरि-	भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है
16.	मदुरै	भूमि अधिग्रहण और धावनपथ को 6000 फुट से 7500 फुट तक बढ़ाना		-यथोपरि-	-यथोपरि-
17.	उत्तरी लखीमपुर	धावनपथ को 5400 फुट से 7500 फुट तक बढ़ाना और सहायक पेवमेंट	13.90	अगस्त, 98	काम चल रहा है
18.	पोर्टब्लेयर (सी.ई.)	धावनपथ को 6000 फुट से 11000 फुट तक बढ़ाना और सुदृढ़ीकरण	49.25	काम शुरू होने की ता. से 36 माह में	राज्य के लोकनिर्माण विभाग द्वारा काम शुरू कर दिया गया है
19.	रायपुर	धावनपथ की पुनःसतहलेपन और एप्रन का विस्तार	6.92	अगस्त, 97	काम चल रहा है
20.	तिरूपति	धावनपथ का 7500 फुट तक विस्तार और सुदृढ़ीकरण	18.66	काम पूरा हो गया	
21.	विजयवाड़ा	धावनपथ का सुदृढ़ीकरण	16.25	दिसम्बर, 97	काम फर., 97 में दिया जाएगा
22.	उदयपुर	धावनपथ को 7500 फुट तक बढ़ाना और सुदृढ़ीकरण	5.96	मार्च, 97	काम चल रहा है

[हिन्दी]

रेलगाड़ी का पटरी से उतरना

*27. **श्री दादा बाबूराव परांजपे :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 सितम्बर, 1996 को प्रातः 4.30 बजे खुराल और सागर रेलवे स्टेशनों के बीच अवस्थित सुमरेरी स्टेशन पर पहुंचते समय 1271 अब विंध्याचल एक्सप्रेस के एक सवारी डिब्बे के चार पिछले चक्के पटरी से उतर गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो जांच का ब्यौरा क्या है और जिम्मेदार पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई और इससे रेलवे को कितनी हानि हुई है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) 22.9.96 को 4.30 बजे मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल पर कटनी-बीना खंड के सुमरेरी स्टेशन पर 1271 विंध्याचल एक्सप्रेस के सवारी डिब्बे की एक ट्राली पटरी से उतर गई थी। इसमें कोई हताहत या घायल नहीं हुआ था।

(ग) और (घ). अधिकारियों की एक समिति द्वारा जांच की गई थी, जिसने यह निष्कर्ष निकाला कि किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सुमरेरी स्टेशन पर प्वाइंट स्ट्रेचर बार के साथ छेड़-छाड़ करने के कारण पटरी से उतरने की यह घटना हुई। रेल संपत्ति को 31,000 रुपए की क्षति हुई। तोड़-फोड़ का मामला होने के कारण, भारतीय रेल अधिनियम की धारा 150 और 151 के तहत राजकीय रेलवे पुलिस/सागर के पास प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित निवारक उपाय किए गए हैं :-

1. रेल प्रणालियों पर तोड़-फोड़ की घटनाओं की रोक-थाम के उपाय शुरू करने के लिए, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है।
2. रेल कर्मचारियों कों हिदायत दी गई है कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए अनजाने व्यक्तियों पर अधिकाधिक नजर रखें।
3. निरीक्षणों तथा आकस्मिक जांचों पर नए सिरे से बल दिया गया है।
4. उक्त क्षेत्र में रे.सु.ब. द्वारा रेलपथ गश्त शुरू की गई थी और इसे 05.11.96 तक जारी रखा गया था। गैंगमैन द्वारा गश्त लगाना अभी भी जारी है।

[अनुवाद]

ट्रांसमीटरों का लगाया जाना

***28. श्री दिनशा पटेल :**
डॉ. बल्लभ भाई कठीरिया :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार, स्थान-वार कितने उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर तथा कितने कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर और कितने बहुत कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाये गये तथा इस अवधि के दौरान इन पर कितना व्यय हुआ;

(ख) क्या गुजरात के सीमावर्ती जिले और विशेषकर सौराष्ट्र क्षेत्र पाकिस्तानी टी.वी. द्वारा उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर के माध्यम से किये जा रहे दुष्प्रचार से प्रभावित हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

नागर बिमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) 1.4.1993 से 20.11.1996 तक की अवधि के दौरान 16 उच्च शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर, 204 अल्प शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर और 73 अति अल्प शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर चालू किए गए हैं जैसाकि संलग्न विवरण में दिए गए राज्यवार ब्यौरों से स्पष्ट है। विवरण में इंगित ट्रांसमीटर परियोजनाओं सहित विभिन्न दूरदर्शन परियोजनाओं पर पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान हुआ वर्षवार कुल व्यय निम्नलिखित है :-

वर्ष	किया गया व्यय (करोड़ रुपए में)
1993-94	168.22
1994-95	256.55
1995-96	313.60

(ख) और (ग). गुजरात के सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र के कुछ भागों में पाकिस्तान से अस्पष्ट एवं अनियमित टेलीविजन सिग्नल प्राप्त होने की सूचना मिली है। जबकि सौराष्ट्र - कच्छ क्षेत्र में 3 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर तथा 13 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर पहले से ही कार्यरत हैं, सौराष्ट्र और कच्छ के सीमावर्ती क्षेत्रों में टेलीविजन सेवा के और अधिक विस्तार हेतु इस क्षेत्र में एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर तथा 7 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन हैं। इसके अलावा, इस क्षेत्र में दो अतिरिक्त उच्च शक्ति ट्रांसमीटर भी स्थापित करने का विचार है बशर्ते संसाधन एवं अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।

विवरण

1.4.93 से 20.11.96 के दौरान चालू किए गए टी.वी. ट्रांसमीटरों की राज्यवार सूची

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	ट्रांसमीटर का प्रकार	ट्रांसमीटरों का स्थल
1	2	3
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	अ.अ.श.ट्रा.	बारातंग
		हवेलाक
		कहचल
आंध्र प्रदेश	उ.श.ट्रा.	नांदयाल
	अ.श.ट्रा.	अलागड्डा
		अतमाकुर
		भीमावरम
		एम्मिगनुर
		गडवाल
		गिड्डालुर
		हिंपुपुर
		हैदराबाद (डी डी II)
		जगतियाल
		कामारेड्डी
		कावाली
		कोसगी
		कुप्पम
		एल.आर.पल्ली
		मधिरा
		मदनापल्ली
		मन्दास्सा
		मेडक
		नगर कारनूल

1	2	3
		नारायणपेट
		निरमल
		सिद्दीपेट
		तन्दूर
		विशाखापटनम
		वानापर्थी
	अ.अ.श.ट्रा.	चिंतापल्ली
		इच्छापुरम
		पडेरू
		पार्वतीपुरम
		श्रीसेलम
अरुणाचल प्रदेश	अ.श.ट्रा.	ईटानगर (डीडी II)
असम	अ.श.ट्रा.	बोंगाईगांव
		गोलाघाट
		गुवाहाटी (डीडी II)
		हाफ्लांग
		हटसिंघिमारी
		होजाई
		लुमडिंग
		मारगेरिटा
		नार्थ लखीमपुर
		सोनारी
		तिनसुकिया
	अ.अ.श.ट्रा.	डिगबोई
बिहार	अ.श.ट्रा.	औरंगाबाद
		गोड्डा
		गुमला
		हजारीबाग
		लोहारडगा
		नवादा
		पटना (डीडी-II)
		रक्सौल
		शेखपुरा
		सुपौल
चण्डीगढ़	अ.श.ट्रा.	चंडीगढ़ (डीडी II)
दिल्ली	उ.श.ट्रा.	दिल्ली (डीडी II)

1	2	3
	अ.श.ट्रा.	दिल्ली (लोक सभा)
		दिल्ली (राज्य सभा)
		कठुआ
		लेह (डीडी II)
		रियासी
		श्रीनगर (डीडी II)
		श्रीनगर (कश्मीर चैनल)
	अ.अ.श.ट्रा.	अर्ध कुमारी
		बारामूला
		बटोट
		बुड्ढल
		गुरेज
		कालाकोट
		कुद
		पुंछ
		साम्बा
		थानामण्डी
		टिथवाल
		उरी
कर्नाटक	अ.श.ट्रा.	अर्सिकेरे
		बागलकोट
		बंगलौर (डीडी II)
		भटकल
		गंगावाटी
		हुंगोंड
		कुम्टा
		मांड्या
		मुदिगेरे
		पावागडा
		रामादुर्ग
	अ.अ.श.ट्रा.	सकलेशपुर
केरल	उ.श.ट्रा.	कालीकट (अंतः)
	अ.श.ट्रा.	कालीकट (डीडी-II)
		चेंगन्नूर
		कोचीन (डीडी-II)
		कान्हनगढ़
		पुनालुर

1	2	3
		त्रिवेन्द्रम (डीडी-II)
	अ.अ.श.ट्रा.	देवीकोलम
		कंजिरापल्ली
लक्षद्वीप	अ.श.ट्रा.	कावारत्ती
महाराष्ट्र	उ.श.ट्रा.	बम्बई (डीडी-III)
गुजरात	उ.श.ट्रा.	अहमदाबाद (डीडी-II)
		भुज (अंत.)
	अं.श.ट्रा.	डांडी
		देवगढ़-बरिया,
		धारंगधरा
		गांधीनगर (डीडी-II)
		ईडर
		खम्बात
		महुवा
		मांगरोल (जूनागढ़)
		पालिताना
		रापर
		संजेली
		शामलाजी
	अ.अ.श.ट्रा.	देवगढ़-बरिया
		नेतरंग
हरियाणा	अ.श.ट्रा.	मंडी डबवाली (डीडी II)
		मेहम
		रेवाड़ी
हिमाचल प्रदेश	उ.श.ट्रा	शिमला
	अ.श.ट्रा.	शिमला (डीडी-II)
	अ.अ.श.ट्रा.	आझू फोर्ट
		बैजनाथ
		बांदला
		भारथी
		दियार
		जोगिंदरनगर
		खारापाथर
		पालमपुर
		सरकाघाट
		शिवबादर

1	2	3
		थानेदार
		वीर
जम्मू और कश्मीर	उ.श.ट्रा.	लेह
	अ.श.ट्रा.	जम्मू (डीडी II)
	अ.श.ट्रा.	अकोट
		अकलुज
		अरवी
		ब्रह्मपुरी
		चिखली
		चिपलुन
		देवरूख
		हिंगनघाट
		कणकौली
		करन्जा
		खायगांव
		मेहकर
		म्हास्ले
		मोरसी
		नागपुर (डीडी-2)
		राजापुर
		रिसोद
		संगमनेर
		उमेरगा
		वाणी
		वाशिम
	अ.अ.श.ट्रा.	चिकलधरा
		जुन्नार
		करजाट
		खेद
मणिपुर	अ.श.ट्रा.	इम्फाल (डी.डी-2)
मेघालय	अ.श.ट्रा.	शिलांग (डीडी-2)
		तुरा (डी.डी.-2)
		विलियमनगर
	अ.अ.श.ट्रा.	बाघमारा
मिजोरम	उ.श.ट्रा.	लुंगलेई
	अ.श.ट्रा.	एजवाल (डी.डी.-2)

1	2	3
मध्य प्रदेश	अ.श.ट्रा.	अलीराजपुर
		अशोक नगर
		भान्देर
		भोपाल (डी.डी.-2)
		बीजापुर
		दतिया
		जाओरा
		खुरई
		कुकदेश्वर
		लहर
		मेहर
		राघोगढ़
		सिरोंज
		उज्जैन
	अ.अ.श.ट्रा.	बुधनी
		जशपुरनगर
		कोण्डागांव
		पाखन्जोर
		परसिया
नागालैण्ड	अ.श.ट्रा.	कोहिमा (डी.डी.-2)
उड़ीसा	उ.श.ट्रा.	कटक (डी.डी.-2)
	अ.श.ट्रा.	अथमलिक
		बालीपुरा
		बानापुर
		भुबन
		भुवनेश्वर (डी.डी.-2)
		बोन्नई
		बौध; दशरथपुर
		देवगढ़
		धेनकनाल
		घेनकनाल (डी.डी.-2)
		दुदरकोट (डी.डी.-2) (हिण्डोल)
		उदयगिरी
		कामाख्या नगर
		केन्द्रपारा

1	2	3
		खण्डापारा
		कुचिण्डा
		लुथेरपुक
		मल्कागिरी
		नरसिंगपुर
		नवरेंगपुर
		नौपारा
		पदमपुर
		पदमापुरम
		पल्लाहारा
		पारादीप
		रायरंगपुर
		राज राणापुर
		रेंयाखोल
		सम्भलपुर (डी.डी.-2)
		तुल्चेर
		तिरतोल
	अ.अ.श.ट्रा.	*
		बोनई
		ललितगिरी (डी.डी.-2)
		नयागढ़
		पटनागढ़
		राउरकेला (डी.डी.-2)
पांडिचेरी	अ.श.ट्रा.	
पंजाब	अ.श.ट्रा.	अबोहर
		जालंधर (डी.डी.-2)
राजस्थान	उ.श.ट्रा.	बूंदी
	अ.श.ट्रा.	बंसी
		बारन
		बासवा
		भादरा
		चिरावा
		गंगापुर
		जयपुर (डी.डी.-2)

1	2	3
		कोटा (डी.डी.-2)
		नोखा
		रतनगढ़
		रावतसर
		श्रीडुंगरगढ़
		सुजानगढ़
	अ.अ.श.ट्रा.	अमेट
		भीम
		चौमहला
		देवगढ़
		फतेहपुर
		कुम्बलगढ़
		मण्डलगढ़
		राजगढ़
		जवार माइन्स
सिक्किम	उ.श.ट्रा.	गंगटोक
	अ.श.ट्रा.	गंगटोक (डी.डी.-2)
तमिलनाडु	उ.श.ट्रा.	मद्रास (डी.डी.-3)
		रामेश्वरम
	अ.श.ट्रा.	अरनी
		अरकोट
		गुडियाटम
		कृष्णानगरी
		मरथण्डम
		पुड्डुकोट्टई
		राजापलायम
		उडगमण्डलय
	अ.अ.श.ट्रा.	उदमलेपट
		बल्लीपुर
		बलपराई
		बजापड़ी
त्रिपुरा	अ.श.ट्रा.	अगरतला (डी.डी.-2)
उत्तर प्रदेश	उ.श.ट्रा.	मउ
	अ.श.ट्रा.	चम्पावत

1	2	3
		एटा
		कानपुर (डी.डी.-2)
		कोटद्वार
		लालगंज
		लखनऊ (डी.डी.-2)
		मुहम्मदाबाद
		रासरा
		सिकन्दरपुर
		मउ रानीपुर
	अ.अ.श.ट्रा.	बागेश्वर
		डीडीहाट
		घान्डयाल
		कल्जीखल
पश्चिम बंगाल	उ.श.ट्रा.	कलकत्ता (डी.डी.-2)
	अ.श.ट्रा.	जारग्राम
		काल्ना
		पुरूलिया
		रानाघर
	अ.अ.श.ट्रा.	एग्रा
		झाल्दा

* उपरोक्त अवधि के दौरान चालू किए गए अति अल्पशक्ति ट्रांसमीटर जिनको बाद में इन स्थानों पर अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के चालू किए जाने के परिणामस्वरूप बन्द कर दिए गए।

[हिन्दी]

बेलाडिला खान को पट्टे पर देना

***29. श्री राधा मोहन सिंह :**

श्री चित्त बसु :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेलाडिला लौह अयस्क भण्डार को मामूली दरों पर निजी कम्पनी को पट्टे पर दिए जाने के संबंध में औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो शर्तों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

राजस्व में गिरावट

***30. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :**
श्री संतोष मोहन देव :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के दूरसंचार विभाग/दूरसंचार सर्किलों के राजस्व संग्रहण में 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान आज की तारीख तक गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसमें वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या टेलीफोन बिलों की बकाया राशि, जो मार्च, 1992 में 439.82 करोड़ रुपये थी, मार्च, 1995 में बढ़कर 955.81 करोड़ रुपये हो गई हैं;

(ङ) क्या कुछ बकाया राशि माफ भी कर दी गई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) राजस्व में वृद्धि के लिए प्राथमिकता के आधार पर बकाया राशि वसूलने/प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान तथा जुलाई, 1996 तक संपूर्ण दूरसंचार विभाग में और दूरसंचार सर्किलों में टेलीफोन राजस्व (बिलशुदा रकम) की वृद्धि में कोई कमी नहीं हुई है लेकिन इसमें जम्मू तथा कश्मीर सर्किल शामिल नहीं हैं क्योंकि वहां राजस्व (बिलशुदा रकम) वर्ष 1993-94 के दौरान घटा है।

(ख) जम्मू तथा कश्मीर सर्किल में दूरसंचार राजस्व वर्ष 1992-93 के दौरान 23.14 करोड़ रु. था जो कि वर्ष 1993-94 के दौरान घटकर 22.37 करोड़ रु. हो गया है। राज्य में लम्बी अवधि तक गड़बड़ी के कारण यह कमी हुई। तथापि, वर्ष 1994-95 के बाद से राज्य की स्थिति में सुधार होने के फलस्वरूप टेलीफोन राजस्व में वृद्धि हुई है।

(ग) दूरसंचार राजस्व की वृद्धि विभाग की चिंता का मुख्य विषय है और अधिकाधिक नेटवर्क उपयोगिता हासिल करने तथा राजस्व वसूली दक्षता में सुधार लाने के लिए समय-समय पर उपाय किए जाते हैं जिनका उल्लेख यहां नीचे भी किया जा रहा है :-

1. इकाइयों को यह कहा गया है कि बिलों को समय से जारी करने के लिए दूरसंचार राजस्व लेखा (टी आरए) को संज्ञापन पत्र तत्काल भेजें।
2. टैरिफ संशोधन के परिणामस्वरूप किराए का समय पर संशोधन।
3. टेलीफोन डायरेक्ट्री की नियमित जांच।
4. गैर-डायरेक्ट्री मदों की वार्षिक जांच।
5. अप्रयुक्त (स्पेयर) नम्बरों की समुचित बिलिंग।
6. दूरसंचार राजस्व लेखा में पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था।

(घ) टेलीफोन बिलों की बकाया राशि मार्च, 1992 में 419.26 करोड़ रुपए थी जो मार्च, 1995 में बढ़कर 897.29 करोड़ रुपए हो गई।

(ङ) जी हां।

(च) 1995-96 के दौरान बट्टे-खाते डाली गई रकम 1.36 करोड़ रु. हैं और 1996-97 के दौरान (जुलाई, 1996 तक) 2.20 लाख रु. है। इन्हें बट्टे-खाते डालने संबंधी कारण निम्नलिखित हैं :-

1. उपभोक्ताओं का अतापता मालूम नहीं है/उपभोक्ताओं की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है।
2. उपभोक्ता फर्मों अथवा कम्पनियों का बंद होना।
3. बकाया छोटी-छोटी रकमें जिनके संबंध में कार्रवाई करना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं समझा जाता है।
4. रिकार्डों का न मिलना।
5. उपभोक्ताओं की मृत्यु आदि।

(छ) बिलों को जारी करना और उनकी वसूली करना एक सतत प्रक्रिया है। बकाया टेलीफोन बिलों की वसूली के लिए कार्यविधियों का निर्धारण किया गया है। बिलों की अदायगी न करने के मामले में, लाइनों को काट दिया जाता है और यदि आवश्यक हो तो कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। इसके अलावा, बकाया रकम को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

1. टेलीफोन बिलों की वसूली सीटीओ/डीटीओ के माध्यम से शुरू की गई है और डाकघरों तथा दूरसंचार राजस्व के अलावा वसूली केन्द्र संदेश रकमों की वसूली सुनिश्चित करते हैं।
2. वसूली संबंधी कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए बिलों के भुगतान में विलम्ब के वास्ते अधिभार लगाया गया है।
3. 1.7.96 से "रिवालविंग अकांउट स्कीम" पर प्रोत्साहन बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है।
4. पुरानी बकाया रकमों की वसूली के लिए प्रोत्साहन योजना को और उदार बनाया गया है।
5. टेलीफोन के भुगतान के लिए इलैक्ट्रानिक किलयरेंस स्कीम और उसका शीघ्र लेखांकन प्रयोग के आधार पर मद्रास टेलीफोंस में शुरू किया गया है।
6. सभी सर्किलों को यह सामान्य अनुदेश जारी किए गए हैं कि ये प्रयोग के आधार पर ज्यादा टेलीफोन कॉल करने वालों को मासिक बिल भेजने की प्रक्रिया अपनाएं।

7. संचार मंत्री और दूरसंचार आयोग के अध्यक्ष की ओर से मुख्य मंत्रियों और मुख्य सचिवों को पत्र जारी किए जाते हैं ताकि राज्य सरकार के विभागों के प्रति बकाया रकमों को वसूल किया जा सके।

कृषि मजदूरों के लिए विधेयक

*31. **श्री बलाई चन्द्र राय :**
श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू सत्र में कृषि मजदूरों के हितों को संरक्षण देने के लिए एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करने तथा पारित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). प्रस्तावित विधेयक सरकार के विचाराधीन है।

इस्पात संयंत्रों को विद्युत की आवश्यकता

*32. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की संयंत्रवार विद्युत की कुल वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) प्रत्येक इस्पात संयंत्र को किन-किन स्रोतों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विद्युत प्राप्त होती है;

(ग) क्या किसी इस्पात संयंत्र ने अपने रक्षित विद्युत संयंत्र की स्थापना की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की वर्ष 1996-97 के लिए कुल प्रक्षेपित औसत वार्षिक विद्युत आवश्यकता और उसे पूरा करने के स्रोत निम्नानुसार हैं :-

इस्पात संयंत्र	औसत विद्युत आवश्यकता (मेगावाट) 1996-97	आपूर्ति का स्रोत
(क) "सेल" संयंत्र भिलाई इस्पात संयंत्र (बी.एस.पी.)	215	एम.पी.ई.बी और निजी रूप से सृजन
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और मिश्र इस्पात संयंत्र (डी.एस.पी. और ए.एस.पी.)	128	डी.वी.सी. और निजी रूप से सृजन
राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर.एस.पी.)	160	ओ.एस.ई.बी. और निजी रूप से सृजन
बोकारो इस्पात संयंत्र (बी.एस.एल.)	260	डी.वी.सी. और निजी रूप से सृजन
इंडियन आयरन एण्ड स्टील कं. लि. (इस्को)	28	डी.वी.सी. और निजी रूप से सृजन
सेलम इस्पात संयंत्र (एस.एस.पी.)	11.1	टी.एन.ई.बी.
विश्वैश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लि. (बी.आई.एस.एल.)	30.7	के.एस.ई.बी. और निजी रूप से सृजन
(ख) राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र (वी.एस.पी.)	200	ए.पी.एस.ई.बी. और निजी रूप से सृजन

(ग) और (घ). निजी विद्युत सृजन इकाइयों वाले इस्पात संयंत्रों का विवरण और पिछले 3 वर्षों के दौरान उनके द्वारा विद्युत सृजन का विवरण निम्नानुसार है :-

वास्तविक सृजन (मेगावाट)

संयंत्र	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4
(क) **"सेल" संयंत्र**			
बी.एस.पी.	92	86.8	91.1
डी.एस.पी.	84.8	64.8	65.0
आर.एस.पी.	117.1	114.0	114.8
बी.एस.एल.	150.1	136.6	120.3
इस्को	12.8	14.3	11.9
वी.आई.एस.एल.	-	-	1.7×
(ख) राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.			
वी.एस.पी.	160.5	190.8	195.2

× वर्ष के दौरान डी.जी. सैट चालू किए गए।

[हिन्दी]

टेलीफोन कनेक्शन

*33. **श्री सोहन वीर :**
श्री जय प्रकाश (हरदोई) :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों में विभिन्न श्रेणियों के लिए 1 अगस्त, 1996 को राज्य-वार तथा जिले-वार प्रतीक्षा सूची का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में नए टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस लक्ष्य को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) से (घ). पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धियां इस प्रकार हैं। लक्ष्यों को पूर्णतः प्राप्त कर लिया गया था।

वर्ष	लक्ष्य (लाख लाइनों में)	उपलब्धि
1993-94	11.00	12.28
1994-95	14.00	17.70
1995-96	20.00	21.83

(ङ) और (च). उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता क्योंकि तीन वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्य पूर्णतः प्राप्त कर लिए थे।

[अनुवाद]

लम्बी दूरी के हवाई जहाज

*34. **श्री एस. रामचन्द्र रेड्डी :**
डा. एम. जगन्नाथ :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया द्वारा अपने बेड़े में वृद्धि हेतु मध्यम क्षमता के लम्बी दूरी के हवाई जहाज खरीदने संबंधी निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). एयरबस इन्डस्ट्री द्वारा विनिर्मित ए 340-300, बोईंग, एयरप्लेन कम्पनी द्वारा विनिर्मित बी-777 तथा मैक-डौन्नेल डॉग्लास कारपोरेशन द्वारा विनिर्मित एमडी-II विमान विचाराधीन हैं। प्रस्ताव इस समय एयर इंडिया के बोर्ड की एक उप-समिति के विचाराधीन है किसी समय-सीमा का, जिसके भीतर अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है, उल्लेख करना संभव नहीं है।

कर्मचारी राज्य बीमा के लाभार्थी

*35. **श्री के.पी. सिंह देव :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने औद्योगिक श्रमिक कर्मचारी राज्य बीमा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं का विस्तार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में राज्यवार कितने कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/औषधालयों को खोलने/उनमें विस्तार करने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) वर्तमान में 73.02 लाख बीमित व्यक्ति हैं जो क.रा.बी. योजना के अंतर्गत विभिन्न लाभों के लिए पात्र हैं।

(ख) क.रा.बी. अधिनियम क्षेत्र-वार लागू होता है। इस अधिनियम के विशेष क्षेत्र में एक बार लागू हो जाने पर उस क्षेत्र के सभी पात्र प्रतिष्ठान इस योजना के अंतर्गत आ जाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र पर योजना का विस्तार किया जाना उन औद्योगिक केन्द्रों की पहचान पर निर्भर करता है जो पहले ही इसके अंतर्गत आ गए हैं अथवा जिनके भावी विकास की संभावना है। इस प्रयोजनार्थ, क.रा. बी. निगम और राज्य सरकारों द्वारा एक सुव्यवस्थित सर्वेक्षण के द्वारा एक पूर्व संयुक्त योजना बनाना अपेक्षित है ताकि उस क्षेत्र पर इस अधिनियम को लागू किए जाने से पूर्व अतिरिक्त अस्पताल/औषधालय खोले जा सकें। ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना एक सतत् प्रक्रिया है। क. रा.बी. योजना के अंतर्गत व्याप्ति को मजदूरी सीमा में बढ़ोत्तरी करके भी हासिल किया जा सकता है। 1.4.92 से इस योजना के अंतर्गत व्याप्ति के प्रयोजनार्थ मजदूरी की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 3000/- रु. प्रतिमाह कर दिया गया है। चूंकि कारकों की बहुलता के परिणामस्वरूप मजदूरी में वृद्धि होने के कारण बड़ी संख्या में कर्मकार इसकी परिधि से बाहर होते जा रहे हैं। अतः ऐसे कर्मकारों को पुनः

शामिल किए जाने के लिए मजदूरी की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 6,500/- रु. प्रतिमाह किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) क.रा.बी. योजना के अंतर्गत अतिरिक्त अस्पतालों/औषधालयों का निर्माण/खोला जाना आवश्यकता पर आधारित है। अतिरिक्त अस्तपालों/औषधालयों को निर्धारित मानकों के अनुसार खोला जाता है अतः उनके निर्माण/खोले जाने का पंचवर्षीय योजना से कोई संबंध नहीं है।

[हिन्दी]

इस्पात के मूल्य में वृद्धि

***36. श्री नीतीश कुमार :**

जस्टिस गुमान मल लोढा :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम, रेल-भाड़े तथा कोयले के मूल्यों में वृद्धि के कारण इस्पात की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त कारणों से गत छह महीनों के दौरान मूल्य वृद्धि कुल कितने प्रतिशत रही;

(ग) क्या इस्पात का उत्पादन करने वाले उद्योगों ने अपने विभिन्न इस्पात उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उपर्युक्त अवधि के दौरान श्रमिकों की मजदूरी में भी वृद्धि की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) जी, हां। अकेले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के मामले में यह अनुमान लगाया गया है कि दिनांक 1.4.1996 से पेट्रोलियम, रेल भाड़े तथा कोयले के मूल्यों में हुई वृद्धि का इस्पात की उत्पादन लागत पर लगभग 810 करोड़ रुपए वार्षिक का प्रभाव पड़ेगा।

(ख) से (घ). कई इस्पात उत्पादक उद्योगों ने दिनांक 1.4.96 से इस्पात के विभिन्न उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि कर दी है। "सेल" ने उत्पादन लागत में होने वाली वृद्धि के प्रभाव को आंशिक रूप में निष्प्रभावी बनाने के उद्देश्य से दिनांक 1.8.96 से मूल्य में संशोधन किया है, प्रतिनिधि श्रेणियों पर औसत वृद्धि 200 रुपए से 700 रुपए प्रति मीट्रिक टन की गई है।

(ङ) और (च). "सेल" और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर.आई.एन. एल.) के मामले में पदोन्नति, वेतनवृद्धि, महंगाई भत्ते में संशोधन आदि के कारण वेतन और मजदूरी में होने वाली सामान्य वृद्धि को छोड़कर दिनांक 1.4.96 से मजदूरी में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

मालडिब्बों की कमी

***37. डा. कृपासिंधु भोई :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मालडिब्बों की हो रही निरंतर कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इस समय मालडिब्बों की अनुमानित आवश्यकता कितनी है;

(ग) मालडिब्बों की अपेक्षित संख्या की पूर्ति किन-किन स्रोतों से की जाएगी; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) माल यातायात की संभावित प्राप्ति तथा मालडिब्बों के कुशल उपयोग के आधार पर मालडिब्बों का प्रापण एक वार्षिक प्रक्रिया है। महत्वपूर्ण उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस समय मालडिब्बों की कोई कमी नहीं है। मालडिब्बों की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए रेलें निम्नलिखित कार्रवाई कर रही हैं :-

(1) मालडिब्बों के प्रापण में वृद्धि करना,

(2) परिसंपत्तियों की उपयोगिता में सुधार करना,

(3) "मालडिब्बे के मालिक बनें" योजना के अंतर्गत मालडिब्बों को खरीदने के लिए ग्राहकों को प्रेरित करना, आदि।

(ख) मांग को पूरा करने के लिए चालू वित्त वर्ष (1996-97) के दौरान 25,000 मालडिब्बों (चौपहिया यूनिटों में) की खरीद की योजना है। इसके अलावा "मालडिब्बे के मालिक बनें" योजना के अंतर्गत भी 5,000 मालडिब्बे प्राप्त किए जाने की संभावना है। इससे चालू वर्ष की अनुमानित आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी।

(ग) और (घ). वर्ष 1996-97 में 25,000 मालडिब्बों में से 18,905 मालडिब्बों (चौपहिया यूनिटों में) के लिए आदेश पहले ही दे दिए गए हैं। इनमें से 1900 मालडिब्बों के लिए आदेश रेलवे कारखानों को दिए गए हैं। शेष को निविदा के माध्यम से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

रेलों द्वारा अधिकांश मालडिब्बे वैगन इंडिया लि. को, जो उद्योग मंत्रालय का संयुक्त क्षेत्र का उद्यम है और जिसके सदस्य सरकारी तथा निजी क्षेत्र के मालडिब्बा निर्माता यूनिट हैं, आदेश देकर प्राप्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 2,000 मालडिब्बों (चौपहिया यूनिटों में) की अल्प मात्रा के लिए रेलवे कारखानों को आदेश दिया जाता है। इनके अलावा, रेल मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित फर्मों को भी विकासात्मक ओदश दिए गए हैं :

(1) 1993-94 में मैसर्स बिन्नी, मद्रास.

(2) 1995-96 में मैसर्स श्री रंगा ऐलायज लि. कोयम्बतूर,

(3) 1995-96 में मैसर्स बेसको लि. कलकत्ता,

(4) 1995-96 में मैसर्स टीटागढ़ स्टील्स लि. कलकत्ता।

[हिन्दी]

आमान परिवर्तन

*38. **डॉ. राम लखन सिंह :**

श्री राजीव प्रताप रूडी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय तथा आठवीं और नौवीं योजनावधियों के दौरान बड़ी रेल लाइनों में बदली जा रही और प्रस्तावित छोटी/मीटर गेज लाइनों का जोनवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अब तक कुछ राज्य सरकारों और संसद सदस्यों से छोटी/मीटर गेज रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदले जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ). विभिन्न संसद सदस्यों से, उनके निर्वाचन क्षेत्रों की प्रायः सभी मीटर/छोटी लाइनों को परिवर्तित करने के संबंध में मांगें प्राप्त हुई हैं। प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में सूचीबद्ध लाइनों से भिन्न लगभग सभी लाइनों को इन मांगों में शामिल किया गया है। नौवीं तथा दसवीं योजनावधियों में, कार्य-योजना के अगले चरण पर कार्य शुरू करते समय इन लाइनों पर विचार किया जाएगा।

विवरण

(क) (1) विभिन्न जोनों में अब तक पूरे कर लिए गए और 8वीं योजना में पूरे किए जाने वाले खंड नीचे दर्शाए गए हैं।

92-93 पूरे किए गए खंड	कि.मी.	जोन	93-94 पूरे किए गए खंड	कि.मी.	जोन	94-95 पूरे किए गए खंड	कि.मी.	जोन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
दिल्ली-रेवाड़ी	83	उ.रे.	भटिंडा-हिसार	157	उ.रे.	हिसार-रेवाड़ी	143	उ.रे.
लालगढ़-मेड़ता रोड	177	उ.रे.	जयपुर-फुलेरा	55	प.रे.	फुलेरा-अजमेर	81	प.रे.
लालगढ़-कोलायत	47	उ.रे.	फुलेरा-जोधपुर	261	उ.रे.	रेवाड़ी-जयपुर	225	प.रे.
सवाईमाधोपुर-जयपुर	125	प.रे.	तुमकुर-अरसीकेरे	101	द.रे.	मेहसाना-खोडियार	52	प.रे.
नडियाद-कपडवंज	45	प.रे.	अरसीकेरे-चिकजाजूर	114	द.रे.	दिल्ली छावनी-दिल्ली/ नई दिल्ली	14	उ.रे.
बेंगलूरू-तुमकुर	59	द.रे.	नरसारावपेट-दोणाकोंडा	75	द.म.रे.	जोधपुर-जैसलमेर	295	उ.रे.
मैसूर-बेंगलूरू	138	द.रे.	सिकंदराबाद-महबूबनगर	127	द.म.रे.	चिकजाजुर-हरीहर	60	द.रे.
दिडिगुज-तुतिकोरिन	196	द.रे.	मद्रास-तांबरम	27	द.रे.	हरिहर-हुबली	129	द.रे.
बेंगलूरू-येलहंका	12	द.रे.	चिकजाजूर-चित्रदुर्ग	16	द.रे.	हुबली-लौंडा	93	द.म.रे.
गुंटूर-नरसारावपेट	46	द.म.रे.	जालना-परभनी	116	द.म.रे.	लौंडा-मिराज	188	द.म.रे.
बेल्लरी-रायदुर्ग	54	द.म.रे.	गोंदिया-अर्जुनी	82	द.पू.रे.	बिरूर-शिमोगा	63	द.रे.
औरंगाबाद-जालना	64	द.म.रे.	सिकंदराबाद-बोलारम	14	द.म.रे.	हुबली-गदग-हर्लापुर	78	द.म.रे.
परभनी-परली बैजनाथ	63	द.म.रे.	इलाहाबाद-वाराणसी	126	पूर्वो.रे.	अलनावर-अमेड़वाड़ी	26	द.म.रे.
बुढ़वल-महमूदाबाद	38	पूर्वो.रे.	गुवाहाटी-लमडिंग	181	पू.सी.रे.	दोणाकोंडा-गिद्दालूर	84	द.म.रे.
कोटकपुस-फाजिलका	80	उ.रे.	महमूदाबाद-सीतापुर	60	पूर्वो.रे.	चिकजाजूर-चित्रदुर्ग	18	द.रे.
लखनऊ-कानपुर	59	उ.रे.	मेड़ता रोड़-मेड़ता सिटी	15	उ.रे.	परभनी-पूर्णा	29	द.म.रे.
मनकापुर-कटरा	30	पूर्वो.रे.	दौंड-बारामती	42	म.रे.	पूर्णा-नादेड़	32	द.म.रे.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पूरूलिया-कोटशिला	35	द.पू.रे.	लालकुआं-काठगोदाम	29	पूर्वो.रे.	अर्जुनी-वड़सा	23	द.पू.रे.
			पटेल नगर-सराय	3	उ.रे.	मुजफ्फरपुर-रक्सौल	129	पूर्वो.रे.
			दुर्गापुर-जयपुर	8	प.रे.	लमडिंग-नैलालंग	22	पू.सी.रे.
			मैसूर-अशोकपुरम	5	द.रे.	चापेरमुख-हैबरगाम	21	पू.सी.रे.
			लखनऊ-मानकनगर	5	पूर्वो.रे.			
	1351			1619			1805	

95-96 पूरे किए गए खंड	कि.मी.	जोन	96-97 पूरे किए गए खंड	कि.मी.	जोन
हरलापुर-होसपेट	67	द.म.रे.	वाडसा-नागवीर	28	द.पू.रे.
होसपेट-स्वामी हल्ली	60	द.म.रे.	अरसीकेरे-इसन	47	द.रे.
लोन्हा-कैसलराम	25	द.म.रे.	होस्सूर-सैलम	151	द.रे.
मुदखेड़-नादेड़	23	द.म.रे.	जोड़	151	द.रे.
नैलालंग-दीमापुर	38	पू.सी.रे.	चालू कार्य	226	
येलहंका-चिकबल्लापुर	46	द.रे.			
मकराना-फरबतसर	21	प.रे.	हसन-होलेनरसीपुर	30	द.रे.
समस्तीपुर-दरभंगा	37	पूर्वो.रे.	मेहसाणा-मारवाड़-अजमेर	423	प.रे.
गिद्दलूर-नंदयाल	69	द.म.रे.	गुंतकल-नंदयाल	136	द.म.रे.
गुंडा रोड-कोट्टूर	50	द.म.रे.	सगौली-नरकटियागंज	59	पूर्वो.रे.
औंडेहार-छपरा	171	पूर्वो.रे.	होतगी-वीजापुर	97	द.म.रे.
यशवंतपुर-सेलम	46	द.रे.	केसलराम-वास्को	87	द.म.रे.
छिंदवाड़ा-परासिया	28	म.रे.	फर्कोटिंग-तिनसुखिया	193	पू.सी.रे.
दीमापुर-फर्कोटिंग	70	पू.सी.रे.	तिनसुखिया-डिब्रूगढ़	48	पू.सी.रे.
गुवाहाटी-कामाख्या	7	पू.सी.रे.	तिनसुखिया-लेखापानी	63	पू.सी.रे.
			मऊ-शाहगंज	99	पूर्वो. रे.
			वंगारपेट-कोलार	18	द.रे.
	758		जोड़	1253	

31.10.96 तक कर दिया गया 5759 कि.मी.

(2) 9वीं योजना को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है और इस अवधि में विभिन्न खंडों को पूरा करने के कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। बहरहाल, 9वीं योजना के दौरान लगभग 5000 कि.मी. में आमान परिवर्तन का काम पूरा कर लिए जाने की संभावना है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

एल्यूमिनियम का उत्पादन

*39. **श्री छत्रपाल सिंह : क्या खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष आज तक एल्यूमिनियम उत्पादन एककों द्वारा कुल कितनी मात्रा में एल्यूमिनियम का उत्पादन किया गया;

(ख) क्या एल्यूमिनियम का उत्पादन देश की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) एल्यूमिनियम के प्राथमिक उत्पादकों द्वारा वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96 तथा अप्रैल-अक्तूबर, 96 के दौरान उत्पादित एल्यूमिनियम की मात्रा निम्न प्रकार थी :-

वर्ष	मात्रा (टनों में)
1993-94	4,65,165
1994-95	4,77,801
1995-96	5,29,264
अप्रैल-अक्तूबर, 96	2,96,034

(ख) से (घ). जी, हां। तथापि, सरकार की वर्तमान आयात-निर्यात नीति के अनुसार एल्यूमिनियम धातु तथा एल्यूमिनियम से बनी वस्तुएं खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत आती हैं। उपभोक्ताओं को अपनी वाणिज्यिक राय के आधार पर घरेलू बाजार से खरीदने या बाहर से आयात करने की स्वतंत्रता है। अतः धातु की उपलब्धता कोई समस्या नहीं है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में स्वर्ण खानों को बंद करना

***40. श्री के.एच. मुनियप्पा :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कोलार स्वर्ण खान क्षेत्र में खानों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या कुछ स्वर्ण खानों को बंद कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उन्हें फिर से चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) कर्नाटक में कोलार स्वर्ण क्षेत्र में नंदीदुर्ग खान और मैसूर चैम्पियन रीफ अमालगमैटिड खान (एमसीएएम) नामक दो खानें हैं।

(ख) और (ग). एमसीएएम के मैसूर वाले भाग में खनन संबंधी कार्य आर्थिक रूप से खनन योग्य अयस्क स्रोतों के समाप्त हो जाने के कारण रोक दिए गए हैं।

(घ) (ख) और (ग). भागों में दिये गए उत्तर को देखते हुए एमसीए खानों के मैसूर वाले भाग को फिर से चालू करने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, कंपनी ने एक नई बाल मिल स्थापित की है जिससे सोने के उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई है।

कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण सुविधायें

157. डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा :
श्री बाजू बन रियान :
श्री हाराधन राय :
श्री बादल चौधरी :
श्री तरित बरण तोपदार :
श्री समीक लहिरी :
डा. जयन्त रंगपी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोन-वार और स्थान-वार किन-किन रेलवे स्टेशनों में कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण सुविधायें उपलब्ध है;

(ख) जोन-वार और स्थान-वार किन-किन रेलवे स्टेशनों में निकट भविष्य में उक्त सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की संभावना है;

(ग) जोन-वार और स्थान-वार किन-किन रेलवे स्टेशनों में आरक्षण/वापसी आरक्षण सुविधायें उपलब्ध है; और

(घ) जोन-वार और स्थान-वार किन-किन रेलवे स्टेशनों में निकट भविष्य में उक्त सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जोनवार और स्थानवार उन रेलवे स्टेशनों के नाम जहां कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण सुविधायें उपलब्ध है :-

	मध्य रेलवे	
भोपाल	अमरावती	ग्वालियर
भुसावल	मुंबई छ.शि.ट.	आंगरा छावनी
नासिक	लोनावल	मुरैना
जलगांव	पुणे	मथुरा
खंडवा	जबलपुर	फरीदाबाद
इटारसी	कटनी	नागपुर
अकोला	सतना	शोलापुर
मनमाड़	झांसी	गुलबर्ग
हबीबगंज	(भोपाल में सैटेलाइट स्थान)	
पुणे (सी बी ओ)	(पुणे में सैटेलाइट स्थान)	
रविवारपेठ	-वही-	
खडकी	-वही-	
पुणे छावनी	-वही-	
मदन महल	(जबलपुर में सैटेलाइट स्थान)	
कुर्ला टर्मिनल	(मुंबई में सैटेलाइट स्थान)	

थाणे	-वही-	
कल्याण	-वही-	
बेलापुर	-वही-	
राजा की मंडी	(आगरा में सैटेलाइट स्थान)	

पूर्व रेलवे

आसनसोल	दानापुर	भागलपुर
रानीगंज	धनबाद	जमालपुर
दुर्गापुर	न्यू कोयलाघाट	मुगलसराय
पटना	बोलपुर	गया
मालदा टाउन	शिलाँग	पोर्ट ब्लेयर
महेन्द्रुघाट	(पटना में सैटेलाइट स्थान)	
पुराना कोयलाघाट	(कलकत्ता में सैटेलाइट स्थान)	
बाघबाजार	-वही-	
सोनारपुर	-वही-	
जादवपुर	-वही-	
शेवड़ाफुली	-वही-	
साल्ट लेक	-वही-	
चौरंगी	-वही-	
फेयरली प्लेस	-वही-	
हवड़ा	-वही-	
बल्ली	-वही-	
सियालदह	(कलकत्ता में सैटेलाइट स्थान)	
रबीन्द्रसदन	-वही-	
दम दम	-वही-	
विधान नगर	-वही-	
माजेरहाट	-वही-	
टालीगंज	-वही-	
बालीगंज	-वही-	

पूर्वोत्तर रेलवे

मुजफ्फरपुर	काठगोदाम	सिवान
बरौनी	बस्ती	मऊ
समस्तीपुर	गोंडा	देवरिया सदर
गोरखपुर	बादशाहनगर	छपरा
हाजीपुर	दरभंगा	मंडुआडीह
इज्जतनगर		

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

अलीपुरदार	कटिहार	डिब्रुगढ़
न्यू कूचबिहार	गुवाहाटी	तिनसुकिया
सिलीगुड़ी	सिलचर	दीमापुर

उत्तर रेलवे

इलाहाबाद	नई दिल्ली	जैसलमेर
अलीगढ़	फिरोजपुर	लखनऊ
अम्बाला	हिसार	वाराणसी
चंडीगढ़	जम्मू तवी	कानपुर
कालका	लुधियाना	फैजाबाद
शिमला	अमृतसर	रायबरेली
भटिंडा	जालंधर सिटी	मुरादाबाद
सहारनपुर	पठानकोट	हरिद्वार
बीकानेर	श्रीनगर	देहरादून
श्रीगंगानगर	जोधपुर	बरेली
भिवानी	मसूरी सी बी ओ	मेरठ सिटी
चंडीगढ़ स्टेशन	पटियाला	देवबंद
दिल्ली छावनी	(दिल्ली क्षेत्र में सैटेलाइट स्थान)	
दिल्ली मेन	(दिल्ली क्षेत्र में सैटेलाइट स्थान)	
ब्यूरो, नई दिल्ली स्टेशन	-वही-	
निजामुद्दीन	-वही-	
सरोजनीनगर	-वही-	
कीर्ति नगर	-वही-	
शाहदरा	-वही-	
कडकडडुमा	-वही-	
नया आजादपुर	-वही-	
संसद भवन	-वही-	
ओखला	-वही-	
उच्चतम न्यायालय	-वही-	
इं.गा.अ. हवाई अड्डा	-वही-	
गजियाबाद	(दिल्ली की सैटेलाइट स्थान)	
नोएडा	-वही-	
प्रयाग	(इलाहाबाद में सैटेलाइट स्थान)	
रावतपुर	(कानपुर में सैटेलाइट स्थान)	

दक्षिण मध्य रेलवे

गुंतकल	कोल्हापुर	खमाम
तिरूपति	बेल्लारी	वारंगल
रायचूर	नांदेड़	विजयवाड़ा
धरमावरम	औरंगाबाद	काकीनाड़ा टाउन

पुत्तापर्थी सी बी ओ	जालना	गुंटूर
हुबली	परभनी	तेनाली
मडगांव	सिकंदराबाद	ऐलूरू
वास्को-द-गामा	नेल्लोर	भीमावरम टाउन
मिरज	नारासापुर	ओंगोले
सांगली	काजीपेट	राजमुंदरी
तिरूमालाहिल्स	(तिरूपति में सैटेलाइट स्थान)	
अमीरपेट	(सिंकदराबाद में सैटेलाइट स्थान)	
हैदराबाद	-वही-	
काचीगुड़ा	-वही-	
दार उल शफा	-वही-	
बोड़गुडा	-वही-	
कुकटपल्ली	-वही-	
डा.ए.एस. राव नगर	-वही-	
सरूरनगर	-वही-	

दक्षिण पूर्व रेलवे

बोकारो	टाटानगर	पुरी
पुरूलिया	राउरकेला	बहरानपुर
रांची	चक्रधरपुर	संबलपुर
बिलासपुर	खड़गपुर	वाल्टेयर
दुर्ग	भुवनेश्वर	
रायपुर	कटक	

दक्षिण रेलवे

बेंगलूरू सिटी	पालघाट	त्रिची
मद्रास मूरे मार्केट	मंगलूर	पांडीचेरी
चिदम्बरम	केन्नानूर	कुंबाकोणम
काटपाड़ी/बेल्लोर टाउन	कालीकट	मइलादूतूराई
मदुरै	कोल्लन	कोट्टायम
तिरूनेलीवेली/तूतिकोरिन	कोयम्बतूर	तंजावुर
डींडीगुल	सेलम	तरूवनंतपुरम
रामेश्वरम	इरोड	एर्णाकुलम
विरूदुनगर	तेल्लीचेरी	त्रिचूर
मैसूर	तिरूपुर	अलावाय
नागापट्टनम/नागोर	चेंग्यानूर	
बेंगलूरू छावनी	(बेंगलूरू में सैटेलाइट स्थान)	
एग्मोर	(मद्रास में सैटेलाइट स्थान)	
मेम्बलम	-वही-	
मद्रास बीच	-वही-	
ताम्बरम	-वही-	
अबाड़ी	-वही-	
कोयम्बतूर उत्तर	(कोयम्बतूर बेंगलूरू स्थान)	

पश्चिम रेलवे

अजमेर	जामनगर	रतलाम
न्यू भुज	भावनगर	उज्जैन
गांधीधाम	सुरत	इंदौर
आबु रोड	जयपुर	वड़ोदरा
उदयपुर सिटी	अलवर	आनंद
फालना	कोटा	अहमदाबाद
राजकोट	आगरा फोर्ट	
पदमावती (सी.बी ओ)	(वडोदरा में सैटेलाइट स्थान)	
प्रतापनगर	-वही-	
गांधीनगर	(अहमदाबाद में सैटेलाइट स्थान)	
मणीनगर	-वही-	
गांधीग्राम	-वही-	
चर्चगेट	(मुंबई में सैटेलाइट स्थान)	
मुंबई सेंट्रल	-वही-	
अंधेरी	-वही-	
बोरीवली	-वही-	

(ख) कंप्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालयों का विवरण जो वार्षिक योजना 1996-97 में अनुमोदित किये गये है, जिसमें पिछले वर्ष के कुछ चालू कार्य भी शामिल हैं :-

मध्य रेलवे

बीना में या.आ.प्र.

अहमदनगर में या.आ.प्र.

सागौर में या.आ.प्र.

बारधा में या.आ.प्र.

घाटकोपर में या.आ.प्र. (मुंबई सैटेलाइट)

अजनी में या.आ.प्र. (नागपुर का सैटेलाइट)

चिंचवाड़ में या.आ.प्र. (पुणे का सैटेलाइट)

शंकरसेठ -वही-

पूर्व रेलवे

बर्धमान में या.आ.प्र.

कृष्णानगर में या.आ.प्र. (कलकत्ता का सैटेलाइट)

बंडेल में या.आ.प्र. -वही-

कल्याणी में या.आ.प्र. (कलकत्ता का सैटेलाइट)

नैहाटी में या.आ.प्र. -वही-

बरसात में या.आ.प्र. -वही-

पटना साहिब में या.आ.प्र (पटना का सैटेलाइट)

राजेन्द्रनगर में या.आ.प्र. -वही-

दक्षिण मध्य रेलवे

कुददापाह में या.आ.प्र.

बेंज सर्किल *(विजयवाड़ा का सैटेलाइट)

पूर्वोत्तर रेलवे

लालकुंआ में या.आ.प्र.

नैनीताल में या.आ.प्र.

* दरभंगा में या.आ.प्र.

* इज्जतनगर में या.आ.प्र.

सोनपुर में या.आ.प्र.

* हार्जीपुर में या.आ.प्र.

वाराणसी सिटी में या.आ.प्र. (सैटेलाइट)

इलाहाबाद में या.आ.प्र. (सैटेलाइट)

लखनऊ सिटी में या.आ.प्र. (सैटेलाइट)

उत्तर रेलवे

मोदीनगर में या.आ.प्र.

पानीपत में या.आ.प्र.

शकूरबस्ती में या.आ.प्र. (दिल्ली का सैटेलाइट)

गुडगांवा में या.आ.प्र. -वही-

लाजपत नगर में या.आ.प्र. -वही-

सराय रोहिल्ला में या.आ.प्र. -वही-

* प्रयाग में या.आ.प्र. (इलाहाबाद का सैटेलाइट)

चारबाग में या.आ.प्र. (लखनऊ का सैटेलाइट)

पर्यटक ब्यूरो जोधपुर में या.आ.प्र. (सैटेलाइट)

महामंदिर जोधपुर में या.आ.प्र. (सैटेलाइट)

दक्षिण रेलवे

शेनकोट्टा में या.आ.प्र.

एल्लेपी में या.आ.प्र.

मेटट्रुपालयम में या.आ.प्र.

नागरकोइल में या.आ.प्र.

कन्याकुमारी

मद्रास लुज कार्नर में या.आ.प्र. (सैटेलाइट)

मद्रास सेंट. थामस माऊंट में या.आ.प्र. (सैटेलाइट)

मद्रास माऊंट रोड में या.आ.प्र. (सैटेलाइट)

कोयम्बतूर सिटी में या.आ.प्र. (सैटेलाइट)

मदुरै सिटी में या.आ.प्र. (सैटेलाइट)

जयनगर में या.आ.प्र. (बेंगलूरू का सैटेलाइट)

पश्चिम रेलवे

मऊ में या.आ.प्र.

भरूच में या.आ.प्र.

नवसारी में या.आ.प्र.

नडियाड में या.आ.प्र.

वल्साड में या.आ.प्र.

बान्द्रा में या.आ.प्र. (मुंबई का सैटेलाइट)

वसई रोड में या.आ.प्र. -वही-

विरार में या.आ.प्र. -वही-

दादर में या.आ.प्र. -वही-

* गांधीनगर में या.आ.प्र. (जयपुर का सैटेलाइट)

दक्षिण पूर्व रेल

गोंदिया में या.आ.प्र.

बांकुरा में या.आ.प्र.

विजयनगरम में या.आ.प्र.

झारसुगुडा में या.आ.प्र.

बोकारो इस्पात सिटी में या.आ.प्र. (सैटेलाइट)

एम.वी.वी. कालोनी में या.आ.प्र. (विशाखापट्टनम का सैटेलाइट)

गजुवाका में या.आ.प्र.

इतवारी में या.आ.प्र. (नागपुर का सैटेलाइट)

चंद्रशेखरपुर में या.आ.प्र. (भुवनेश्वर का सैटेलाइट)

राउरकेला में या.आ.प्र. (सैटेलाइट)

शालीमार में या.आ.प्र. (कलकत्ता का सैटेलाइट)

(गैर-रेल लाइन वाली राज्य की राजधानी)

अगरतला में या.आ.प्र.

कोहिमा में या.आ.प्र

गंगटोक में या.आ.प्र.

आइजोल में या.आ.प्र.

इटानगर में या.आ.प्र.

इम्फाल में या.आ.प्र.

* उन स्थानों को दर्शाता है जहाँ या.आ.प्र. सुविधा आरंभ हो चुकी है।

(ग) वे स्थान, जहाँ एक से अधिक प्रणाली को जोड़ने की सुविधा उपलब्ध है; निम्नलिखित है :-

कंप्यूटरीकृत या.आ.प्र. का स्थान	प्रणलियों जिससे जोड़ी गई है
1	2
मध्य रेल	
भोपाल	दिल्ली, मुंबई
आगरा छावनी	-वही-
ग्वालियर	-वही-
झांसी	-वही-
मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल	मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, सिकंदराबाद
पुणे	-वही-
नागपुर	-वही-
जबलपुर	दिल्ली, मुंबई
कल्याण	-वही-
भुसावल	-वही-
थाणे	-वही-
शोलापुर	मुंबई, मद्रास, सिंकदराबाद,
गुलबर्गा	मुंबई, मद्रास
पूर्व रेल	
न्यू कोयलाघाट	कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, सिकंदराबाद
पुराना कोयलाघाट	कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, मद्रास
पटना	-वही-
फेयरली प्लेस	कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई
हवड़ा	कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, मुंबई, सिकंदराबाद
सियालदह	-वही-
धनबाद	कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, मुंबई
आसनसोल	कलकत्ता, दिल्ली
दानापुर	-वही-
उत्तर रेल	
नई दिल्ली (आई आर सी ए)	दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास एवं सिकंदराबाद
इलाहाबाद	-वही-
लखनऊ	दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास एवं सिकंदराबाद
वाराणसी	-वही-
संसद भवन	दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास
दिल्ली मेन	-वही-
सरोजिनी नगर	-वही-
कीर्ति नगर	-वही-
कड़कड़डुमा	-वही-
हजरत निजामुद्दीन	-वही-
कानपुर	-वही-
देहरादून	दिल्ली मंबई, कलकत्ता
अमृतसर	दिल्ली, मुंबई
जम्मू तवी	-वही-
जोधपुर	-वही-
पूर्वोत्तर रेल	
गोरखपुर	दिल्ली, मुंबई
मुजफ्फरपुर	दिल्ली, कलकत्ता
हाजीपुर	-वही-
दरभंगा	-वही-
पूर्वोत्तर सीमा रेल	
गुवाहाटी	कलकत्ता, मद्रास, सिंकदराबाद
दक्षिण रेल	
मद्रास मूर मार्केट	मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, सिंकदराबाद
बेंगलूरू	-वही-
त्रिवेंद्रम	-वही-
मैसूर	मद्रास, दिल्ली, मुंबई
कोयम्बतूर	-वही-
बेंगलूरू छावनी	-वही-
एर्णाकुलम जंक्शन	-वही-
मदुरै	-वही-
दक्षिण मध्य रेल	
सिकंदराबाद	सिकंदराबाद, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता
हैदराबाद	-वही-
विजयवाड़ा	-वही-

1	2
काचेगुड़ा	सिकंदराबाद मुंबई
कोल्हापुर	-वही-
वास्को-ड-गामा	-वही-
मडगांव	-वही-
सांगली	-वही-
मिरज	-वही-
नांदेड़	-वही-
औरगांबाद	-वही-
गुंतकल	-वही-
रायचूर	-वही-
त्रिरूपति	सिकंदराबाद, मद्रास
विजयवाड़ा	सिकंदराबाद, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता
हुबली	सिकंदराबाद, मुंबई, मद्रास
दक्षिण पूर्व रेल	
टाटानगर	कलकत्ता, दिल्ली
विशाखापट्टनम	कलकत्ता, मद्रास, सिकंदराबाद
खड़गपुर	-वही-
बिलासपुर	-वही-
भुवनेश्वर	कलकत्ता, दिल्ली, सिकंदराबाद
पश्चिम रेल	
अजमेर	मुंबई, दिल्ली
कोटा	-वही-
जयपुर	-वही-
वडोदरा	-वही-
बोरिबली	-वही-
इंदौर	-वही-
उदयपुर	-वही-
अहमदाबाद	मुंबई, दिल्ली, मद्रास
मुंबई सेंट्रल	मुंबई, दिल्ली, मद्रास, सिकंदराबाद
चर्चगेट	मुंबई, मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता
सूरत	मुंबई, मद्रास

(घ) यह सुविधा कुछ सीमित स्थानों पर ही उपलब्ध है। जहां आरक्षण संबंधी बहुत अधिक कार्य संभाला जा रहा है। कतिपय प्रौद्योगिकी कठिनाई के कारण फिलहाल इस सुविधा का विस्तार एक कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली, जो दूसरी प्रणाली के स्थानों पर परिचालित की जा सकती है, के टर्मिनलों की संख्या तक सीमित है, अतः यह समस्या हल हो जाएगी और उन सभी स्थानों जहां कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा उपलब्ध है, पर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और सिकंदराबाद की पांच मुख्य प्रणालियों के नेटवर्क द्वारा आगे की और वापसी यात्रा के आरक्षण उपलब्ध कराई गई है। नेटवर्किंग प्रबंध शुरू करने के लिए फिलहाल साफ्टवेयर का विकास किया जा रहा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर पेयजल की कमी

158. प्रो. ओमपाल सिंह "निडर" : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और एटा रेलवे स्टेशनों पर पेयजल की कमी है जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त स्टेशनों पर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). आगरा कैंट, फिरोजाबाद मथुरा और एटा रेलवे स्टेशनों पर मौजूदा यात्री यातायात की मात्रा के अनुरूप पहले से ही पर्याप्त पोर्टेबल जल आपूर्ति की व्यवस्था है। जब कभी आवश्यकता होगी तो मौजूदा व्यवस्था के विस्तार करने पर विचार किया जाएगा।

बोकारो इस्पात संयंत्र में लाभ/हानि

159. प्रो. रीता वर्मा : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र स्थापित करने पर कितना व्यय हुआ है तथा इसकी इस समय पूंजी लागत कितनी है;

(ख) उक्त संयंत्र के चालू हो जाने के बाद कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उपर्युक्त संयंत्र को कितना लाभ हुआ/कितनी हानि हुई?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) 17 लाख टन इंगट इस्पात की वार्षिक क्षमता वाले "सेल" के बोकारो

स्टील प्लांट (बी.एस.एल.) की स्थापना 981.34 करोड़ रुपए की लागत से की गई थी।

31.3.1996 की स्थिति के अनुसार इस इस्पात संयंत्र की वर्तमान पूंजीगत लागत (सकल ब्लॉक+और चल रहे पूंजीगत कार्य) का अनुमान 5463.56 करोड़ रुपए लगाया गया है।

(ख) 31.3.1996 तक व्यय की गई कुल राशि (17 लाख टन तक और बाद के 40 लाख टन तक के विस्तार सहित) का अनुमान 4540.69 करोड़ रुपए लगाया गया है।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान बी.एस.एल. को हुए लाभ के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :-

वर्ष	लाभ (करोड़ रुपये)
1993-94	468
1994-95	662
1995-96	806

बिहार में डाकघरों की संख्या

160. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में अपने भवनों तथा किराये के भवनों में चल रहे डाकघरों तथा तारघरों को जिला-वार तथा श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान राज्य में जिला-वार कितने नये डाकघर, उप डाकघर तथा तारघर खोले जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य के प्रत्येक पंचायत मुख्यालय में डाक सेवाएं उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिए जिला-वार आवासीय कालोनियों की संख्या कितनी है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) **डाक और दूरसंचार विभाग**

जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ख) **डाक विभाग**

जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

दूरसंचार विभाग

निम्नलिखित छह (6) तारघर खोले जाने की संभावना है :

1. कोडरमा	2. छतरा	3. लखी सराय
4. पाकुर	5. शिपोहर	6. शेखपुरा

(ग) से (ङ). **डाक और दूरसंचार विभाग**

जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कलकत्ता से रेलगाड़ियों का चलाया जाना

161. **श्री बाजू बन रियान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की मांग पूरी करने के लिए कलकत्ता से और अधिक रेलगाड़ियां चलाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कलकत्ता से कुछ रेलगाड़ियां दीमापुर तक चलाई जायेंगी; और

(घ) यदि हां, तो इन रेलगाड़ियों को कब तक दीमापुर तक बढ़ाये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). संसाधनों की उपलब्धता तथा परिचालनिक व्यवहारिकता एवं यातायात के औचित्य पर निर्भर करते हुए भारतीय रेलों पर रेल गाड़ियों को चलाना एक सतत् प्रक्रिया है, 1.10.1996 से 3045/3046 हावड़ा-गुवाहाटी सरायघाट एक्सप्रेस की बारम्बारता साप्ताहिक से सप्ताह में तीन बार कर दी गई है।

(ग) और (घ). डिब्रुगढ़ टाउन/तिनसुकिया पर टर्मिनल की सुविधाओं का विकास तथा आमान परिवर्तन के पूरा होने के बाद 5659/5660 सियालदह-गुवाहाटी कामरुप एक्सप्रेस को बढ़ाने का प्रस्ताव है।

आसनसोल एक्सचेंज के अन्तर्गत कबीतीर्थ चुरूलिया

162. **श्री हाराधन राय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आसनसोल टेलीफोन एक्सचेंज के अन्तर्गत कबीतीर्थ चुरूलिया में लगभग 40 व्यक्तियों ने टेलीफोन कनैक्शन के लिए आवेदन किया है;

(ख) क्या नजरूल एकेडेमी ने प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंज के लिए स्थान देने की पेशकश की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) 1997-98 के दौरान चुरूलिया में एक नया टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की योजना बनाई गई है।

[हिन्दी]

रेलगड़ियों का पटरी पर से उतरना

163. श्री जयप्रकाश अग्रवाल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक स्थान-वार कितनी पैसेन्जर रेलगाड़ियां/एक्सप्रेस रेलगाड़ियां/मालगड़ियां पटरी पर से उतरी;

(ख) क्या सरकार ने रेलगाड़ियों के पटरी पर से उतरने के प्रत्येक मामले की जांच करवाई है;

(ग) यदि हां, तो उल्लिखित अवधि के दौरान रेलगाड़ियों के पटरी पर से उतरने के प्रत्येक मामले की जांच का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या प्रभावकारी कदम उठाए गए/उठाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) 1.4.1993 से 31.10.1996 तक की अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर गाड़ी के पटरी से उतरने की 13 घटनाएं हुई थी। इनमें 1 एक्सप्रेस गाड़ी, 2 पैसेजर गाड़ियां और शेष माल गाड़ियां थीं।

(ख) जी हां।

(ग) प्रत्येक दुर्घटना की जांच रेल संरक्षा आयुक्त, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों और सहायक अधिकारियों द्वारा की गई थी। शेष 10 दुर्घटनाओं की जांच कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों की समिति द्वारा की गई थी।

(घ) दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाये गए कुछ कदम इस प्रकार है :-

1. ट्रंक मार्गो और महत्वपूर्ण मुख्य लाइनों पर रेल पथ पर परिपथन कार्य में तेजी लाई गई है।
2. जब तक कि पूर्ववर्ती गाड़ी के लिए नीचे स्थिति में किए गए स्टार्टर और अग्रिम स्टार्टर सिगनल को वापस "आन" स्थिति में नहीं ला दिया जाता तब तक होम सिगनल को नीचे की स्थिति में आने से रोकने के लिए सिगनल सर्किटरी में परिवर्तन किया जा रहा है।
3. बम्बई उपनगरीय खंडों पर चलती गाड़ी के ड्राइवर को खतरे के सिगनल के बारे में अग्रिम चेतावनी देने के लिए सहायक चेतावनी प्रणाली पहले ही शुरू कर दी गई है।
4. भारी पटरियों और कंक्रीट स्लीपरों का उपयोग करके रेलपथ संरचना का ग्रेडोन्नयन कर दिया गया है।
5. रेलपथ का टाईटेम्पिंग और बैलास्ट क्लिनिंग मशीनों द्वारा अनुरक्षण किया जाता है। रेलपथ भी अब रेलपथ नवीकरण गाड़ियों और पोर्टल क्रेनों से बिछाया जा रहा है।
6. रेलपथ ज्यामिति और रेलपथ की चालन विशेषताओं की निगरानी के लिए आधुनिक रेलपथ अभिलेखी यान, आसिलोग्राफ यान और पोर्टेबल गतिमापकों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।
7. सवारी डिब्बों और मालडिब्बों की अनुरक्षण सुविधाओं को आधुनिक बनाया गया है।
8. धुरों की कोल्ड ब्रेकेज को रोकने के लिए धुरों में होने वाली कमियों का समय से पता लगाने के लिए सभी नैमित्तिक ओवर हालिंग डिपुओं को अल्ट्रासॉनिक टेस्टिंग उपकरणों से सुसज्जित किया गया है।
9. ड्राइवरों, गार्डों, और गाड़ी परिचालन से संबंधित अन्य कर्मचारियों की प्रशिक्षण सुविधाओं को आधुनिक बनाया जा रहा है। ड्राइवरों को सिमुलेटरों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
10. कर्मचारियों के कार्य निष्पादन पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। कर्मचारी, जिनके ज्ञान में कमी पायी जाती है, को परामर्श दिया जाता है और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

[अनुवाद]

रेल फाटकों पर उपरि-पुल

164. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि लिलुआ, डंकुनी ओर मोरिग्राम रेल फाटकों पर अविलंब रुप से उपरिपुल बनाए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि इन क्षेत्रों के लोग उपरि पुलों के निर्माण के लिए आंदोलन चलाए हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त स्थानों पर उपरि पुलों का निर्माण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). रेलें मौजूदा व्यस्त समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण लागत में भागीदारी के आधार पर करती हैं, जिनके लिए निर्माण लागत में भागीदारी के लिए विधिवत् रुप से सहमत होते हुए संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव प्रायोजित किए जाते हैं। दानकुनी में ऊपरी सड़क पुल के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है,

लिलुआ में ऊपरी सड़क पुल का निर्माण कार्य एक स्वीकृत कार्य है। राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गो का कार्य शुरू करने के बाद रेलवे पुल का निर्माण कार्य शुरू करेगी। समपार सं. के 10/23-25 के बदले मौरीग्राम में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का प्रस्ताव राज्य सरकार के साथ योजनाधीन है।

कलकत्ता से और अधिक अंतरराष्ट्रीय उड़ान

165. प्रो. जितेन्द्र नाथ दास : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कलकत्ता से और अधिक अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या कलकत्ता से अन्य देशों के लिए एयर इंडिया की उड़ानें बढ़ाने अथवा विदेशी विमान सेवाओं की उड़ानें बढ़ाने हेतु किसी अन्य देश के साथ इस वर्ष के दौरान कोई चर्चा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). भारत सरकार कलकत्ता के लिए प्रचालन हेतु विदेशी विमान कम्पनियों को प्रमुख प्रवेश द्वारों के साथ कलकत्ता को जोड़ने की योग्यता, उदार पंचम स्वतंत्रता अधिकार, वाणिज्यिक करारों की उदार शर्ते आदि जैसे विभिन्न प्रोत्साहन दे रही है। वर्ष 1996 के दौरान अर्मेनिया, स्विटजरलैंड तथा स्लावाक गणराज्य की नामित एयरलाइनों के लिए कलकत्ता को एक अवतरण स्थल के रुप में छूट दी गई है। आस्ट्रेलिया को दिनांक 16-10-96 से दिल्ली अथवा मुम्बई के साथ कलकत्ता को जोड़ने की सुविधा प्रदान की गई थी। तथापि, वास्तविक प्रचालनों को एयरलाइनों के वांणिज्यिक निर्णय पर छोड़ दिया जाता है।

बल्ली हाल्ट स्टेशन पर यात्रियों को सुविधाएं

166. श्री अनिल बसु : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बल्ली हाल्ट स्टेशन पर पेयजल, शेड, बैठने की व्यवस्था, मूत्रालय, शौचालय तथा उचित प्रकाश की व्यवस्था करने हेतु कोई कदम उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वहां पर न्यूनतम यात्री सुविधाएं प्रदान करने में विलंब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). बल्ली, कलकत्ता का एक उपनगरीय स्टेशन है और वहां सम्हाले जाने वाले यात्री यातायात की मात्रा के अनुरूप सुविधाओं की व्यवस्था है। बैठने के प्रबंध, पेयजल, शौचालयों और ऊपरी पैदल पुल की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध है। यह स्टेशन विद्युतीकृत भी है।

प्लासी रेलवे स्टेशन से अर्जित आय

167. डा. असीम बाला : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान सितम्बर, 1996 तक प्लासी रेलवे स्टेशन से कितनी आय अर्जित हुई;

(ख) क्या इस स्टेशन पर न्यूनतम यात्री सुविधाएं जैसे पेयजल, शेड, बैठने की व्यवस्था और प्रसाधन सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस स्थान की ओर अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये भी कोई कदम उठाए जा रहे है;

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इस स्टेशन की अपेक्षा करने के क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) 1993-94, 1994-95 और 1995-96 तथा सितंबर 1996 तक प्लासी रेलवे स्टेशन पर कुल कमाई क्रमानुसार 14 लाख रु0, 17.02 लाख रु., 22.37 लाख रु. तथा 10.35 लाख रु. हुई है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्लासी रेलवे स्टेशन निम्नलिखित सुविधा मदों से युक्त हैं :-

(1) 3 हैण्डपम्प
1 पैदल ऊपरी पुल
1 पुरूष प्रतीक्षा कक्ष
1 महिला प्रतीक्षा हाल
6 मूत्रालय

(2) प्लेटफार्म सं. 1-3 में बैठने की व्यवस्था।

(3) प्लेटफार्म सं. 1 पर शेड

(घ) से (च). प्रत्येक राज्य में पर्यटन का विकास मूलतः राज्य सरकार का दायित्व है पर्यटन विभाग निधि की उपलब्धता तथा परस्पर प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए राज्यों/संघ शासित क्षेत्र सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर विभिन्न/विनिर्दिष्ट योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है जहाँ तक प्लासी का प्रश्न है, न तो पर्यटन विभाग, न ही रेल ने राज्य सरकार या अन्य किसी एजेंसी से इसे पर्यटन स्थल के रुप में विकसित करने हेतु कोई योजना या मांग प्राप्त की है।

दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास एवं सिकंदराबाद रेल गाड़ी शुरू करना

168. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से सियालदाह और मुर्शिदाबाद के बीच सुबह एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने के लिए पश्चिम बंगाल के लोगों ने मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त रेलगाड़ी का नाम सिराज एक्सप्रेस रखे जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस रेलगाड़ी को शुरू नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतापाल महाराज) : (क) ओर (ख). क्षेत्र के सांसदों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ). संसाधनों की तंगी के अलावा परिचालनिक कठिनाई और लाइन क्षमता और टर्मिनल की तंगी के कारण सियालदाह से मुर्शिदाबाद तक फिलहाल एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

एअर इंडिया की उड़ानें

169. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी देश के कतर ने एअर इंडिया के विमानों को वहां उतरने की अनुमति नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). कतर एयरवेज एक तदर्थ हकदारी के अधीन भारत के लिए अपनी सेवाएं प्रचालित कर रही थी जिसके संबंध में एक सीमित अवधि के लिए द्विपक्षीय सहमति हुई थी। जब इस तदर्थ हकदारी को बढ़ाया नहीं गया तो कतर के नागर विमानन प्राधिकारियों ने 20 अप्रैल, 1995 से एअर इंडिया को दोहा के लिए अपनी सेवाएं प्रचालित करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया। मामले को राजनयिक स्तर पर उठाया गया था और 23.4.1995 से एअर इंडिया के दोहा के लिए प्रचालनों की अनुमति बहाल कर दी गयी। 20 से 23 अप्रैल, 1995 की अवधि के दौरान एअर इंडिया की केवल एक अनुसूचित उड़ान में व्यवधान आया था।

सरायघाट एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाना

170. श्री उद्धव बर्मन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम के लोगों द्वारा सरायघाट एक्सप्रेस हावड़ा–गुवाहाटी को सप्ताह में तीन बार के स्थान पर प्रतिदिन चलाने की मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरायघाट एक्सप्रेस को परिचालनिक कठिनाई और संसाधनों की तंगी के कारण प्रतिदिन चलाना फिलहाल व्यवहार्य नहीं है।

गरीफा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सुविधाएं

171. श्री तरित बरण तोपदार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीफा रेलवे स्टेशन के यात्रियों ने रेल प्राधिकारियों को न्यूनतम यात्री सुविधाएं प्रदान करने और उक्त रेलवे स्टेशन में सुधार करने हेतु एक अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस स्टेशन पर न्यूनतम यात्री सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है;

(ग) क्या इस स्टेशन से राजस्व अर्जन में भारी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार का इसमें सुधार करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) हुगली घाट स्टेशन की तरह इस स्टेशन को सुन्दर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ). इस स्टेशन पर यात्री यातायात की मात्रा के अनुरुप सुविधाएं मौजूद हैं। आगे सुधार के रुप में प्लेटफार्म पर सायबान तथा ऊपरी पैदल पुल स्वीकृत किए गए हैं। सौन्दर्यीकरण के दृष्टिकोण से मरम्मत/पुताई प्लेटफार्म दीवारों की मरम्मत तथा सीढ़ियों आदि का मरम्मत कार्य शुरू किया गया है।

केरल में आकाशवाणी की परियोजनाएं

172. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी द्वारा 1996-97 के दौरान केरल में कोई विकास परियोजना स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). 8वीं पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रुप में प्रस्तावित स्कीमों का ब्यौरा नीचे दिया गयाा है :-

स्थल	स्कीम
त्रिवेन्द्रम	नया टाइप-4 स्टूडियो
त्रिवेन्द्रम	विज्ञापन प्रसारण सेवा-1 कि.वा. मीडियम वेव ट्रांसमीटर के स्थान पर 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर स्थापित करना।
एल्लप्पी	100 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर का उन्नयन और 200 कि.वा.मी.वे. शक्ति का ट्रांसमीटर स्थापित करना।
मंजेरी (मल्लापुरम)	1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र, बहुदेशीय स्टूडियो और स्टाफ क्वार्टर।

[हिन्दी]

रेल लाइनों का विद्युतीकरण

173. **श्री आर.एल.पी. वर्मा : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में पेट्रोल तथा डीजल की कमी को देखते हुए मुगल सराय से गुवाहाटी तक रेल लाइन को विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) इस पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). मुगलसराय-रामपुर डुमरा-बरौनी खंड मुगलसराय-पटना-सीतारामपुर विद्युतीकरण परियोजना का भाग है। मार्च, 99 तक पूरे खंड को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य है। इस समय बरौनी-गुवाहाटी खण्ड को विद्युतीकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

ब्रुनई को श्रमिक भेजना

174. **श्री पी.सी. थामस : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रुनई को श्रमिक भेजने और उम्मीदवारों का चयन करने के कार्य में संलग्न एजेंसियों के नाम क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उम्मीदवारों के चयन हेतु इन एजेंसियों पर कौन-कौन सी शर्तें लगायी गयी है;

(ग) क्या सरकार को इस प्रकार की अवैध एजेंसियों/व्यक्तियों द्वारा बेरोजगार भारतीयों को लालच देकर उन्हें श्रमिक के रुप में भेजने संबंधी अवैध कार्य की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) श्रम मंत्रालय के पास पंजीकृत प्रत्येक भर्ती एजेन्ट या कोई परियोजना निर्यातक अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ब्रुनई सहित किसी देश को श्रम बल के निर्यात के लिए भर्ती का कार्य कर सकती है।

(ख) इस प्रयोजना के लिए श्रम मंत्रालय के पास पंजीकृत भर्ती एजेन्ट और परियोजना निर्यातकों से रोजगार करार, मांग पत्र और ब्रुनेई दारूसलाम स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा यथ प्रमाणित मुख्तारनामा प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

(ग) और (घ). जब कभी भर्ती एजेन्टों के अनधिकृत कार्यकरण के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उत्प्रवास अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उन पर आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए उनकी जांच पड़ताल की जाती है।

सुंदरबन क्षेत्र में रेलवे लाइन

175. **श्री समीक लहिरी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सुंदरबन क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) लक्ष्मीकांतपुर से नामखाना तक एक नई रेल लाइन (47 कि.मी.) का निर्माण शुरू किया गया है। लक्ष्मीकांतपुर से निश्चिंतपुर तक (21.95 कि.मी.) पहले ही पूरा कर लिया गया है। आने वाले वर्षों में शेष कार्य को पूरा किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में दूरदर्शन रिले केन्द्र

176. श्री महबूब जहेडी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में चालू दूरदर्शन परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी परियोजनाओं के पूरा होने की संभावना है;

(ग) इनकी वर्तमान स्थिति क्या है और इनके लिए कितना वित्तीय प्रावधान किया गया है; और

(घ) केन्द्र सरकार के पास पश्चिम बंगाल के कितने प्रस्ताव लंबित हैं और इन पर क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) वर्तमान में, पश्चिम बंगाल राज्य में दो स्टूडियो परियोजनाओं सहित सात दूरदर्शन परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन है।

(ख) और (ग). जबकि जलपाईगुड़ी में टेलीविजन स्टूडियो और फरक्का तथा मुर्शिदाबाद में अल्प शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर (डीडी-2) तकनीकी रुप से तैयार है और इन्हें चालू करने के लिए स्टाफ संबंधी मंजूरी प्रतीक्षित है तथापि राइना, बासंती एवं विष्णुपुर में अल्प शक्ति ट्रासंमीटरों को प्रत्येक को लगभग 1.00 करोड़ रु. की लागत पर वर्ष 1996-97 के अंत तक पूरा किए जाने की संभावना है। शांति निकेतन स्थित स्थायी स्टूडियो संस्थापन को 181.75 लाख रुपए की अनुमोदित लागत पर वर्ष 1997-98 के अंत तक पूरा किए जाने संभावना है। टेलीविजन स्टूडियो, जलपाईगुड़ी की अनुमोदित लागत 451.09 लाख रुपए है। इन परियोजनाओं के लिए दूरदर्शन की वार्षिक योजना 1996-97 में 258.47 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया था।

(घ) राज्यों में टेलीविजन सेवा के विस्तार के लिए राज्य सरकारों सहित विभिन्न मंचों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। दूरदर्शन परियोजनाओं हेतु स्थलों को अंतिम रुप देते समय जोकि एक सतत कार्यकलाप है, स्थल की उपयुक्तता, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, परिणामी कवरेज की सीमा एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं जैसे अन्य पहलुओं के साथ-साथ इस प्रकार के अनुरोधों को ध्यान में रखा जाता है।

तिरूअनंतपुरम जिले में रेलवे स्टेशनों पर रेलगाड़ियां ठहराना

177. श्री ए. सम्पथ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरूअनंतपुरम जिले में कतिपय उन स्टेशनों पर, जहां यात्रियों की संख्या काफी होती है, कुछ एक्सप्रेस गाड़ियों का कोई ठहराव नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या तिरूअनंतपुरम में वरकला रेलवे स्टेशन पर वांचिनाडू एक्सप्रेस ठहराने और चिरियांकिल और कडकवूर रेलवे स्टेशनों पर मद्रास मेल और दैनिक एक्सप्रेस को बारी-बारी से ठहराने की कोई मांग की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि वांचिनाडू एक्सप्रेस, मद्रास मेल, परसुराम एक्सप्रेस और इन्टर-सिटी एक्सप्रेस को उक्त स्टेशनों से बिना ठहराए निकाल दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त स्टेशन पर गाड़ियां ठहराने की मांग मान ली गई हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) मेल/एक्सप्रेस गाड़ी के अतिरिक्त ठहराव की व्यवस्था स्टेशन पर यातायात और थ्रू यात्रियों के हित को ध्यान में रखते हुए गाड़ी की तीव्र विशेषता को बनाए रखने की दृष्टि से की जाती है।

(ख) इस सबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) ये सभी गाड़ियां वरकला, कादकावूर और चिरयिंकिल स्टेशनों पर क्रासिंग के लिए रोकने के लिए अनुसूचित नहीं हैं। तथापि प्रतिदिन के आधार पर परिचालनिक आवश्यकताओं के कारण कुछ गाड़ियों को क्रासिंग के लिए रोकना पड़ता है।

(घ) जांच की गई परन्तु औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

टेलीफोन शुल्क

178. श्री राम नाईक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन विभाग उस समय की मूल समय सारिणी अपनाने के विकल्प पर जांच कर रही है जबकि रात्रि के 9 बजे की बजाय 10 बजे से एक चौथाई शुल्क की सुविधा उपलब्ध थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्विचिंग और पारेषण प्रौद्योगिकी दोनों के ही उन्नयन और आधुनिकीकरण के द्वारा प्रयोक्ताओं द्वारा रात्रि के 9 बजे से 11 बजे तक महसूस की जा रही आपाधापी को काफी हद तक कम किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ). रियायती अवधि की समय सारणी को बदलने की व्यवहार्यता की जांच की जा रही है। इसे तकनीकी, आर्थिक तथा परियात संबंधी अध्ययनों के आधार पर किया जा रहा है।

हावड़ा यार्ड में आधुनिक सुविधाओं का प्रावधान

179. **श्री सुब्रता मुखर्जी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा यार्ड में न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और कर्मचारी अत्यंत अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में वहां कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा हावड़ा यार्ड में पर्याप्त आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और कर्मचारियों की कार्य स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

विदेशों में भारतीय श्रमिकों के रोजगार हेतु सी.एम.ई.पी. परिषद

180. **श्री विजय गोयल :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों में भारतीय श्रमिकों के रोजगार को बढ़ावा देने हेतु केन्द्रीय श्रम शक्ति निर्यात संवर्धन परिषद (सी.एम.ई.पी.) गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो परिषद के कार्य क्या होंगे;

(ग) परिषद के सदस्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ). संवर्धनात्मक और सलाहकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक केन्द्रीय श्रम बल निर्यात संवर्धन परिषद गठित करने के लिए प्रस्ताव की सरकार जांच कर रही है। इस प्रयोजन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करने का प्रश्न तब हो उठेगा जब प्रस्तावित परिषद गठित करने का निर्णय लिया जायेगा, जो कि सरकार के अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा इस संबंध में सहमति देने पर निर्भर करता है।

असम में आकाशवाणी/दूरदर्शन हेतु स्टाफ क्वार्टर

181. **डा. जयंत रंगपी :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुवाहाटी में अब तक आकाशवाणी/दूरदर्शन के स्टाफ क्वाटरों के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ग) क्या गुवाहाटी के आकाशवाणी और दूरदर्शन स्टाफ से इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (घ). आकाशवाणी/दूरदर्शन स्टाफ सहित विभिन्न स्रोतों से समय-समय पर स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण हेतु अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं तथा अपेक्षित आधारभूत सुविधाएं, वित्तीय संसाधन की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं के अधीन गुणावगुण आधार पर इनको कार्यान्वित किया जाता है। आकाशवाणी, गुवाहाटी में 109 स्टाफ क्वार्टर उपलब्ध हैं। 4 और स्टाफ क्वार्टर पूरे किए जा चुके हैं। 27 स्टाफ क्वार्टर निर्माणाधीन हैं जिनमें से 12 के मार्च, 97 तक पूरा होने की संभावना है तथा बाकी 15 का सिविल निर्माण कार्य प्रगति पर है। दूरदर्शन की भी गुवाहाटी में स्टाफ क्वार्टर बनाने की योजना है। उक्त निर्माण के लिए स्थल अधिग्रहित कर लिया गया है। तथापि, स्कीम अभी मंजूरी की जानी है। स्कीम के मंजूर होने के पश्चात इस आकार की परियोजना के पूरा होने में 3-4 वर्ष का सामान्य समय लगता है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र विधान मंडल के सदस्यों द्वारा आर.ए.सी. में कोटे की मांग

182. **श्री हंस राज अहीर :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र विधान मंडल के सदस्यों ने अपनी यात्रा के दौरान "रिजर्वेशन अगेंस्ट कैन्सिलेशन" (आर.ए.सी.) में कोटे की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) महाराष्ट्र विधान परिषद की विशेषाधिकार समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि यात्रियों को आर.ए.सी. प्रर बर्थ आबंटित करते समय विधायकों को प्रतीक्षा सूची में उनके नम्बर का ध्यान रखे बिना प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(ख) आर.ए.सी. में सामान्य यात्रियों के ऊपर विधायकों को तरजीह देना उचित नहीं समझा गया है क्योंकि ऐसा करने से आरक्षण के आबंटन में पक्षपात करने के प्रश्न पैदा होते हैं जो सभी को बारी आने पर दिया जाता है। बहरहाल, इस प्रकार के अनुदेश पहले से ही हैं कि विधायकों को अंतिम क्षण में गाड़ी में चढ़ते समय यात्रा और स्थान के आबंटन, अगर उपलब्ध हो, में सुविधा दी जाए।

[अनुवाद]

स्टार टी.वी. को प्रसारण अधिकार

183. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टार टी.वी. को प्रसारण अधिकार देने के लिए क्या-क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं; और

(ख) इस समय विभिन्न टी.वी. स्टेशनों से प्रसारित किए जा रहे दूरदर्शन के कार्यक्रमों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) दूरदर्शन ने स्टार टी.वी. को कोई प्रसारण अधिकार देने की पेश-कश नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में आकाशवाणी का एफ.एम. बैण्ड

184. **श्री विजय कुमार खण्डेलवाल :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बेतूल शहर में आल इंडिया रेडियो के केन्द्र का प्रसारण क्षेत्र केवल बेतूल जिले तक ही सीमित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) सरकार द्वारा और अधिक क्षेत्र को प्रसारण के अन्तर्गत लाने के लिए एफ.एम. बैण्ड उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्य में पंचायतों में एफ. एम. बैण्ड वाले रेडियो सेट उपलब्ध कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो अब तक इस प्रकार के कितने रेडियो सेट प्रदान किए गए है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). जी, हां। बेतूल स्थित 6 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर (स्थानीय रेडियो केन्द्र) द्वारा समस्त बेतूल जिले को कवर किया जाता है।

(ग) सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में बारह एफ.एम. केन्द्र/चैनल चालू किए गए हैं। वाणिज्यिक चैनल के विस्तार के एक भाग के रुप में जबलपुर में एक 10 कि.वा. ट्रांसमीटर स्थापित किया जा रहा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में ग्रामसेट योजना

185. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में विशेष रुप से झबुआ जिले में ग्रामसेट योजना पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत प्रसारित किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इन कार्यक्रमों में जनजातीय लोगों को शामिल करने का है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

केरल में रेल उद्योग

186. **श्री टी. गोविन्दन :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के औद्योगिक रुप से पिछड़े जिलों में रेलवे से जुड़े उद्योग लगाने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में अनारक्षित डिब्बों की संख्या में वृद्धि

187. **डा. सत्यनारायण जटिया :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है जिनमें अक्तूबर, 1996 को अनारक्षित डिब्बों की संख्या में वृद्धि की गई है; और

(ख) अगले वर्ष के दौरान उन रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है जिनमें उपरोक्त डिब्बे बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) परिचालनिक व्यवहार्यता, यातायात के औचित्य और सवारी डिब्बों की उपलब्धता के आधार पर भारतीय रेलों पर गाड़ियों में अनारक्षित सवारी डिब्बों सहित अतिरिक्त सवारी डिब्बों की व्यवस्था करना एक सतत प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

मेक्सी–दाहोद रेलवे लाइन

188. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेक्सी–दाहोद (बरास्ता इन्दौर) रेलवे लाइन योजना के संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या उपरोक्त लाइन पर काम रोक दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) कार्य के प्रथम चरण अर्थात देवास-मेक्सी खंड पर कार्य को शुरू करने के लिए उसे अभी हाल ही में हाथ में लिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आने वाले वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार।

पीसमील मांग पत्र की स्वीकृति

189. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के प्राधिकारी दीमापुर रेलवे स्टेशन पर इमारती लकड़ी की दुलाई के लिए पीसमील मांग पत्र स्वीकार करने से इंकार करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मांग पत्र स्वीकार करने और माल डिब्बे उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

पश्चिम विदर्भ क्षेत्र तथा दिल्ली के बीच एक्सप्रेस गाड़ी का चलाया जाना

190. श्री अनन्त गुढ़े : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम विदर्भ क्षेत्र से दिल्ली तक एक नई एक्सप्रेस गाड़ी चलाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) विदर्भ क्षेत्र के लिए घोषित परियोजनाओं तथा उनमें से स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ङ) परियोजनावार कितना वास्तविक कार्य किया गया है तथा कार्य निष्पादन न होने के क्या कारण है; और

(च) विदर्भ में एक्सप्रेस और द्रुतगामी गाड़ियों को रोकने की लम्बे अर्से से लंबित मांग पर तथा लम्बी यात्रा के लिए विदर्भ से यात्रियों को आरक्षण में अतिरिक्त कोटा देने पर क्या कार्यवाही की गई हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाई एवं संसाधनों की तंगी।

(घ) और (ङ). हाल में विदर्भ क्षेत्र के लिए कोई परियोजना घोषित अथवा अनुमोदित नहीं की गई है।

(च) जब ठहराव के लिए अनुरोध प्राप्त होते हैं तो इनकी जांच की जाती है और व्यवहारिक तथा औचित्यपूर्ण पाए जाने पर कार्रवाई की जाती है।

जहां तक विदर्भ से लम्बी दूरी के यात्रियों के लिए अतिरिक्त आरक्षण कोटे का संबंध है, विदर्भ क्षेत्र के स्टेशनों के लिए प्रत्येक के सामने उल्लिखित तारीखों से निम्नलिखित अतिरिक्त/नया आरक्षण कोटा आबंटित किया गया है :

गाड़ी संख्या	श्रेणी	मौजूदा कोटा	बढ़ाया गया/ नया कोटा	तारीख
1	2	3	4	5
अकोला				
1006 विदर्भ एक्सप्रेस	एसी 3 टियर	4	8	15.10.96
6046 नवजीवन एक्सप्रेस	वही	–	2	1.10.96
	शयनयान	8	10	1.10.96

1	2	3	4	5
8404 अहमदाबाद-पुरी एक्सप्रेस	एसी 2 टियर	–	2	3.10.96
नागपुर				
9767 मद्रास-जयपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस	शयनयान	–	14	4.10.96
8404 अहमदाबाद-पुरी एक्स.	एसी 2 टियर	–	4	3.10.96
सेवाग्राम				
9767 मद्रास जयपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस	शयनयान	–	2	3.10.96
बल्लारशाह				
6046 नवजीवन एक्सप्रेस	एसी 3 टियर	–	2	1.10.96
	शयनयान	4	6	1.10.96
चन्द्रपुर				
6046 नवजीवन एक्सप्रेस	एसी 3 टियर	–	2	1.10.96
नरखेड़				
2409 बिलासपुर-निजामुद्दीन गौंडवाना एक्सप्रेस	शयनयान	–	2	20.10.96
2407 नागपुर-निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस	शयनयान	–	2	10.10.96

रेलवे द्वारा विज्ञापनों तथा प्रचार पर खर्च

191. **श्री प्रमोद महाजन :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा 1 जून, 1996 से आज तक प्रेस, रेडियो तथा दूरदर्शन के माध्यम से विज्ञापन तथा प्रचार पर जोन-वार तथा महीने-वार कुल कितना खर्च हुआ;

(ख) इसमें किस-प्रकार के विज्ञापन दिये गये और इनसे किन उद्देश्यों की पूर्ति हुई;

(ग) ये विज्ञापन किन व्यक्तियों के निर्देश जारी किए गए;

(घ) क्या सरकार ने रेल मंत्रालय तथा जोनल रेलवे कार्यालयों को विज्ञापन प्रचार इत्यादि करने हेतु कोई निर्देश/मार्ग निर्देश दिए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रोजगार कार्यालय

192. **डा. मुरली मनोहर जोशी :**
श्री संदीपान थोरात :
श्री नामदेव दिवाथे :
श्री अशोक प्रधान :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार रोजगार कार्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य-वार दर्ज किये गये (तकनीकी/गैर तकनीकी) व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार प्रतिशतता सहित स्थानापन किये गये (तकनीकी/गैर तकनीकी) व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(घ) राज्य-वार ऐसे रोजगार कार्यालय स्थापित करने पर लगभग कितना वार्षिक व्यय हुआ है;

(ङ) क्या देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश के साथ ही बेरोजगारी बढ़ी है;

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(छ) क्या सरकार ने आई.टी.आई., पोलीटेक्निक, उपस्करों की खरीद, पाठ्यक्रम विषय सामग्री में परिवर्तन तथा नया कौशल शुरू करने के माध्यम से कुशल/गैर-कुशल/अर्ध कुशल नौजवानों को प्रशिक्षित किया है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) इस संबंध में विभिन्न राज्यों को क्या अनुदेश दिये गये हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग). वर्ष 1991, 1992 एवं 1993 के दौरान राज्य वार रोजगार केन्द्रों पंजीकृत रोजगार चाहने वालों, नियोजितों की शिक्षा श्रेणी वार संख्या संलग्न विवरण में निर्दिष्ट है। तकनीकी एवं गैर-तकनीकी पंजीकृतों की सूचना पृथक रुप से नहीं रखी गई है।

(घ) रोजगार केन्द्र राज्य सरकारों के प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण में कार्य करते हैं और इसलिए रोजगार केन्द्रों की स्थापना का व्यय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है।

(ङ) और (च). बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के रोजगार अथवा बेरोजगारी पर प्रभाव का विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, संगठित क्षेत्र में 31.3.1991 की स्थिति के अनुसार रोजगार जो 26.7 मिलियन था, 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार बढ़ कर 27.7 मिलियन हो गया है।

(छ) से (झ). श्रम मंत्रालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एक व्यवसायिक प्रशिक्षण परियोजना का कार्यान्वयन करता है। परियोजना का कार्यान्वयन विश्व बैंक की सहायता से 28 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में किया जा रहा है जिसमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का स्तर बढ़ाना, जैसे पुराने और अप्रचलित उपकरण, स्टाफ का प्रशिक्षण, दृश्य-श्रव्य सहायकों का प्रावधान, उपकरण अनुरक्षण प्रणाली की स्थापना तथा चुनिंदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संबंधित व्यवसायों का आरंभ, शामिल है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली को अद्यतन एवं आधुनिक बनाना है। परियोजना के कार्यान्वयन के स्तर की समय-समय पर विश्व बैंक समीक्षा मिशन द्वारा संबंधित राज्यों की भागीदारी के साथ समीक्षा की जाती है। राज्य सरकारों को समीक्षा मिशन द्वारा की गई सिफारिशों को, परियोजना के त्वरित कार्यान्वयन हेतु, कार्यान्वित करने के अनुदेश दिए गए हैं, जिससे इसके विकास उद्देश्य प्राप्त किए जा सकें।

विवरण

देश में रोजगार केन्द्रों द्वारा किए गए पंजीकरणों और नियोजनों की संख्या

(संख्या हजार में)

		किए गए पंजीकरण					
	रोजगार	1991		1992		1993	
राज्य/संघ शासित	केन्द्रों की सं.	मैट्रिक से कम (अशिक्षितों को शामिल करके)	मैट्रिक व उससे ऊपर	मैट्रिक से कम (अशिक्षितों को शामिल करना)	मैट्रिक व उससे ऊपर	मैट्रिक से कम (अशिक्षितों को शामिल करना)	मैट्रिक व उससे ऊपर
1	2	3	4	5	6	7	8
1. आंध्र प्रदेश	32	124.1	254.1	123.3	283.8	88.2	286.1
2. अरुणाचल प्रदेश	5	0.5	0.7	0.9	0.5	0.9	0.5
3. असम	53	181.4	228.8	50.0	94.5	55.3	82.0
4. बिहार	66	204.7	497.0	130.7	327.7	201.7	242.5
5. गोवा	1	1.6	9.0	8.3	5.4	5.5	7.0
6. गुजरात	43	67.4	129.2	40.3	140.9	61.6	93.3
7. हरियाणा	94	96.4	167.4	63.2	151.5	88.2	138.6

1		2	3	4	5	6	7	8
8.	हिमाचल प्रदेश	15	19.7	65.4	20.4	76.0	29.3	74.2
9.	जम्मू और कश्मीर	14	43.2	11.2	13.7	8.6	28.4	12.3
10.	कर्नाटक	38	137.7	221.2	72.6	203.4	115.4	206.9
11.	केरल	65	86.0	328.7	55.6	304.3	82.7	304.7
12.	मध्य प्रदेश	65	98.0	238.0	97.8	244.4	115.0	353.3
13.	महाराष्ट्र	42	201.9	376.9	150.3	401.1	185.8	409.7
14.	मणिपुर	9	10.9	16.7	2.3	15.2	4.5	13.4
15.	मेघालय	10	4.6	3.9	4.3	4.1	4.2	4.5
16.	मिजोरम	3	2.4	8.3	0.1	7.9	3.8	9.0
17.	नागालैंड	7	2.2	4.1	1.9	4.0	3.5	3.3
18.	उड़ीसा	36	84.7	123.9	47.9	132.7	56.7	147.0
19.	पंजाब	43	54.5	89.2	61.9	78.1	35.8	72.6
20.	राजस्थान	35	63.8	108.3	69.6	105.5	63.3	111.6
21.	सिक्किम*							
22.	तमिलनाडु	34	96.3	463.7	65.2	495.2	156.6	389.5
23.	त्रिपुरा	4	7.3	3.1	12.0	6.0	17.2	3.3
24.	उत्तर प्रदेश	89	145.2	469.0	139.6	384.5	158.5	366.8
25.	पश्चिम बंगाल	74	216.7	241.9	124.4	255.2	247.3	182.0
संघ शासित क्षेत्र								
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1	1.7	2.3	1.3	2.3	4.7	–
27.	चंडीगढ़	2	11.8	15.5	7.3	13.6	9.6	14.1
28.	दादर व नगर हवेली	1	0.7	0.3	0.5	0.3	0.7	–
29.	दिल्ली	20	55.3	124.7	53.0	123.2	48.1	116.1
30.	दमन व दीप	2	–	0.4	–	0.4	–	0.6
31.	लक्षद्वीप	1	0.9	–	0.9	–	1.9	–
32.	पांडिचेरी	1	6.5	5.1	6.9	4.3	4.2	8.8
	जोड़	905	2027.7	4208.2	1425.8	3874.8	1878.6	3653.6

नोट : 1. *इस राज्य में कोई भी रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2. हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण कालम संख्या 3 से 14 तक के आंकड़े योग से मेल न खाएं।

3. xxआंकड़े 50 से कम।

विवरण

देश में रोजगार केन्द्रों द्वारा किए गए पंजीकरणों और नियोजनों की संख्या

(संख्या हजार में)

राज्य/संघ शसित प्रदेश	किया गया नियोजन						पंजीकरण की तुलना में नियोजन की प्रतिशत	
	1991		1992		1993		1993	
	मैट्रिक से कम (अशिक्षितों को शामिल	मैट्रिक व उससे ऊपर करके)	मैट्रिक से कम (अशिक्षितों को शामिल	मैट्रिक व उससे ऊपर करना)	मैट्रिक से कम (अशिक्षितों को शामिल	मैट्रिक व उससे ऊपर को शामिल करना)	मैट्रिक से कम (अशिक्षितों	मैट्रिक व उससे ऊपर को शामिल करके)
1	9	10	11	12	13	14	15	16
1. आंध्र प्रदेश	9.3	6.1	12.6	6.5	11.6	4.4	13.2	1.5
2. अरुणाचल प्रदेश	**	-	**	**	0.1	**	11.1	-
3. असम	2.6	1.4	1.7	1.0	2.2	0.6	4.0	0.7
4. बिहार	10.6	2.4	11.8	1.5	13.5	0.8	6.7	0.3
5. गोवा	0.3	0.5	-	0.1	0.2	0.4	3.6	5.7
6. गुजरात	6.8	9.4	8.5	16.4	18.9	9.2	30.7	9.9
7. हरियाणा	5.1	2.2	2.3	1.3	3.2	1.3	3.6	0.9
8. हिमाचल प्रदेश	1.4	2.4	2.8	2.5	1.6	2.7	5.5	3.6
9. जम्मू और कश्मीर	0.6	0.1	0.1	0.2	1.1	0.1	3.9	0.8
10. कर्नाटक	9.2	4.9	4.8	5.7	7.3	8.3	6.4	4.0
11. केरल	2.3	13.8	1.4	14.2	6.2	10.4	7.5	3.4
12. मध्य प्रदेश	9.3	5.6	8.2	5.9	9.3	8.7	8.1	2.5
13. महाराष्ट्र	12.6	17.0	9.6	17.3	11.6	14.0	6.2	3.4
14. मणिपुर	-	0.1	-	0.1	0.1	0.2	2.2	1.5
15. मेघालय	0.2	0.3	0.2	0.1	-	0.2	-	4.4
16. मिजोरम	0.5	0.3	0.1	0.4	0.6	0.3	15.8	3.3
17. नागालैंड	0.1	0.1	0.1	0.2	-	0.1	-	3.0
18. उड़ीसा	2.9	4.7	2.5	4.6	2.1	2.7	3.7	1.8
19. पंजाब	3.7	2.7	3.0	2.1	2.2	1.7	6.2	2.3
20. राजस्थान	1.8	9.3	2.2	10.4	2.2	6.8	3.5	6.1
21. सिक्किम*								
22. तमिलनाडु	14.7	23.9	7.4	22.8	14.9	9.1	9.5	2.3
23. त्रिपुरा	0.3	0.1	0.1	0.8	2.4	0.1	14.0	3.0
24. उत्तर प्रदेश	11.4	6.0	13.5	5.4	8.1	6.8	5.1	1.9
25. पश्चिम बंगाल	4.4	5.3	2.4	5.0	4.1	2.4	1.7	1.3

1	9	10	11	12	13	14	15	16
संघ शासित क्षेत्र								
26. अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	–	0.5	0.1	0.5	0.5	–	10.6	–
27. चंडीगढ़	0.6	0.7	0.5	0.6	0.7	0.7	7.3	5.0
28. दादर व नगर हवेली	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–
29. दिल्ली	16.6	5.4	14.3	2.5	11.6	2.8	24.1	2.4
दमन और दीव	–	**	**	**	–	0.2	–	33.3
31. लक्षद्वीप	0.1	–	0.1	–	0.2	–	10.5	–
32. पांडिचेरी	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.4	2.4	4.5
जोड़	127.5	125.5	110.3	128.4	136.3	95.1	7.3	2.6

नोट : 1. *इस राज्य में कोई भी रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2. हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण कालम संख्या 3 से 14 तक के आंकड़े योग से मेल न खाएँ।

3. **आंकड़े 50 से कम।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा किराए में वृद्धि

193. श्री पी. नामग्याल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न दरों से अपने हवाई किराए में एक वर्ष में दो बार वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई किराए की दर में वृद्धि उत्तरी क्षेत्रों विशेष रुप से पिछड़े क्षेत्र लद्दाख जो एक वर्ष में सात महोने से अधिक समय तक शेष क्षेत्र से कटा हुआ रहता है की तुलना में कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है;

(ङ) क्या लद्दाख क्षेत्र के लोगों ने इस संबंध में कड़ा विरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक उठाए हैं ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). जी, हां। लेह के लिए उड़ानों के प्रचालनों की ऊंची लागत के कारण, पूर्वोत्तर क्षेत्र की तुलना में लद्दाख क्षेत्र में विमान किराए की वृद्धि दरें अधिक हैं। इन उड़ानों से प्राप्त राजस्व से प्रचालन लागत भी पूरी नहीं हो पाती। तथापि, इंडियन एयरलाइन्स लेह से/के लिए किराए अन्य सैक्टरों के किरायों के बराबर रखे हुए हैं।

(ङ) और (च). उपर्युक्त कारण से, इस संबंध में प्राप्त अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया जा सका।

[हिन्दी]

ताज संरक्षित क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना

194. श्री भगवान शंकर रावत : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का ताज संरक्षित क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन करने का प्रस्ताव है जैसा कि ताज के सम्पूर्ण विकास के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के निगम के साथ तैयार की गई "आगरा विरासत परियोजना" में सुझाया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(ग) आगरा विरासत परियोजना में पर्यटन के विकास हेतु की गई अन्य विशेषताओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन सिफारिशों को लागू करने के लिए कार्य योजना का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख). आगरा हैरिटेज स्थलों के कार्यकलापों के समन्वय के लिए एकमात्र प्रक्रिया स्थापित करने के लिए अन्तिम निर्णय, एशिया विकास बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश में आगर, मथुरा और फिरोजाबाद समलम्ब (ट्रेपिजियम) के पर्यावरण सुधार और निरंतर विकास पर प्रस्तावित तकनीकी सहायता परियोजना में भी इसी प्रकार के विषय पर विचार करने के पश्चात, लिया जा सकता है।

(ग) भारत सरकार-नेशनल पार्क सर्विसिस यू.एस.ए. की आगरा हैरिटेज परियोजना की मुख्य सिफारिशें निम्न हैं :-

1. निरंतर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना
2. औद्योगिक प्रचालनों में सुधार करना

3. आगरा बाई-पास रोड और रिंग रोड का निर्माण
4. केन्द्रीय आगरा में गैस/एल पी जी का प्रयोग सुनिश्चित करना
5. जल आपूर्ति की स्थिति के सुधार के लिए आगरा बैराज का निर्माण
6. प्रभावी मलजल अभिक्रिया और ठोस अपजल प्रबंध सुनिश्चित करना।

(घ) भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही कुछ सिफारिशों का कार्यान्वयन प्रारम्भ कर दिया है।

[अनुवाद]

मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में रसोईयान की उपलब्धता

195. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो स्टील सिटी, धनबाद और रांची रेलवे स्टेशनों से गुजरने वाली उन मैल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के नाम क्या हैं जिनमें रसोईयान उपलब्ध हैं;

(ख) क्या सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें सभी महत्वपूर्ण रेल गाड़ियों में रसोई यान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) पैंट्रीयान निम्नलिखित गाड़ियों में उपलब्ध है :-

बोकारो स्टील सिटी और रांची

8101/8102 हटिया-पठानकोट एक्सप्रेस।

धनबाद

2381/2382 - पूर्व एक्सप्रेस।

2421/2422 - भुवनेश्वर-नई दिल्ली राजधानी।

3317/3318 - ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस।

3029/3030 - कोल एक्सप्रेस।

2307/2308 - जोधपुर एक्सप्रेस।

2301/23002 - हवड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ). लम्बी दूरी की गाड़ियों में पैंट्रीकार तथा चल खानपान सेवायें गाड़ियों के महत्व, चालन समय, ठहराव, मार्गवर्ती स्थैतिक इकाईयों से खानपान सेवाओं की पर्याप्त उपलब्धता तथा गाड़ियों के अधिकतम अनुमेय भार के अनुसार प्रदान की जाती हैं। 8689/8690 बोकारो-एलेप्पी एक्सप्रेस तथा 9305/9306 इन्दौर-हवड़ा शिप्रा एक्सप्रेस गाड़ियों में पैंट्रीयान सुविधाओं की व्यवस्था करने का विनिश्चय किया गया है।

कन्नड़ समाचार की अवधि में वृद्धि

196. **श्री के.सी. कोंडय्या :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर दूरदर्शन द्वारा कन्नड़ समाचार बुलेटिन की वर्तमान अवधि क्या है; और

(ख) क्या सरकार का इस अवधि को बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि और अधिक क्षेत्रीय समाचारों को शामिल करके दर्शकों को नवीनतम समाचारों की जानकारी देने के लिए दूसरा कन्नड़ समाचार प्रसारित किया जा सके?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) प्रतिदिन 15 मिनट।

(ख) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

वंडर लूप

197. **श्री अमर पाल सिंह :**

प्रो. ओमपाल सिंह "निडर" :

श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 सितम्बर, 1996 के "इंडिया टुडे" में "वन्डर लूप" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उसके आर्थिक पहलू क्या है;

(घ) क्या सरकार का इस प्रौद्योगिकी को अपनाने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). जी हां। 30 सितम्बर, 1996 के "इंडिया टुडे" में "वन्डर लूप" शीर्षक से प्रकाशित समाचार में, स्वदेशी रुप से विकसित बेतार स्थानीय लूप प्रणाली का उल्लेख किया गया है जिसमें उपभोक्ताओं को टेलीफोन एक्सचेंज से जोड़ने के लिए रेडियो सिंगनलों का प्रयोग किया जाता है। यह प्रणाली, आई आई टी मद्रास, एक भारतीय कंपनी और एक अमरीकी कंपनी के संयुक्त प्रयासों से विकसित की गई है। यह प्रणाली, परीक्षण हेतु चेन्नई में संस्थापित की गई है।

(ग) इस प्रणाली के आर्थिक पहलू के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है।

(घ) और (ङ). सरकार की दूरसंचार नेटवर्क में बेतार स्थानीय लूप प्रणाली की शुरूआत करने की योजना ऐसी प्रणालियों की जरुरतों के बारे में व्यापक विनिर्देशन पहले ही तैयार कर लिया गया है। स्थानीय लूप प्रणालियों में ऐसी बेतार प्रणालियों जो मोटे तौर पर जरुरतों को पूरा करती है, का क्षेत्र परीक्षण किया जाता है यदि कंपनियों द्वारा उनकी पेशकश की जाती है।

(च) उपर्युक्त भाग (घ) तथा (ङ) के उत्तर को देखते हुए, लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

प्रसार भारती अधिनियम के संबंध में रिपोर्ट

198. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
श्री तारीक अनवर :
श्री परस राम भारद्वाज :
श्री नवल किशोर गौतम :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :
श्री पी.आर. दासमंशी :
श्री एन.एन. कृष्णदास :
श्री समीक लहिरी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसार भारती अधिनियम के संबंध में गठित विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त दल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इन्हें कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) विशेषज्ञ दल की मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ). इस बारे में सरकार द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों/राज्य सरकारों के साथ व्यापक रुप से परामर्श किया जा रहा है। इनके आधार पर संसद में शीघ्र ही एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।

विवरण

विशेषज्ञ दल की प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 से संबंधित मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार हैं :-

- अधिनियम में यथा परिकल्पित प्रसार भारती को एक सांविधिक निगम के रुप में स्थापित किया जाना चाहिए;
- आकाशवाणी और दूरदर्शन को प्रसार भारती निगम के मुख्यालय के नियंत्रणाधीन दो अलग-अलग स्कंधों के रुप में बांटा जाना चाहिए और निगम द्वारा स्पष्ट रुप से परिभाषित क्षेत्रों में दोनों के बीच समन्वय होना चाहिए;
- प्रसार भारती बोर्ड की पुनःसंरचना की जानी चाहिए जिसमें अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक के कार्यों को समावेशित करते हुए एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, छः पूर्णकालिक सदस्यों, चार अंशकालिक सदस्यों, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधि तथा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के प्रबंध निदेशकों को सहयोजित किया जाना चाहिए;
- बोर्ड स्तर से नीचे प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी होनी चाहिए;
- बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति, भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जानी चाहिए जिसमें राज्यों की परिषद के अध्यक्ष, विपक्षी दल के नेता तथा प्रेस परिषद के अध्यक्ष को सम्मिलित किया जाना चाहिए;
- अध्यक्ष, सदस्यों के कार्यकाल और अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एवं तैनाती से संबंधित कुछ सुझाव;
- धारा 13(1) में प्रावधित संसदीय समिति को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि इसके कार्य की देखरेख संचार संबंधी स्थायी समिति, मंत्रालय से संबद्ध परामर्शदात्री समिति और प्रस्तावित भारतीय रेडियो एवं टेलीविजन प्राधिकरण (उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार) द्वारा की जा सकती है;
- धारा 24 में क्षेत्रों को स्पष्ट रुप से परिभाषित किया जाना चाहिए जिनके बारे में निगम द्वारा केन्द्रीय सरकार को सूचना प्रस्तुत की जाएगी;
- 5000 करोड़ रुपये की प्राधिकृत शेयर पूंजी, 2000 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी तथा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन की परिसम्पत्तियों को पट्टे पर निगम को हस्तांतरित किया जाना चाहिए;
- प्रसार भारती के आत्मनिर्भर बनने तक सरकार द्वारा इस विज्ञापन एवं वाणिज्यिक राजस्व से वार्षिक सहायता अनुदान प्रदान किया जाना चाहिए;
- टेलीविजन सैटों के लिए वार्षिक या एकमुश्त प्रसारक रिसीवर लाइसेंस शुल्क पुनः आरंभ करना;

- सार्वजनिक सेवा प्रसारण चैनलों के प्रचालन संबंधी लागत को सहायता–अनुदान, इक्विटी या ऋण के माध्यम से सरकारी वित्तपोषण से पूरा किया जाना चाहिए।
- कुछ सुझाव व्यावसायिक विपणन संगठन के सृजन, उद्यमशील विपणन नीतियों और कुछ चैनलों को केवल शिक्षा क्षेत्र के लिए रखे जाने से संबंधित हैं।

[अनुवाद]

दक्षिण रेलवे का विभाजन

199. **श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण रेलवे को दक्षिण जोन तथा पश्चिम जोन में विभाजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस प्रस्तावित पुनर्गठन से पालक्काड तथा त्रिवेंद्रम डिवीजनों के वर्चस्व के समाप्त हो जाने की संभावना से अवगत है; और

(घ) क्या केरल की इन डिवीजनों द्वारा होने वाली आय के अनुपात में रेलवे विकास का हिस्सा मिलने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). जी नहीं, सरकार ने भुवनेश्वर, इलाहाबाद, हाजीपुर, जयपुर, बेंगलूरू तथा जबलपुर में छह नये क्षेत्रीय रेल मुख्यालय स्थापित करने का फैसला किया हैं। पुनर्गठन के परिणामस्वरूप मंडलों का महत्व कम होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ). सम्पूर्ण भारतीय रेलों पर यातायात की आवश्यकताओं के आधार पर रेलवे निवेश किए जाते हैं। निवेश के फैसले राज्यवार नहीं किए जाते हैं।

हरियाणा में इलैक्ट्रानिक तथा मानव चालित (मेनुअल) दूरभाष केन्द्र

200. **श्री आई.डी. स्वामी :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में जिलेवार इलेक्ट्रॉनिक और मानव चालित (मेनुअल) दूरभाष केन्द्रों की संख्या कितनी है तथा उनकी क्षमता कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में जिलेवार कितने दूरभाष केन्द्रों को इलेक्ट्रॉनिक केन्द्रों में परिणत किया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त राज्य में जिलेवार कितने नये इलेक्ट्रॉनिक केन्द्रों की स्थापना की गयी है; और

(घ) वर्ष 1996-97 के दौरान हरियाणा में जिलेवार कितने दूरभाष केन्द्रों को इलेक्ट्रॉनिक केन्द्रों में परिणत किया जाने का प्रस्ताव है तथा कितने नये इलेक्ट्रॉनिक केन्द्रों की स्थापना किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिए गए हैं।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण II में दिए गए हैं।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण III में दिए गए हैं।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण IV में दिए गए हैं।

विवरण I

हरियाणा में एक्सचेंजों की क्षमता सहित टेलीफोन एक्सचेंजों (मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक) की संख्या

क्र.सं.	जिला	मैनुअल एक्सचेंजों की संख्या	इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की संख्या	क्षमता
1.	अम्बाला	शून्य	86	36660
2.	यमुनानगर	शून्य	42	14380
3.	फरीदाबाद	शून्य	33	59080
4.	गुड़गांव	शून्य	37	51116
5.	रिवाड़ी	शून्य	28	6684
6.	महिन्द्रगढ़	शून्य	24	4464
7.	करनाल	शून्य	45	14512
8.	कैथल	शून्य	30	6804
9.	कुरूक्षेत्र	शून्य	34	14408
10.	पानीपत	शून्य	18	17828
11.	हिस्सार	शून्य	87	36652
12.	सिरसा	शून्य	56	8040
13.	जींद	शून्य	67	13656
14.	रोहतक	शून्य	55	20468
15.	भिवानी	शून्य	57	13820
16.	सोनीपत	शून्य	38	11560
			737	330132

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में परिवर्तित किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या

क्र.सं.	जिला	93-94 के दौरान परिवर्तित	94-95 के दौरान परिवर्तित	95-96 के दौरान परिवर्तित
1.	अम्बाला	1	1	-
2.	यमुनानगर	3	-	-
3.	फरीदाबाद	4	2	-
4.	गुड़गांव	8	3	-
5.	रिवाड़ी	5	1	-
6.	महिन्द्रगढ़	4	1	-
7.	करनाल	2	1	-
8.	कैथल	3	1	-
9.	कुरूक्षेत्र	1	2	-
10.	पानीपत	2	2	-
11.	हिस्सार	3	3	-
12.	सिरसा	4	2	-
13.	जींद	2	1	-
14.	रोहतक	2	-	-
15.	भिवानी	2	-	-
16.	सोनीपत	1	-	-
	जोड़	347	20	-

विवरण III

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित नए टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या

क्र.सं.	जिला	93-94 के दौरान परिवर्तित	94-95 के दौरान परिवर्तित	95-96 के दौरान परिवर्तित
1	2	3	4	5
1.	अम्बाला	5	9	5
2.	यमुनानगर	2	4	3
3.	फरीदाबाद	2	2	1
4.	गुड़गांव	2	-	3
5.	करनाल	2	4	3
6.	कैथल	3	5	3
7.	कुरूक्षेत्र	3	4	3
8.	पानीपत	2	3	2
9.	हिसार	8	13	12
10.	सिरसा	7	15	10
11.	रोहतक	-	5	3
12.	भिवानी	1	6	3
13.	जींद	12	8	6
14.	सोनीपत	-	2	3
15.	रिवाड़ी	4	2	1
16.	महिन्द्रगढ़	2	1	1
	जोड़	55	83	62

विवरण IV

वर्ष 1996-97 के दौरान इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में परिवर्तित किए जाने वाले प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	परिवर्तित किए जाने वाले एक्सचेंजों की संख्या
1.	हिसार	1
2.	रोहतक	1

1996-97 के दौरान स्थापित किए जाने वाले नए इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों की संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	स्थापित किए जाने वाले एक्सचेंजों की संख्या
1.	हिसार	4
2.	सिरसा	3
3.	करनाल	1
4.	पानीपत	2
5.	कैथल	2
6.	कुरूक्षेत्र	2
7.	जींद	1
8.	सोनीपत	2
9.	रोहतक	1
10.	गुड़गांव	2
	जोड़	20

चौकीदार रहित रेलवे फाटक पर दुर्घटना

201. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 22.9.1996 को तिरूपति से सिकंदराबाद जाने वाली कृष्णा एक्सप्रेस रेलगाड़ी के वेंकटगिरि और गुडूर स्टेशनों के बीच चौकीदार रहित रेलवे फाटक पर आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की एक बस से टकराने से घटना स्थल पर पांच व्यक्ति मारे गए और नौ व्यक्ति घायल हुए;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने व्यक्ति मारे गए और घायल हुए;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गई है;

(घ) इस दुर्घटना से कितनी क्षति हुई और मृतकों के आश्रितों को तथा घायलों को कितना मुआवजा दिया गया;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान देश में और आंध्र प्रदेश में कितने प्रतिशत रेल दुर्घटनाएं हुई; और

(च) रेल दुर्घटनाओं के कारण आंध्र प्रदेश में रेलवे को कुल कितनी क्षति हुई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां। 24.9.1996 को लगभग 7.30 बजे दक्षिण मध्य रेल के गुतकल मंडल में तिरूपति-गुडूर खण्ड पर वेनडाड एवं कोडागुटां स्टेशनों के बीच एक बिना चौकीदार वाले समपार पर 7405 तिरूपति-सिंकदराबाद एक्सप्रेस की एक बस से टक्कर हो गई, परिणामस्वरूप 4 व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 10 व्यक्ति घायल हुए तथा उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया।

(ख) 4 व्यक्ति दो की अस्पताल में मृत्यु हो जाने से दुर्घटना में कुल मारे गए व्यक्तियों की संख्या 8 हो गई जबकि 6 घायल हुए।

(ग) जी हां। अधिकारियों की एक समिति द्वारा दुर्घटना की जांच की गई।

(घ) इस दुर्घटना में रल संपत्ति को पहुंचे नुकसान के कारण रेलवे को लगभग 65,000 रु. का नुकसान हुआ। बिना चौकीदार वाले समपार पर होने वाली दुर्घटना के मामले में हताहतों के संबंधियों को क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाता है।

(ङ) दुर्घटना के आंकड़े राज्यवार नहीं रखे जाते हैं। बहरहाल पिछले तीन वर्षों के दौरान पूरी भारतीय रेल पर हुई परिणामी गाड़ी दुर्घटना की संख्या की तुलना में दक्षिण मध्य रेलवे जो कि आंध्र प्रदेश के एक बड़े भाग को सेवित करता है पर हुई परिणामी रेलगाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या नीचे दी गई है।

वर्ष	दक्षिण मध्य रेल पर हुई दुर्घटनाएं	भारतीय रेल पर हुई दुर्घटनाएं
1993-94	57 (11 प्रतिशत)	520
1994-95	50 (10 प्रतिशत)	501
1995-96	41 (10 प्रतिशत)	398

(दुर्घटनाओं का प्रतिशत कोष्ठक में दिया गया है)

(च) दुर्घटनाओं के कारण रेल को हुई हानि का ब्यौरा राज्यवार नहीं रखा जाता है। बहरहाल, अप्रैल और अक्टूबर, 1996 के बीच दक्षिण मध्य रेल को दुर्घटनाओं के कारण कुल 6.65 करोड़ रुपए को हानि हुई।

एअर इंडिया का घाटा

202. श्री तारीक अनवर :

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया को प्रतिदिन एक करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है जैसाकि 25 अक्टूबर, 1996 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण है;

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एअर इंडिया को लगभग कितना घाटा होने का अनुमान है; और

(ङ) इस घाटे की पूर्ति के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). अप्रैल से सितम्बर, 1996 की अवधि के लिए एयर इंडिया को हुई अनुमानित हानि 195 करोड़ रुपए है। ब्याज के कारण व्यय में वृद्धि और नये विमानों के मूल्य ह्रास, बढ़ती हुई स्पर्धा के कारण आय में कमी, अवतरण, हैंडलिंग और दिक्चालन प्रभारों में वृद्धि, इंजीनियरों आदि के आंदोलन के कारण हानि हुई।

(घ) 1996-97 के लिए बजटित हानि 230.00 करोड़ रुपए है।

(ङ) अपने वित्तीय कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए एयर इंडिया अपने मार्केटिंग प्रयासों को गहन बनाने, क्षमता में वृद्धि करने, गैर प्रचालन लागतों में कमी करने तथा अपने उत्पाद वृद्धि और समय पर कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के कदम उठा रहा है।

पट्टे पर खनन हेतु लाइसेंसों का लंबित होना

203. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के पट्टे पर खनन हेतु लाइसेंस दिए जाने के लिए अनेकों मामले केन्द्रीय सरकार के पास बहुत समय से स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में विलंब के क्या कारण है; और

(घ) इन्हें कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (घ). खनिज रियायतें खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार दी जाती हैं। केन्द्र सरकार को संबंधित राज्य सरकारों से उक्त अधिनियम की अनुसूची-I के अंतर्गत निर्दिष्ट खनिजों के लिए खनिज रियायत देने हेतु प्रस्ताव प्राप्त होते हैं जिनको कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करके निपटाया जाता है। केन्द्र सरकार का अनुमोदन शीघ्र देने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 1995-96 के दौरान 462 मामलों में अनुमति प्रदान की गई। कुछ मामलों में राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव अपूर्ण होते हैं। इस प्रकार के मामलों को निपटाने के लिए राज्य सरकारों से पूरी सूचना देने के लिए कहा जाता है।

तुमकुर-सिरा-हिरियूर-चित्रदुर्ग रेलवे लाइन का सर्वेक्षण

204. श्री पी. कोंदंडारमैय्या : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दावणगेरे को तुमकुर-सिरा-हिरियूर-चित्रदुर्ग रेल लाइन से सीधे जोड़ने के लिए सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस परियोजना को कब तक पूरा कर दिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।

(ख) और (ग). सर्वेक्षण रिपोर्ट के उपलब्ध हो जाने पर परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

[हिन्दी]

अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन

205. श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 सितम्बर, 1996 के "नवभारत टाइम्स" में "अस्थायी टेलीफोन के लिए स्थायी इंतजार" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या है;

(ग) दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार द्वारा अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन शीघ्रातिशीघ्र प्रदान करने हेतु कोई योजना तैयार की गयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसे कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कंक्रीट स्लीपर कारखानों का उत्पादन और उनकी मांग

206. श्री भक्त चरण दास : क्या **रेल मंत्री** यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कंक्रीट स्लीपर कारखानों के पास पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी मांग थी और उनका उत्पादन कितना था;

(ख) देश में वर्तमान समय में कार्यरत कंक्रीट स्लीपर कारखानों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उनमें से सरकारी और निजी कारखानों की संख्या पृथकतः कितनी है;

(घ) क्या और अधिक स्लीपर कारखानों की आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) कंक्रीट स्लीपर कारखानों की मांग तथा उत्पादन का पिछले तीन वर्षों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(आंकड़े लाख में)

वर्ष	1993-94	94.95	95.60
मांग	67.10	59.10	56.00
उत्पादन	67.50	61.60	56.40

(ख) और (ग). सरकार तथा निजी स्वामित्व वाले कंक्रीट स्लीपर कारखानों का स्थलवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ). मौजूदा कारखानों की वर्तमान उत्पादन क्षमता आवश्यकता से अधिक है, अतः नया कारखाना लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

	क्र.सं.	फर्म का नाम	स्थान
	1	2	3
मध्य रेल	1.	मैसर्स इंडियन ह्यूम पाइप कॉ. लिमिटेड	करारी
	2.	मैसर्स प्रेस्ट्रेस (इंडिया) प्रा. लि.	वरोरा
	3.	मैसर्स कापरकोन स्लीपर वर्क्स प्रा. लि.	बूटीबोरी
	4.	मैसर्स इंजीनियर्स प्रेसट्रेस्ड स्ट्रक्चर प्रा. लि.	बानमोर
	5.	मैसर्स स्ट्रेसक्रेट प्रा. लि.	बुदनी
	6.	मैसर्स बेमको स्लीपर्स प्रा. लि.	नन्दगांव
	7.	मैसर्स खेम चंद	घोषालपुर
	8.	मैसर्स मराठवाडा प्रेस्ट्रेस प्रा. लि.	बोरगांव
	9.	मैसर्स कंक्रीट इंडिया	लोनावाला
	10.	मैसर्स इंजीनियर्स प्रेस्ट्रेस्ड स्ट्रक्चर (अंतरी इकाई)	अंतरी
	11.	मैसर्स श्री केसरिया कंक्रीट प्रोडक्टस	बारेथ
	12.	मैसर्स डेमको स्लीपर्स प्रा. लि.	खंडवा
पूर्व रेल	13.	मैसर्स दया इंजी. वर्क्स लि.	मानपुर
	14.	मैसर्स दया इंजी. वर्क्स (स्लीपर्स) प्रा. लि.	मानपुर
	15.	मैसर्स प्रेस्ट्रेस्ड उद्योग (इंडिया) प्रा. लि.	छोटाअंबोना
	16.	मैसर्स टांटिया कंक्रीट प्रोडक्टस प्रा. लि.	पन्नागढ़
	17.	मैसर्स टेन्क्रीट इंडिया प्रा. लि.	रामपुरहाट
	18.	मैसर्स मूवा इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	जगदीशपुर
	19.	मैसर्स स्ट्रसकॉन (इंडिया) प्रा. लि.	चामग्राम
उत्तर रेल	20.	मैसर्स हिन्दुस्तान प्रेफैब लि.	जंगपुरा, नई दिल्ली
	21.	मैसर्स जय प्रेस्ट्रेस्ड प्रोडक्टस लि.	कोसीकलां
	22.	मैसर्स ट्रेक इनोवेशन प्रा. लि.	चंडीगढ़
	23.	मैसर्स अरविन्द कंस्ट. कं. लि.	मारवाड़ छपरी
	24.	मैसर्स दया इंजी. वर्क्स (स्लीपर्स) प्रा. लि.	डेगाना
	25.	मैसर्स आशी प्रा. लि.	रेवाड़ी
पूर्वोत्तर रेल	26.	मैसर्स अन्नावरम कंक्रीट प्रा. लि.	बुढ़वल
	27.	मैसर्स नटराज इंजीनीयर्स प्रा. लि.	सराई
	28.	मैसर्स सी सी आई प्रिस्ट्रेस टाई प्रा. लि.	कलट्टरबकगंज
पूर्वोत्तर सीमा रेल	29.	मैसर्स पी सी एम सीमेंट कंक्रीट प्रा. लि.	न्यू जलपाईगुड़ी
	30.	मैसर्स दया इंजी. वर्क्स	मिरजा

	1	2	3
	31.	मैसर्स प्रेस्ट्रसड उद्योग असम प्रा. लि.	न्यू बोंगई गांव
	32.	मैसर्स अरूणोदय कंस्ट्रक्शन कं. प्रा. लि.	जागी रोड
	33.	मैसर्स एलॉयड इंजी. इंटरप्राइजेज	बदरपुर
दक्षिण रेल	34.	मैसर्स कंक्रीट प्रोडक्ट्स एंड कंस्ट कं.	अम्बातूर
	35.	मैसर्स कोट्टुकुलम इंजीनीयर्स प्रा. लि.	बोम्मोड़ी
	36.	मैसर्स कंक्रीट प्रोडक्टस एण्ड कास्ट कॉरपोरेशन	तिरूवालम
	37.	मैसर्स केक प्रिस्ट्रेसड कंक्रीट लि.	पालघाट
	38.	मैसर्स मालू स्लीपर्स (प्रा.) लि.	विरूर जं.
	39.	मैसर्स नेलाई कंक्रीट प्राडक्टस एंड कांस्ट कं.	गागाईकोंडन
	40.	मैसर्स मारूति विल्डर्स	यशवंतपट
दक्षिण मध्य रेल	41.	मैसर्स स्ट्रक्चरलस लि.	हाफीजपेट
	42.	मैसर्स द कंक्रीट प्रोडेक्टस कांस्ट. कं.	कोंडापल्ली
	43.	मैसर्स रायलसीमा कंक्रीट स्लीपर्स प्रा. लि.	तीम्मनचारला
	44.	मैसर्स राघवेन्द्र प्रिस्ट्रेस प्रोडक्टस लि.	मंत्रालयम रोड
	45.	मैसर्स कोरोमंडल कंक्रीट प्रोडक्ट्स लि.	कोव्वूर
	46.	मैसर्स लक्ष्मी प्रिस्ट्रेस कंक्रीट वर्क्स	हसनपर्ती रोड
	47.	मैसर्स वी.एस. इंजी. प्रा. लि.	नल्लापाडू
	48.	मैसर्स महादेव इंडस्ट्रीज	होसपेट
दक्षिण पूर्व रेल	49.	ओडिसा कंक्रीट प्रोडक्टस प्रा. लि.	झारसुगुडा
	50.	मैसर्स इस्को ट्रैक स्लीपर्स प्रा. लि.	कालुमना
	51.	मैसर्स ओडिसा कंक्रीट एंड एलायड इंडस्ट्रीज लि.	रायपुर
	52.	मैसर्स विजय प्रिस्ट्रैसड प्रोडक्टस प्रा. लि.	पेन्दूरती
	53.	मैसर्स डेव कंक्रीट टाईस प्रा. लि.	दलभूमगढ़
	54.	मैसर्स रायलसीमा कंक्रीट स्लीपर्स प्रा. लि.	करगी रोड
	55.	मैसर्स नीलगिरी स्लीपर्स प्रा. लि.	नीलगिरी रोड
	56.	प्रिस्ट्रेसड उद्योग (इंडिया) प्रा. लि.	चांडिल
	57.	मैसर्स माजदा कंक्रीट प्रोडक्टस	काइपाडर रोड
	58.	मैसर्स दया कंक्रीट प्रा. लि.	दलभूमगढ़
	59.	मैसर्स यूनाइटेड वेब्स	डोंगरगढ़
	60.	मैसर्स गनन डंकरले एंड कं.	रायगडा
	61.	मैसर्स साहुवाला सिलिंडर्स लि.	गारूडाबिल्ली
पश्चिम रेल	62.	मैसर्स उषा प्रिस्ट्रैसड स्लीपर उद्योग पिपलोड)	गोधरा
	63.	मैसर्स मनीभाई ब्रादर्स (स्लीपर)	खारसालिया
	64.	मैसर्स एस सुब्रामणियन एंड कं.	खारसालिया
	65.	मैसर्स वामन प्रिस्ट्रैसिंग कं. लि.	पनवेल
	66.	मैसर्स टेंकेरीट (इंडिया) प्रा. लि.	उदवाड़ा

1	2	3
67.	मैसर्स डोनोपोला उद्योग (प्रा.) लि.	शामगढ़
68.	मैसर्स रूरल इंजी. कं. (प्रा.) लि.	शम्भूपुरा

सरकार के स्वामित्व वाले कारखाने

क्र.सं.	रेल का नाम	स्थान
1.	उत्तर	सूबेदारगंज
2.	उत्तर	खालिसपुर

बछावत अवार्ड का कार्यान्वयन

207. **श्री सुरेश प्रभु :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमजीवी पत्रकारों के लिए बछावत अवार्ड के कार्यान्वयन के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) जिन समाचारपत्रों ने सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया है उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस अवार्ड के कार्यान्वित न होने के कारण कितनी धनराशि का नुकसान हुआ है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1572 समाचार पत्र प्रतिष्ठानों में से, 628 प्रतिष्ठानों ने पूरी तरह से और 32 ने आंशिक रुप से बछावत पंचा ट की सिफारिशों को लागू किया है।

(ख) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्ते) एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तन का दायित्व राज्य सरकारों का है। केन्द्रीय सरकार बछावत पंचाट की सिफारिशों को तेजी से कार्यान्वित किए जाने के लिए राज्य सरकारों पर बार-बार जोर देती रही है।

(ग) सरकार ऐसे कोई रिकार्ड नहीं रखती है।

[हिन्दी]

भारत तथा आस्ट्रेलिया के बीच समझौता

208. **श्री सत्यदेव सिंह :**
कुमारी उमा भारती :
श्री महबूब जाहेदी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा आस्ट्रेलिया के बीच विमान सेवाओं के बारे में हाल ही में कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समझौता कब से प्रभावी हो जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 16.10.1996 को हस्ताक्षरित करार की मुख्य-मुख्य बातें हैं :-

(1) तत्काल प्रभाव से दोनों पक्षों के लिए क्षमता में वृद्धि करके उसे 1450 सीट/सप्ताह कर दिया गया है जिसे और बढ़ाकर नवम्बर, 1997 तथा नवम्बर, 1998 में क्रमशः 1650 सीट/सप्ताह तथा 2100 सीट/सप्ताह कर दिया जाएगा।

(2) आस्ट्रेलियाई वाहक कलकत्ता, दिल्ली तथा मुम्बई के लिए सेवा प्रदान कर सकते हैं और उसी उड़ान से कलकत्ता को दिल्ली अथवा मुम्बई के साथ जोड़ सकते हैं। भारत की नामित एयरलाइन उसी उड़ान से आस्ट्रेलिया में 3 अवतरण स्थलों को जोड़ना जारी रख सकेगी।

(ग) उपर्युक्त संशोधित हकदारियां समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने की तारीख यानी 16.10.96 से प्रभावी हो गई है।

[अनुवाद]

रेलवे पर बकाया राशि

209. **श्री शरद पवार :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा 1979 के बाद रेलवे सेवाओं हेतु राज्य पुलिस बल लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार को भारी राशि देनी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकार को इस राशि का भुगतान करने में अत्यधिक विलंब किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) राज्य सरकार को देय उपरोक्त बकाया राशि के भुगतान में तेजी लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). रेलवे के पास इस समय 6.61 करोड़ रुपये का कुल बकाया है। तथापि इस राशि में लगभग 22.57 करोड़ रुपये के दावे की वह राशि शामिल नहीं है जो रेल प्रशासन के अनुमोदन के बगैर राजकीय रेल पुलिस कर्मियों के पदों के सृजन के कारण मध्य रेल द्वारा अस्वीकार कर दी गई थी।

(ग) भुगतान में देरी निम्न कारणों से है :-

(1) राज्य सरकार द्वारा लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया जाना।

(2) प्रयोजन के लिये बजटीय में प्रावधान की कठिनाई।

(3) राज्य सरकार द्वारा रेल प्रशासन के अनुमोदन बगैर जी. आर.पी. के पदों का एक तरफा सृजन।

(घ) धन की उपलब्धता के आधार पर 1996-97 में स्पष्टतः अनुमेय बिल पास किये जायेंगे।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित रेलवे स्टेशनों पर पेयजल का अभाव

210. श्री भीमराव विष्णुजी बडाडे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित रेलवे स्टेशन पर पेयजल का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रेलवे स्टेशनों पर पेयजल सुविधा प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि कापड़ गांव रेलवे स्टेशन पर पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है जहां शिरडी-साई बाबा मन्दिर की यात्रा करने रोजाना हजारों तीर्थयात्री आते हैं और क्या सरकार का इस संबंध में कोई व्यवस्था करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ). भारतीय रेलों के सभी स्टेशनों पर पेयजल की व्यवस्था निरपवाद रुप से की जाती है और ऐसा करते समय यह ध्यान नहीं रखा जाता है कि वे ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र में आते हैं।

कोपरगांव रेलवे स्टेशन पर रेलवे का अपना कुंआ है तथा उसके पास स्थानीय प्राधिकरण से जल आपूर्ति के कनैक्शन हैं। इस स्टेशन पर पानी टोटियों, जलशीतक, 6 घड़े वाला प्याऊ और 3 पानी की ट्रॉलियों की पर्याप्त व्यवस्था है जो कि सम्हाले जाने वाले यात्री यातायात के स्तर के लिए पर्याप्त समझे जाते हैं।

[अनुवाद]

भूमि का अधिग्रहण

211. डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पालम हवाई अड्डे के निकट दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर भारतीय अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए भूमि का अधिग्रहण किया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई तथा किसानों को दी गयी भुगतान राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किस उद्देश्य हेतु भूमि का अधिग्रहण किया गया है; और

(घ) 30 सितम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार इस भूमि का उपयोग करने संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (घ). नागर विमानन विभाग द्वारा दिल्ली हवाई अड्डे के विकास हेतु पालम हवाई अड्डे के आसपास/साथ लगी हुई 3500 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण दिल्ली प्रशासन के माध्यम से किया गया था। प्रदत्त प्रतिपूर्ति के ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। बाद में यह भूमि भारतीय अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन आ गई। राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 8 को भी इसकी पिछली अवस्थिति से अपवर्तित किया गया है और उसे प्रचालनात्मक कारणों से आसन्न महिपालपुर तथा रंगपुरी गांवों के अधिग्रहित भूमि पर बनाया गया है। दिनांक 30.9.1996 की स्थिति के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा दिल्ली हवाई अड्डे पर भूमि का वास्तविक उपयोग मुख्य तौर पर निम्न प्रकार है :-

1. प्रचालननात्मक रुप में	1999.23
2. वाणिज्यिक रुप में	230.84
3. आवासीय रुप में	92.49
4. अतिक्रमणाधीन भूमि	25.00
5. भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अभी सौंपी जाने वाली भूमि	86.00
6. भावी विकास के लिए खाली भूमि	2597.00
7. अन्य	19.44
योग	5050.00

[हिन्दी]

समाचार संवाददाता

212. श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में वर्तमान समय में समाचार संवाददाता के कितने पद हैं;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई नई भर्ती की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). आकाशवाणी में संवाददाताओं के 57 पद तथा दूरदर्शन में टी.वी. समाचार संवाददाता के 15 पद और टी. वी. सहायक समाचार संवाददाता के 33 पद हैं। आकाशवाणी में संवाददाताओं के 57 पद भारतीय सूचना सेवा के विभिन्न ग्रेडों से संबंधित हैं। इस प्रकार आकाशवाणी में संवाददाता के पद के लिए कोई विशेष भर्ती नहीं की जाती है। ये पद भारतीय सूचना सेवा संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या का एक भाग है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रति वर्ष संवर्ग की अपेक्षानुसार भारतीय सूचना सेवा के लिए उम्मीदवार उपलब्ध करवाए जाते हैं। प्रशासनिक एवं कार्यात्मक अपेक्षाओं के अनुसार संवर्ग में उपलब्ध अधिकारियों को संवाददाता के पद पर तथा इस सेवा के अन्य पदों पर तैनात किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, दूरदर्शन में टी.वी. समाचार संवाददाताओं/टी.वी. सहायक समाचार संवाददाताओं की कोई भर्ती नहीं की गयी।

[अनुवाद]

बिहार में दूरसंचार

213. डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री राम कृपाल यादव :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा बिहार दूरसंचार को आवंटित की गई धनराशि क्या है;

(ख) राज्य द्वारा इसमें से कितनी धनराशि उपयोग में लाई गई/लौटाई गई;

(ग) राज्य की दूरसंचार व्यवस्था में सुधार लाने के लिए निर्धारित की गई धनराशि को लौटाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान देश के किसी अन्य दूरसंचार सर्किल ने भी केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित की गई धनराशि में से कोई राशि लौटाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) वर्ष 1995-96 के दौरान बिहार दूरसंचार सर्किल को 228.36 करोड़ रु. आवंटित किए गए थे।

(ख) बिहार दूरसंचार सर्किल ने वर्ष 1995-96 के दौरान, 190.43 करोड़ रु. का उपयोग किया तथा 37.93 करोड़ रु. सरण्डर कर दिए।

(ग) सरण्डर की गई यह राशि वित्तीय वर्ष 1995-96 के अंत से पहले काफी संख्या में उपस्कर प्राप्त न होने के कारण लौटानी पड़ी।

(घ) जी, हां।

(ङ) निम्नलिखित चार दूरसंचार सर्किलों ने भी वर्ष 1995-96 के अपने बजट आबंटनों की कुछ राशि सरण्डर की है :-

सर्किल का नाम	राशि
	(रु. करोड़ में)
मध्य प्रदेश	55.00
कलकत्ता परियोजना	40.09
एएलटीटीसी गाजियाबाद	1.72
टेलीकॉम फैक्टरी, जबलपुर	0.49

सरण्डर की गई यह राशि वित्तीय वर्ष 1995-96 के अंत से पहले दूरसंचार उपस्कर प्राप्त न हो पाने के कारण लौटानी पड़ी।

इस्तेमाल की जा चुकी रेल टिकटों की पुनः बिक्री

214. श्री भक्त वीर सिंह द्रोण : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के सतर्कता विभाग ने ब्रह्मावर्त रेलवे स्टेशन (उत्तर प्रदेश) के स्टेशन मास्टर द्वारा इस्तेमाल की जा चुकी टिकटों की पुनः बिक्री की बात का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्ति के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है और इस संबंध में क्या एहतियाती कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) स्टेशन मास्टर को निलंबित कर दिया गया है और अनुशासन एवं अपील नियम के अन्तर्गत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वाणिज्यिक और सतर्कता संगठनों द्वारा ऐसी अनियमितताओं की रोकथाम के लिए नियमित और सतत आधार पर अचानक और छद्म जांच की जाती है।

आईटीआई के लिए सांविधिक प्राधिकरण

215. श्री शरत पटनायक : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई टी आई) को विनियमित करने के लिए सांविधिक प्राधिकरण की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). प्रस्ताव विचार-विमर्श स्तर पर है तथा ब्यौरे को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

इस्पात उद्योगों द्वारा आयातित कोयले का उपयोग

216. श्री संदीपान थोरात : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहा तथा इस्पात निर्यात संबंधी एक विशेषज्ञ समिति ने गत पांच वर्षों के दौरान कोकिंग कोयले के भारी आयात की तीखी आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तथा संयंत्र-वार इस्पात उद्योगों द्वारा कितनी मात्रा में कोकिंग कोयले का आयात किया गया;

(ग) विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आयात को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ग). लोहा और इस्पात के निर्यात के संबंध में सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ दल ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) और (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मलिन बस्तीवासी

217. श्री नारायण अठावले : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुंबई में रेलवे की भूमि के मलिन बस्तियों के वासियों को अनापत्ति प्रमाणपत्र देने का निर्णय लिया है ताकि वे लोग बिजली और पानी के कनेक्शन ले सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुप्त मतपत्रों द्वारा मजदूर संघों को मान्यता देना

218. श्री बादल चौधरी : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गुप्त मत-पत्रों के द्वारा मजदूर संघों को मान्यता देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कानून बनाया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग). गुप्त मतदान द्वारा व्यवसाय संघों के प्रतिनिधित्व के स्वरूप को निर्धारित किए जाने से संबंधित मुद्दा श्रम मंत्रालय द्वारा गठित द्विपक्षीय समिति को संदर्भित कर दिया गया है जिसमें नियोक्ताओं और कर्मकारों के प्रतिनिधि हैं। इस संबंध में आगे की कार्रवाई समिति की सिफारिश पर निर्भर होगी।

[हिन्दी]

केन्द्र सरकार से राजसहायता

219. श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने केन्द्र सरकार से राजसहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी राजसहायता मांगी गई है;

(ग) राजसहायता मांगने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस मांग पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ङ). जी हां। इंडियन एयरलाइन्स ने पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू व कश्मीर तथा अंडमान व निकोबार द्वीप-समूह के लिए प्रचालनों के निमित्त राजसहायता देने की बाबत विचार हेतु मंत्रालय से अनुरोध किया है। गैर-सरकारी विमानकंपनियों के प्रवेश से, इंडियन एयरलाइन्स के ट्रंक मार्गों की हिस्सेदारी में अत्यधिक ह्रास

हुआ है जिसके परिणामस्वरूप इंडियन एयरलाइन्स को भारी घाटा हुआ है। यह अलाभकारी सैक्टरों में अपने घाटे की अन्य सैक्टरों से हुई आय से अब और भरपाई नहीं कर सकती। अतः उक्त एयरलाइन्स ने राजसहायता के लिए यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है जो इस प्रकार के घाटे के कारणों की व्यापक रूप से जांच करेगी और प्रतिस्पर्धात्मक बाजार माहौल के संदर्भ में इंडियन एयरलाइन्स की पूर्व स्थिति बहाल करने की कार्यनीति सुझा सकेगी। आशा है कि समिति शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

[अनुवाद]

तटीय रेल लाइन का विकास

220. **श्री वी.एम. सुधीरन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एलेपी होते हुए इरनाकुलम-कायमकुलम के बीच तटीय रेल लाइन के विकास हेतु कोई व्यापक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठाते।

[हिन्दी]

बिहार में डाकघर की शाखाएं खोलना

221. **श्री ललित उरांव** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर की नई शाखाएं खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ग्रामीण जनता को डाक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). जी हां। सरकार की नीति मानदंडों पर आधारित औचित्य और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर वार्षिक योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तरोत्तर रूप से शाखा डाकघर खोलना है।

(ग) जी हां।

(घ) वर्ष 1996-97 के दौरान बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 10 डाकघर खोलने का लक्ष्य है।

(ङ) सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना (अर्थात् 1992-93 से 1996-97) के अंतर्गत बिहार में अब तक 176 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर मंजूर किए हैं।

उपभोक्ताओं को पुनर्भुगतान तथा क्षतिपूर्ति

222. **श्रीमती शीला गौतम** :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31.10.96 तक गत दो वर्षों के दौरान उपभोक्ता न्यायालय ने रेलवे से कितनी बार उपभोक्ताओं को पुनर्भुगतान करने तथा उन्हें क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप रेलवे को कितनी राशि के राजस्व की हानि हुई;

(ग) क्या उपरोक्त घाटे के कारणों का विश्लेषण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) ऐसे मामलों की संख्या कम करने के संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) 235

(ख) 3, 51, 787 रुपये।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ). वातानुकूलन संयंत्र द्वारा कार्य न करना, सवारी डिब्बा में यांत्रिक विफलता और कम्प्यूटर आरक्षण सिस्टम में विफलता जनता के संपर्क में आने वाले कर्मचारियों द्वारा प्रत्युत्तर में कमी तथा धन वापसी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा विलम्ब जैसी सेवाओं में गिरावट। अपेक्षित प्रलेखों सहित संबंधित प्राधिकारियों से धन वापसी के दावों में वरीयता के लिए जनता की जानकारी हेतु समय-समय पर मार्गदर्शन जारी किए जाते हैं। ग्राहकों को संतोषजनक सेवा प्रदान करने के लिए सेमिनारों और विभिन्न मीटिंगों के जरिये संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाता है।

दूरदर्शन पर प्रायोजित कार्यक्रम

223. **श्रीमती छबिला अरविंद नेताम** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन द्वारा कितने समय में प्रायोजित कार्यक्रमों को मंजूरी दी जाती है;

(ख) क्या कार्यक्रमों को मंजूरी देने में कोई पक्षपात किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो केवल कुछेक निर्माताओं को लाभ देने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) प्रायोजित कार्यक्रमों का अनुमोदन, दूरदर्शन की कार्यक्रम अपेक्षा तथा आवेदक द्वारा सभी औपचारिकताएं पूरी करने पर निर्भर करता है। आवेदक द्वारा सभी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात कार्यक्रम को अनुमोदित करने के लिए दूरदर्शन को सामान्यतः 90 दिन लगते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बंधुआ मजदूरों को मुक्ति/पुनर्वास

224. श्री एन.जे. राठवा :
श्री जय प्रकाश (हरदोई) **:**
श्री विजय गोयल :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंधुआ मजदूरों की अनुमानित राज्यवार संख्या विशेषकर जनजातीय, पिछड़े तथा पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी है;

(ख) क्या उनकी मुक्ति तथा पुनर्वास हेतु कोई कार्य योजना तैयार की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) अब तक मुक्त किए गए/पुनर्वास दिलाए गए बंधुआ मजदूरों की राज्यवार तथा विशेषकर गुजरात में कितनी संख्या है;

(ङ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को और विशेषकर गुजरात को इस प्रयोजनार्थ कोई सहायता प्रदान की गई;

(च) यदि हां, तो विशेषकर जनजातीय, पिछड़े तथा पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या बंधुआ मजदूरों का पता लगाने, उन्हें मुक्ति तथा पुनर्वास दिलाने हेतु कोई समिति गठित की गई है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त समिति की अब तक की उपलब्धि क्या रही है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ). राज्य सरकारों ने 2,51, 424 बंधुआ श्रमिकों की पहचान किये जाने की सूचना दी है जिनमें से 2,30,915 बंधुआ श्रमिकों का, बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्र आयोजित योजना के अंतर्गत, जिसमें 10,000/- रुपये की सीमा तक पुनर्वास सहायता की परिकल्पना की गई है, पुनर्वास किया गया है। यह व्यय केन्द्रीय और राज्य सरकारों के मध्य (50 : 50) अनुपात में बांटा जाता है। पहचान किए गये/मुक्त करवाये गये और पुनर्वासित बंधुआ श्रमिकों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च). पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को जारी निधियों का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है। गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य सरकार द्वारा किसी निधि की मांग की गई है। क्षेत्रवार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(लाख रुपयों में)

राज्य बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केन्द्र प्रयोजित योजना के अंतर्गत जारी राशि

	1993-94	1994-95	1995-96
आंध्र प्रदेश	101.41	31.25	79.37
बिहार	6.18	6.61	-
कर्नाटक	171.50	42.66	2.84
केरल	6.03	-	-
उड़ीसा	5.75	0.39	1.63
राजस्थान	1.69	3.28	5.70
तमिलनाडु	1.59	1.12	-
जोड़	294.15	85.31	89.54

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

बंधुआ श्रमिकों का राज्यवार ब्यौरा

राज्य	बंधुआ श्रमिकों की संख्या	
	पहचान किए गए और मुक्त करवाये गये	पुनर्वासित
1	2	3
आंध्र प्रदेश	36,289	29,553
बिहार	12,986	12,270
कर्नाटक	62,708	55,231
मध्य प्रदेश	12,804	11,897
उड़ीसा	49,971	46,808
राजस्थान	7,478	6,217
तमिलनाडु	38,886	39,375

महाराष्ट्र	1,382	1,300
1	2	3
उत्तर प्रदेश	27,489	27,469
केरल	823	710
हरियाणा	544	21
गुजरात	64	64
कुल	2,51,424	2,30,915

[अनुवाद]

विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी

225. श्री बीर सिंह महतो : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996-97 के प्रथम छह महीनों के दौरान वर्ष 1995-96 के प्रथम छह महीनों की तुलना में विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कमी के कारण कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) वर्ष 1996-97 के प्रथम छह महीनों के दौरान, वर्ष 1995-96 की इसी समयावधि की तुलना में, विदेशी पर्यटकों के आगमन में कमी नहीं आई। तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिए गए हैं :-

पर्यटक आगमन

अवधि	1995	1996	% अंतर
अप्रैल-सितम्बर	879381	929944	5.7

(क) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

विभिन्न सेवाओं के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों का निजीकरण

226. श्री अन्ना साहिब एम.के. पाटिल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार तथा डाक सेवाओं के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जहां विभिनन कार्यों के निष्पादन में निजी क्षेत्र को शामिल किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा डाक सेवाओं का आधुनिकीकरण करने तथा अधिक राजस्व अर्जित करने हेतु लाभकारी क्षेत्रों में विपणन की गति तेज करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(घ) तीव्र गति से अपना कारोबार बढ़ाने वाली इन निजी एजेन्सियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने हेतु डाक विभाग द्वारा तैयार की गई रणनीतियों के बारे में ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) :

दूरसंचार

(क) और (ख). दूरसंचार विभाग में अनुरक्षण से संबंधित सारे कार्य केवल विभाग द्वारा ही किये जाते हैं। तथापि, केबल बिछाना, डकट कंस्ट्रक्शन, ओवर हेड संरक्षण की रचना, कंप्यूटरीकरण आदि जैसे कार्यों को स्थानीय आवश्यकताओं के हिसाब से निजी पक्षकारों को ठेके पर दिया जाता है।

डाक

(क) और (ख). बुनियादी डाक सुविधाओं को व्यापक पैमाने पर प्रदान करने के लिए डाक विभाग विशिष्ट शर्तों के अंतर्गत डाक टिकटों और स्टेशनरी को बेचने के लिए लाइसेंसधारी डाक एजेन्टों को कार्य करने की अनुमति दे रहा है। डाक टिकटों तथा स्टेशनरी के विक्रय के लिए व्यक्ति, फर्म या सोसायटी को एजेंसी दी जाती है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में जहां डाक सेवा नहीं है और जहां डाक घर खोलना न्यायोचित है वहां बुनियादी डाक सेवा प्रदान करने के लिए 1995 में पंचायत संचार सेवा केन्द्र शुरू किये गये हैं। इस योजना के तहत जहां डाक घर खोलना आवश्यक हो वहां ग्राम मुख्यालय के ग्राम पंचायत में डाक टिकट तथा स्टेशनरी तथा बुक रजिस्टर्ड को बेचने के लिए सामग्रियों तथा बेनामी सामग्रियों को डेलिवार करने तथा अल्प बचत योजना की सुविधा प्रदान करने के लिए पंचायत संचार सेवा केन्द्र स्थापित करने की अनुमति दी जाती है।

(ग) और (घ). विभाग कार्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटर के अधिष्ठापन से डाक सेवाओं का आधुनिकीकरण कर रहा है। कम्प्यूटर आधारित काउंटर मशीनें कार्यक्षय प्रतिक्रियाशील एवं त्रुटि-मुक्त सेवाएं प्रदान कर रही हैं जिनका प्रचालन देश के लगभग 2600 काउंटरों पर किया जा रहा है। मेल डाक की मात्रा को संभालने के लिए महत्वपूर्ण नोडल प्वाइन्टों में मेल प्रोसेसिंग का आधुनिकीकरण भी शुरू किया गया है। दो एयर मेल प्रोसेसिंग केन्द्र क्रमशः मुम्बई और चेन्नई में स्थापित कर दिये गये हैं। बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, सामग्री प्रबंधन के क्षेत्र में कम्प्यूटर की शुरूआत की गई है। स्पीड-पोस्ट में "ट्रैक एण्ड ट्रेस" की शुरूआत, इस सेवा को और ज्यादा कस्टमर-फ्रेन्डली बनाने के लिए की गई है।

विभाग में दिनांक 1.2.96 से फोकस प्रबंधन तथा प्रीमियम प्रोडक्ट के विपणन तथा इस तरह के उत्पाद के संचालन की प्रक्रिया के आधुनिकीकरण के लिए एक व्यापार-विकास निदेशालय की स्थापना की गई है।

रेल किरायों में पचास प्रतिशत रियायत प्राप्त व्यक्ति

227. श्री आर. साम्बासिवा राव :
श्री के.डी. सुल्तानपुरी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान किन-किन श्रेणियों के व्यक्तियों को रेल भाड़े में पचास प्रतिशत की रियायतें दी गई हैं;

(ख) इस कारण सरकार को प्रतिवर्ष कितने राजस्व का घाटा होता है;

(ग) सरकार ने लोगों को मुफ्त यात्रा रेल पास जारी करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये हैं;

(घ) क्या गत छः महीनों के दौरान कोई मुफ्त पास/रेलगाड़ी रियायत पास जारी किये गये हैं;

(ङ) यदि हां, तो व्यक्तियों की श्रेणियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या यह सच है कि लोग इन पासों का दुरुपयोग कर रहे हैं; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) रेलें भाड़े में 50% की मानक छूट गूंगे एवं बहरे व्यक्तियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जिसमें सरकारी कार्यालय/संवैधानिक निकाय/नगर निगम/सरकारी/उपक्रम/विश्वविद्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शामिल हैं साक्षात्कार हेतु यात्रा करने वाले बेरोजगार युवकों, विद्यार्थियों, कलाकारों, कुलियों नौसैनिक इंजीनियर प्रशिक्षुओं, खिलाड़ियों, भारतीय स्काउटों एवं गाइडों, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं, पुलिस पुरस्कार विजेताओं, राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार विजेता बच्चों के साथ जाने वाले अभिभावकों, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों तथा पत्रकारों को प्रदान करती हैं। पिछले 6 माह के दौरान व्यक्तियों की ये कोटियां इस मानक छूट का लाभ उठा रही हैं, इसके साथ साथ, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संगठनों के राष्ट्रीय एकीकरण कैम्पों तथा सम्मेलनों में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों को 50% मानक छूट प्रदान की गई है।

(ख) यात्रियों की विभिन्न कोटियों को विभिन्न रियायतें देने के कारण रेलें लगभग 200 करोड़ रु. प्रतिवर्ष का नुकसान उठा रही हैं।

(ग) वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, रेल मंत्री के व्यक्तिगत अनुमोदन से, निम्नलिखित को मानार्थ कार्ड पास जारी किए जाते हैं :—

कोटि "क" : रेल मंत्रालय में भूतपूर्व मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री

कोटि "ख" : सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिणिक, खेलकूद तथा कल्याण संबंधी गतिविधियों में संलिप्त संगठन।

कोटि "ग" : उपर्युक्त गतिविधियों में लगे प्रतिष्ठित व्यक्ति।

कोटि "घ" : अन्य जिनको अनुकंपा/चिकित्सा आदि के आधार पर कार्ड पास जारी किए जाते हैं।

रेल मंत्री के विवेक से संगठन/व्यक्ति के ओहदे पर निर्भर करते हुए कार्ड पास प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी में जारी किए जाते हैं। उपयुक्त मामलों में, प्रथम वातानुकूल श्रेणी में यात्रा करने तथा उसी श्रेणी/द्वितीय श्रेणी में बुक सहयोगी ले जाने की स्वीकृति भी दी जाती है। जारी किए गए पास केवल एक वर्ष के लिए वैध होते हैं सिवाय उपयुक्त तथा अपवादिक मामलों के, जैसा कि रेल मंत्री निर्णय लें।

मानार्थ कार्ड पास बुक या अधिक क्षेत्रीय रेलों के लिए उपलब्ध है जिसकी वैधता एक समय पर सामान्यतः एक वर्ष से अधिक नहीं होती। कार्ड पास धारक को किसी स्टेशन से किसी स्टेशन तक तथा कितनी ही बार रेल यात्रा करने की पात्रता प्रदान करता है।

(घ) जी हां।

(ङ) (1) भूतपूर्व संसद सदस्य

(2) अर्जुन पुरस्कार विजेता, ओलंपिक पदक विजेता तथा एशियन एवं राष्ट्र मंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता।

(3) भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन (आई ओ ए) से संबंधित राष्ट्रीय खेलकूद संघ (एन एस एफ) तथा राज्य ओलंपिक एसोसिएशन (एस ओ ए) के अध्यक्ष तथा सचिव।

(4) शौर्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता तथा शौर्य पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं की विधवाएं (चक्र श्रृंखला).

(5) रेल मंत्री के विवेक से संगठनों और व्यक्तियों को मानार्थ कार्ड पास।

(च) पिछले 6 माह के दौरान निःशुल्क पासों/रियायती पासों के दुरुपयोग का कोई मामला देखने में नहीं आया है।

(छ) टिकट जांच करने वाले कर्मचारियों को अनुचित टिकट/निःशुल्क पास/रियायती पास से यात्रा कर रहे व्यक्तियों के विरूद्ध वर्तमान नियमों के अनुसार कार्रवाई करने तथा तदनुसार प्रभार लगाने के स्थायी अनुदेश दिए गए हैं।

[हिन्दी]

नेपाली कार्यक्रमों को आवंटित समय

228. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में दूरदर्शन पर नेपाली कार्यक्रमों को प्रतिदिन कितना समय आवंटित किया जाता है;

(ख) क्या सरकार को नेपाली कार्यक्रमों के आवंटित समय में वृद्धि करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) केवल दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) ही प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को 10 मिनट की अवधि और प्रत्येक मंगलवार को 15 मिनट की अवधि के नेपाली कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। महाराष्ट्र में दूरदर्शन केन्द्र, मुम्बई द्वारा कोई नेपाल कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पौराणिक धारावाहिकों के प्रसारण के लिए मानदंड

229. **श्री हरिन पाठक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन पर पौराणिक धारावाहिकों के प्रसारण के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार गुजराती के प्राचीन और उच्चकोटि के नाटकों पर हिन्दी में धारावाहिक बनाने और उनका प्रसारण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित भावी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) दूरदर्शन पर महाकाव्यों पर आधारित धारावाहिकों के प्रसारण के संबंध में अलग से मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं और इस प्रकार के धारावाहिकों संबंधी प्रस्तावों पर चयन समिति द्वारा अन्य प्रस्तावों के साथ प्रायोजित श्रेणी के अन्तर्गत विचार किया जाता है।

(ख) गुजरात में प्राचीन और गौरवग्रन्थों पर आधारित नाटकों पर हिन्दी धारावाहिकों के प्रसारण संबंधी प्रस्तावों के प्राप्त होने पर चयन समिति द्वारा उन पर इस प्रकार के अन्य प्रस्तावों के साथ विचार किया जाएगा।

(ग) दूरदर्शन द्वारा विगत की भांति, ऐसे प्रायोजित धारावाहिकों का चयन किया जाना जारी रखा जाएगा जो उच्च सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देते हों, विभिन्न धर्मों के प्रति समान आदर की भावना दर्शकों के मन में बैठाते हों, राष्ट्रीय अखण्डता को प्रोत्साहित करते हों और स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करते हों।

वायु परिवहन सेवाओं की कमी

230. **श्री बसुदेव आचार्य : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्याप्त तथा बेहतर वायु परिवहन सेवाओं के अभाव से देश के पर्यटन विकास तथा वृद्धि क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि वायु परिवहन सेवाओं का देश भर में संतुलित ढंग से विकास हो इसके लिए मार्ग वितरण मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं जिनमें ट्रंक मार्गों में प्रचालनों से यह अपेक्षा की गई है कि वे पूर्वोत्तर, जम्मू कश्मीर, अंडमान व निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप-समूह सहित अन्य मार्गों पर भी क्षमता प्रदान करें। क्षेत्रीय एयर लाइनों को भी हवाई संपर्क से न जुड़े हुए जिलों तथा पर्यटकों की रुचि के कस्बों को हवाई संपर्क से जोड़ने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

टेलीफोन लाइनों के लिए निर्धारित लक्ष्य

231. **प्रो. अजित कुमार मेहता : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान देश में सर्किल-वार कितनी टेलीफोन लाइनें बिछाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) आज तक कितने प्रतिशत लाइनें बिछाने का कार्य पूरा हुआ है;

(ग) उन दूरसंचार सर्किलों के क्या नाम हैं जो लक्ष्यों से पीछे हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) टेलीफोन लाइनों का वार्षिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) देश में चालू वर्ष (1996-97) के दौरान टेलीफोन लाइनें प्रदान करने के लिए निर्धारित लक्ष्य 24.5 लाख है। सार्लिलवार लक्ष्य संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 31.10.96 तक लक्ष्य का 29.87 प्रतिशत प्राप्त कर लिया गया है।

(ग) और (घ). टेलीफोन लाइनें प्रदान करने के लिए आवश्यक उपस्कर एवं निधियां, सभी टेलीफोन सर्किलों को सरकार द्वारा आबंटित की गई हैं और उपस्कर कार्य-स्थलों पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। 1996-97 के लिए निर्धारित लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त किए जाने की संभावना है।

विवरण

क्र.सं.	यूनिट का नाम	96-97 के लिए वार्षिक लक्ष्य
1.	आंध्र प्रदेश	123000
2.	असम	18000
3.	बिहार	47000
4.	गुजरात	188000
5.	हरियाणा	64000
6.	हिमाचल प्रदेश	27000
7.	जम्मू और कश्मीर	23000
8.	कर्नाटक	133000
9.	केरल	228000
10.	मध्य प्रदेश	45000
11.	महाराष्ट्र	203000
12.	उत्तर पूर्व	18000
13.	उड़ीसा	27000
14.	पंजाब	153000
15.	राजस्थान	123000
16.	तमिलनाडु	188000
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	80000
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	75000
19.	पश्चिम बंगाल	55000
20.	अंडमान एवं निकोबार	2000
21.	मुम्बई	250000
22.	कलकत्ता	55000
23.	दिल्ली	250000
24.	मद्रास	75000
	जोड़	2450000

खनन अधिकार सौंपना

232. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में हीरे के खनन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय खनन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कंपनी डी. बियर्स को खनन अधिकार सौंपे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) इसका खनन नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख). जी, नहीं। खनिज रियायतें खान और खनिज (विनियम और विकास) अधिनियम 1957 के उपबंधों और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार ही संबंधित राज्य सरकार द्वारा दी जाती हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वयस्क चैनल

233. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय महिला राष्ट्रीय संघ और वाई.डब्ल्यू.सी.ए. सहित बहुत से महिला संगठनों ने सरकार से प्रथम वयस्क उपग्रह टी. वी. चैनल "प्लस 21" को शुरू करने से रोकने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी हां। नैशनल फेडरेशन ऑफ इण्डियन वूमैन और वाई.डब्ल्यू.सी.ए. सहित कई महिला संगठनों की ओर से इस विषय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इसी विषय पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में एक सिविल रिट याचिका भी दायर की गई है और मामला न्यायाधीन है।

मंडावली में रेल पुल के नीचे सड़क का निर्माण

234. श्री जी. वेंकट स्वामी :

श्री उत्तम सिंह पवार :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और साहिबाबाद रेलवे लाइन के बीच पूर्वी दिल्ली के मंडावली स्थान पर रेल पुल के नीचे सड़क के निर्माण के लिए ठेका रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस निर्माण कार्य को तेजी से पूरा कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). मंडावली में निचले सड़क पुल के निर्माण का कार्य जुलाई 1995 तक पूरा करने के लिए दिया गया था बहरहाल रेलों के भरसक प्रयासों के बावजूद राज्य सरकार की संबंधित एजेंसियां पहुंच मार्गों से सड़क यातायात का मार्ग परिवर्तन करने तथा केबुलों और पाइपों जैसी सेवाओं को हटाने में अत्यधिक विलंब कर रही थी जिससे दिल्ली नगर निगम के इस निक्षेप कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता था। चूंकि ठेकेदार कार्य को जारी नहीं रखना चाहता था, अतः ठेका बंद कर दिया गया था। नई निविदाएं प्रक्रियाधीन हैं। फार्म का पूरा होना, दिल्ली नगर निगम द्वारा कार्य की शेष लागत जमा कराने तथा राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा सेवाओं को हटाने पर निर्भर करेगा।

दिल्ली डाक सर्कल द्वारा कम्प्यूटरों की खरीद

235. श्री सुख लाल कुशवाहा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95, 1995-96 (आज तक) के दौरान दिल्ली डाक सर्कल द्वारा खरीदे गये कम्प्यूटरों की संख्या तथा मूल्य क्या है;

(ख) क्या काफी अधिक संख्या में कम्प्यूटर अप्रयुक्त पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का इस संबंध में कोई जांच कराने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) डाक सर्किल में वर्ष 1994-95 से अब तक 60 (साठ) कम्प्यूटर 59,14,665 रु. की अनुमानित लागत पर खरीदे गए हैं। इनमें से 49 कम्प्यूटर लगा दिए गए हैं और चालू किए जा चुके हैं।

ऊपर उल्लिखित कम्प्यूटरों में से 11 कम्प्यूटर पालम टी एम ओ पर लगाए जाने की कार्रवाई चल रही है।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (च). उपर्युक्त (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बिना रसोई यान के चलने वाली लम्बी दूरी की रेलगाड़ियां

236. श्री मृत्युंजय नायक :

श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लम्बी दूरी की कितनी रेलगाड़ियां बिना रसोईयान के चल रही हैं और उनके नाम क्या-क्या हैं;

(ख) क्या सरकार से इस संबंध में रेल यात्रियों द्वारा पेश आ रही परेशानियों की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा लम्बी दूरी की इन रेलगाड़ियों में रसोईयान लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) एक विवरण संलग्न हैं।

(ख) और (ग). उन गाड़ियों जिनमें पेंट्रीयान सुविधाएं मुहैया नहीं की गई हैं, द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों को मार्ग में स्थैतिक खान-पान यूनिटों द्वारा खान-पान सेवायें पर्याप्त रूप से उपलब्ध होती हैं। लंबी दूरी की गाड़ियों में पेन्ट्रीयान तथा चल खान-पान सेवाओं की व्यवस्था गाड़ी के महत्व, चालन समय, ठहराव, मार्ग में स्थैतिक यूनिटों द्वारा खान-पान सेवाओं की पर्याप्तता, समय आदि को ध्यान में रखते हुए की जाती है, जो पेन्ट्री यानों तथा गाड़ी के अधिकतम अनुमेय भार की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

विवरण

क्र.स.	पेन्ट्री यानों के बिना 30 घंटे से अधिक चलने वाली लम्बी दूरी की गाड़ियों की संख्या और नाम	
1	2	
1.	1027/1028	दादर-गोरखपुर एक्सप्रेस
2.	1081/1082	मुंबई-केप एक्सप्रेस
3.	3005/3006	हवड़ा-अमृतसर
4.	3007/3008	उद्यान आभा तूफान एक्सप्रेस
5.	3151/3152	सियालदह-जम्मूतवी एक्सप्रेस
6.	5207/5208	अमृतसर-बरौनी जं. एक्सप्रेस
7.	5209/5210	बरौनी जं.-अमृतसर एक्सप्रेस
8.	4247/4248	कुर्ला-वाराणसी एक्सप्रेस
9.	7017/7018	सिंकदराबाद-राजकोट जं. (साप्ताहिक)
10.	9165/9166	साबरमती एक्सप्रेस
11.	6003/6004	मद्रास-हवड़ा मेल

1	2	
12.	6017/6018	नीमसागर एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
13.	6031/6032	मद्रास सेंट्रल-जम्मूतवी एक्सप्रेस (सप्ताह में तीनवार)
14.	6331/6332	मुंबई वी.टी.-तिरुवनंतपुरम सेंट्रल (साप्ताहिक)
15.	8045/8046	ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस
16.	8689/8690	बोकारो स्टील सिटी/टाटा अलेप्पी एक्सप्रेस
17.	8029/8030	हवड़ा-कुर्ला जं.
18.	6099/6010	मुंबई-मद्रास मेल
19.	1037/1038	पंजाब मेल
20.	1457/1458	दादर-अमृतसर एक्सप्रेस
21.	1029/1030	आजाद हिंद एक्सप्रेस
22.	3009/3010	दून एक्सप्रेस
23.	3019/3020	हवड़ा-कायस्थ ग्राम एक्सप्रेस
24.	3049/3050	हवड़ा-अमृतसर एक्सप्रेस
25.	3111/3112	हवड़ा-दिल्ली एक्सप्रेस
26.	3307/3308	लुधियाना जं.-देहरादून गंगा सतलुज एक्सप्रेस
27.	3413/3414	फरक्का एक्सप्रेस
28.	3417/3418	भागलपुर-कुर्ला (4 दिन)
29.	5213/5214	कुर्ला-छपरा (3 दिन)
30.	5063/5064	गोरखपुर-बोटदूबी रोड अवध एक्सप्रेस
31.	7489/7490	कोचीन हार्बट टर्मिनल-वाराणसी जं. (साप्ताहिक)
32.	7491/7492	टी.पी.टी.वाई.-वाराणसी जं. (सप्ताह में दो बार)
33.	7057/7058	विलासपुर जं.-कोचीन हार्बट टर्मिनल (सप्ताह में दो बार)
34.	7081/7082	कोचीन हार्बट टर्मिनल-आई.एन.डी. (साप्ताहिक)
35.	6093/6094	मद्रास-लखनऊ एक्सप्रेस (सप्ताह में दो बार)
36.	6635/6636	कुर्ला-मंगलोर नेत्रावती एक्सप्रेस
37.	8543/8544	निजामुद्दीन-विशाखापट्टनम समता एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन बार)
38.	9019/9020	एम.सी.टी.-डी.डी.एन. एक्सप्रेस
39.	9023/9024	मुंबई सेंट्रल-फिरोजपुर कैंट जनता एक्सप्रेस
40.	9305/9306	आई. एन. डी.-हावड़ा शिप्रा एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन बार)
41.		नांदेड-अमृतसर एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

गुजरात में पर्यटन संवर्धन परियोजनाएं

237. श्री गोरधन भाई जावीया : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन संवर्धन के लिए अब तक प्रस्तुत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) अब तक इनमें से प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है और इन परियोजनाओं की अब तक क्या प्रगति रही?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख). आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार के पर्यटन विभाग ने गुजरात राज्य में निम्नलिखित परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है :—

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाखों में)
1	2	3
1992-93		
1.	तारनेतर के लिए कैंपिंग उपकरण	15.90
2.	प्रचार सहायता	5.00
	जोड़	20.90
1993-94		
1.	नालसरोवर में पर्यटक परिसर	19.68
2.	पोरबंदर में कैफेटेरिया	14.60
3.	सोमनाथ मंदिर की प्रकाशपुंज-व्यवस्था	17.46
4.	स्पिरिट टाइप लैंड सेलिंग याच्की दो यूनिटें	4.48
5.	नवरात्रि उत्सव	1.85
6.	तारनेतर मेला	2.69
7.	प्रचार सहायता	5.00
	जोड़	65.76
1994-95		
1.	कुडा (भावनगर जिला) में पर्यटक गृह	14.50
2.	रॉयल ऑरियंट एक्सप्रेस पर ब्रोशर के लिए सहायता	5.00
3.	तारनेतर उत्सव	1.69
	जोड़	21.19
1995-96		
1.	कच्छ उत्सव के लिए सहायता	3.52
2.	प्रचार सामग्री के उत्पादन के लिए सहायता	4.46
	जोड़	7.98

1	2	3
1996–97 के लिऐ प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाएं		
1.	द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर की प्रकाशपुंज व्यवस्था	12.66
2.	मोधेरा में सूर्य मंदिर, स्मारक का सौंदर्यीकरण	8.32
3.	मोधेरा में बावड़ी–स्मारक का सौंदर्यीकरण	8.32
4.	अंबाजी में जन सुविधाएं	8.78
5.	लखोटा पैलेस, जामनगर की प्रकाशपुंज व्यवस्था	15.00
	जोड़	53.08

उपर्युक्त परियोजनाओं के अलावा, उत्सवों, प्रचार सहायता और उपकरण की खरीद के लिए स्वीकृत धनराशि दी जा चुकी है और पर्यटक परिसरों की निर्माण परियोजनाएं प्रगति पर हैं। एक परियोजना को छोड़कर वर्ष 1996–97 के लिए अन्य परियोजनाओं के विस्तृत विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं।

इण्डियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया में विमान चालकों की कमी

238. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान चालकों की कमी के कारण इण्डियन एयरलाइन्स तथा एयर इण्डिया को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक उक्त विमान कम्पनी में विमान चालकों के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) विमान चालाकों द्वारा इतनी अधिक संख्या में त्यागपत्र देने को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स को विमान चालकों की कमी का सामना करना पड़ता रहा है। एअर इंडिया में विमानचालकों ने सामूहिक रूप से कोई त्यागपत्र नहीं दिये परन्तु इंडियन एयरलाइन्स को 1996 से पहले भारी संख्या में विमानचालकों के पलायन का सामना करना पड़ा।

कमी को पूरा करने के लिए एअर इंडिया सेवा निवृत्त विमान–चालकों की सेवाओं का उपयोग ठेके के आधार पर करता रहा है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम को युक्तिसंगत बनाने, कमांडरों के वृत्तिक ढांचे में परिवर्तन करने तथा उत्पादकता सम्बद्ध प्रोत्साहन स्कीम आरंभ करने के कारण इंडियन एयरलाइन्स में विमानचालकों की उपलब्धता में पर्याप्त सुधार हुआ है।

पर्यटन क्षेत्र में निवेश

239. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी स्रोतों के अनुसार देश में पर्यटन क्षेत्र में फिलहाल 39.100 करोड़ रुपए निवेश किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो पर्यटन क्षेत्र में इस राशि को निवेश करने के मुख्य चैनल क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस राशि के निवेश हेतु कोई चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (घ). पर्यटन विभाग ने भारत में 5 मिलियन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, विभिन्न एजेंसियों द्वारा आरम्भ किए जाने वाले क्रियाकलापों को सूचीबद्ध करते हुए 1993 में एक वर्किंग पेपर तैयार किया। राष्ट्रीय अनुमानों के अनुसार, इनके लिए अपेक्षित निवेश 39,100 करोड़ रुपये का था, जिसे केन्द्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के बीच बराबर–बराबर बांटा जाना था।

निवेश के मुख्य क्षेत्र हवाई अड्डे, हवाई जहाज, रेलवे, सड़कें, नागरिक सुविधाएं, रिसार्ट्स, आवास, जलपान गृह, शापिंग परिसर, पर्यटन सुविधाकरण केन्द्र सम्मेलन केन्द्र, मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण थे।

तथापि, संसाधनों के उपलब्ध न होने के कारण इस राशि के निवेश के लिए कोई चरणबद्ध कार्यक्रम नहीं बनाया गया है।

सीधी विमान सेवा हेतु अभ्यावेदन

240. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ के यात्रियों हेतु मुम्बई–अहमदाबाद से शारजाह और दिल्ली–अहमदाबाद से मस्कट के लिए सीधी विमान सेवा प्रदान करने के लिए लम्बे समय से मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). कच्छ के यात्रियों की विमान सेवा सम्बन्धी जरुरतें अहमदाबाद हवाई अड्डे के जरिए अनिवार्यतया पूरी की जाती हैं। अहमदाबाद एअर इंडिया की सेवाओं द्वारा मुम्बई/दिल्ली के रास्ते दुबई से जहां के लिए सप्ताह में तीन उड़ानें हैं तथा मुम्बई के रास्ते मस्कट से जुड़ा है; जहां के लिए सप्ताह में दो उड़ानें हैं।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में दूरदर्शन केन्द्र/प्रसारण केन्द्र

241. श्री के.डी. सुल्तानपुरी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में इस समय स्थानवार कितने दूरदर्शन केन्द्र और प्रसारण केन्द्र कार्यरत हैं;

(ख) क्या यह संख्या राष्ट्रीय औसत के समतुल्य हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का राज्य में टेलीविजन नेटवर्क के विस्तार हेतु नए दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्य में चालू किए जाने हेतु तैयार उच्च शक्ति ट्रांसमीटर को स्थापित करने और उनमें रख-रखाव के लिए अपेक्षित कर्मचारी उपलब्ध करा दिए गए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (घ). शिमाला में एक कार्यक्रम निर्माण केन्द्र और भिन्न-भिन्न शक्तियों के सत्ताईस टेलीविजन ट्रांसमीटर इस समय हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रचालन में हैं। हालांकि अन्य अधिकांश राज्यों के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश में टेलीविजन ट्रांसमीटरों की संख्या तर्कसंगत है तथापि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण राज्य में इन ट्रांसमीटरों द्वारा कवर किए जाने वाले क्षेत्र और जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र ट्रांसमीटरों की परिणामी कवरेज की सीमा को प्रतिबंधित करते हैं। तथापि राज्य में टेलीविजन सेवा के और अधिक विस्तार हेतु वर्तमान में विभिन्न शक्ति के 23 ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन हैं और राज्य में एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर सहित 7 टेलीविजन ट्रांसमीटर स्थापित करने का विचार है बशर्ते संसाधन और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। हिमाचल प्रदेश में विद्यमान ट्रांसमीटर परियोजनाओं और कार्यान्वयानाधीन/विचाराधीन परियोजनाओं का स्थलवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) जी, हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

हिमाचल प्रदेश में टेलीविजन ट्रांसमीटर परियोजनाओं का स्थलवार ब्यौरा

विद्यमान	कार्यान्वयनाधीन	परिकल्पित
1	2	3
कार्यक्रम निर्माण केन्द्र		
शिमला		
उ.श.ट्रां.		उ.श.ट्रां.
कसौटी		धर्मशाला
शिमला		
अ.श.ट्रां.	अ.श.ट्रां.	अ.श.ट्रां.
बिलासपुर	सुजानपुर	आशापुरी
धर्मशाला	सुन्दर नगर	मण्डी (डी.डी.-2)
कुल्लू	रामपुर	नैना देवी
मनाली		कन्डाघाट
मण्डी		दलाश
शिमला (डीडी-2)		नेहरी
अ.अ.श.ट्रां.	अ.अ.श.ट्रां.	
अजू फोर्ट	जहाल्मा	
बैजनाथ	भरमौर	
चम्बा	दासनी	
बांदिया	होली	
भारती	परवानू	
दियार	डलहौजी	
हमीरपुर	रोहरू	
जोगिन्दर नगर	कोटखाई	
काल्पा	चौपाल	
खड़ा पत्थर	निच्छार	
किर्योग	तीसा	
पालमपुर	चौड़ी खास	
सरकाघाट	पिरभयानू	
शिवबदर	झटिंगगिरि	
थाणेदार	काजा	
ऊना	उदयपुर	
वीर	अहवा देवी	
	करसोंग	
	बन्जार	
	चुनाघई	
एकसजर		
राजगढ़		
सोलन		

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में रेमिंगटन रेन्ड के बन्द एकक

242. श्री पी. आर. दासमुंशी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के रेमिंगटन रेन्ड के बन्द पड़े एकक के संबंध में अगस्त, 1996 में दिल्ली में कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग). रैमिंगटन रैंड इंडिया लि. की बंद इकाई को फिर से खोलने की संभावना का पता लगाने के लिए नई दिल्ली में 22.8.96 को श्रम मंत्रालय में एक बैठक आयोजित की गई थी।

बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि प्रबंधन, संबंधित व्यवसाय संघ को अपना प्रस्ताव भेज देगा जो इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया समुचित प्राधिकारी, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार है, को भेज देगा। तदनुसार प्रबंधन के प्रस्ताव पर व्यवसाय संघों की प्रतिक्रिया उचित कार्रवाई के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को संचित कर दी गई है।

अवैध कॉल

243. **श्री जी.एम. कुंदूरकर : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में नांदेड़ जिले में किनवैट टेलीफोन एक्सचेंज में कुछ कर्मचारियों द्वारा कुछ विदेशी कालें करने के समाचार के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस एक्सचेंज के कुछ कर्मचारियों से विदेशी स्थानों पर अवैध कालें करने के लिए 80,000 रुपये वसूल किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) और आगे छानबीन के लिए मामला सतर्कता विभाग को सौंप दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो मामले का ब्यौरा क्या है और सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) से (च). मामले की जांच की जा रही है और इसके पूरा होने पर ब्यौरेवार जवाब सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

[हिन्दी]

बिहार में फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान

244. **श्री चित्रसेन सिंकू : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी सिंहभूमि (बिहार) में आदित्यपुर-कान्द्रा मुख्य सड़क पर फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण गत सात वर्षों से लम्बित है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे पूरा किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ग) कब तक इसे पूरा किए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान भवन का निर्माण, इस प्रयोजनार्थ केवल पर्याप्त निधियों की प्राप्ति के पश्चात ही सम्भव हैं।

बिहार में टेलीफोन कनेक्शन

245. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में पिछले दो वर्षों के दौरान जिलेवार कितने व्यक्तियों ने टेलीफोन कनेक्शन के लिए आवेदन किया;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं और उन व्यक्तियों की जिलेवार संख्या कितनी है जिन्हें अभी टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने हैं; और

(ग) राज्य में विशेष रूप से रांची में और अधिक टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तीसरी रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण

246. **श्री महेश कुमार एम. कनोडिया : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल यातायात के दबाव को कम करने के लिए मुंबई तथा अहमदाबाद के बीच तीसरी रेल लाइन के निर्माण हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). जी हां। हाल ही में विरार तथा अहमदाबाद के बीच तीसरी लाईन के निर्माण के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरिंग तथा यातायात सर्वे पूरा कर लिया गया है तथा मंत्रालय में सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के पूरा जाने पर ही आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

इस्पात की कमी

247. श्री सौम्य रंजन : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस्पात की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस्पात का कारखाना निर्गत मूल्य तथा आयात एवं निर्यात का सी.आई.एफ. तथा एफ.ओ.बी. मूल्य क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आयात लागत से तुलना करते समय स्टॉकयार्ड कीमत कारखाना द्वारा कीमत की अपेक्षा बेहतर अभिसूचक है सितम्बर, 96 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की स्टॉकयार्ड कीमतें, निर्देशक (इंडीक्रेटिव) सी आई एफ कीमतें और इस्पात की कुछ मदों की आयात की उतराई तक लागत निम्नानुसार थी :—

(रुपए प्रति टन)

	स्टॉकयार्ड कीमतें	सी.आई. एफ. कीमतें	आयात की उतराई तक लागत
वॉयर रॉड आई एस-2062 (6 एम एम)	16356	11930	18392
बीमें 125×70	16471	15789	24277
प्लेटें (22 एम एम)	21646	17183	26417
एच.आर.क्वायलें 3.15 डी.डी. (के)	19058	13684	20264
सी.आर.क्वायलें 0.63 डी.डी. (के)	24061	18246	28023
जी.पी. शीटें (0.63 एम एम)	27657	21403	32838

लोहे और इस्पात की निर्यात कीमतें अनेक घटकों जैसे घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग, घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रचलित कीमतें अन्य विदेशी मुद्राओं के मुकाबले में रुपए की विनियम दर, निर्यात हेतु उपलब्ध प्रोत्साहन, आदि पर निर्भर करती हैं।

[हिन्दी]

डेहरी आन-सोन रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी का ठहराव

248. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया से डेहरी आन-सोन के बीच चलने वाली रेलगाड़ी डेहरी आन-सोन पर ग्यारह घंटों तक खड़ी रहती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस रेलगाड़ी को गढ़वा तक दोनों ओर से चलाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक गढ़वा तक दोनों ओर से चलाये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) देहरी ऑन-सोन पर गया-देहरी-ऑन-सोन पैसेन्जर की ठहराव अवधि 9 घण्टे तथा 55 मिनट हैं।

(ख) परिचालनिक कारणों से इसका गढ़वा रोड तक विस्तार करना इस समय व्यावहारिक नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दूरदर्शन केन्द्र, केरल

249. श्री एन.एन. कृष्णादास : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में अल्लापटी दूरदर्शन केन्द्र निर्माणाधीन है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) कब तक इसे पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). केरल में पल्लाखाद जिले के अट्टाप्पडी में अल्प शक्ति ट्रान्समीटर परियोजना के लिए उपयुक्त स्थल का अधिग्रहण कर लिया गया है तथा विभागीय कार्य प्रगति पर हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार परियोजना का स्थापना कार्य मार्च, 1997 तक पूरा हो जाने की आशा है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में टेलीफोन का खराब रख-रखाव

250. श्री हंसराज अहीर : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के कई गांवों में टेलीफोन एक्सचेंज खराब रख-रखाब के कारण बंद होने की कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा टेलीफोन को बेहतर स्थिति में लाने के लिए क्या योजनाएं हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार पुरानी क्रासबार प्रणाली के स्थान पर राज्य में पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक क्रासबार को बदल दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं। केवल कुछ ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) के खराब होने की शिकायत मिली है।

(ख) दूर संचार सर्किलों को विनिर्माताओं के साथ वार्षिक अनुरक्षण करार करने को कहा गया है। ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) के निष्पादन को मानीटर करने के लिए सख्त जांच प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

(ग) जी हां।

(घ) 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में रेल परियोजनाओं का पूरा किया जाना

251. श्री बाबू बन रियान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न रेल परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान पूरी की जाने वाली परियोजनाओं के नाम क्या-क्या हैं; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान परियोजना-वार किए गए आवंटन का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न रेल परियोजनाऐं :

(क) से (ग). पूर्वोत्तर राज्यों में रेल परियोजनाओं की प्रगति

परियोजना का नाम	वास्तविक प्रगति	चालू वर्ष में बजट आबंटन
नई लाइनें		
1. जोगीघोपा से गुवाहाटी तक बड़ी रेल लाइन के साथ-साथ जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र जोगीघोपा-गुवाहटी रेल एवं सड़क पुल	I. कुल मिलाकर प्रगति 72.30% II. रेल एवं सड़क पुल 94% III. रेलवे लाइन 51.05%	27.00 करोड़
2. कुमारघाट-अगरतला	कुछ नहीं	01.00 करोड़
3. दुधनोई-दीपा	कुछ नहीं	05.00 करोड़
आमान परिवर्तन		
4. संपर्क शाखा लाइनों सहित लमडिंग से डिब्रूगढ़ (628 कि.मी.)	47.2%	88.00 करोड़
5. चापरमुख-हेवरगांव संबद्ध शाखा लाइनों सहित न्यू गुवाहटी-लमडिंग (202.11 कि.मी.)	99.5%	05.19 करोड़
6. मिगरेदिसा-दिटोबछेडा (198 कि.मी.) के बीच नए संरेखणसहित लमडिंग-सिलचर	कुछ नहीं	10.00 करोड़

(ख) निम्नलिखित परियोजनाएं चालू वर्ष में पूरी हो जाएंगी :—

दीमापुर-डिब्रूगढ़-तिनुसुकिया-लेखापानी आमान परिवर्तन परियोजना।

समूची किराया प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना

252. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 वर्ष पूर्व भारतीय रेल ने, 1991 तक समूची किराया प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के लिए 1079 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना को स्वीकृति दी थी;

(ख) यदि हां, तो 134 करोड़ रुपये से भी अधिक खर्च करने के बावजूद प्रणाली आज भी मानव नियंत्रित है;

(ग) यदि हां, तो क्या 1985 में सरकार ने रेलवे सूचना प्रणाली की स्थापना की थी, जिसे कि किराया परिचालन सूचक प्रणाली का अभिकल्प तैयार करना, विकास तथा इसे लागू करना था;

(घ) इस केन्द्र को परिचालित नहीं करने के क्या प्रमुख कारण हैं; और

(ङ) इस कार्यक्रम को लागू नहीं करने के कारण कुल कितनी हानि हुई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) भारतीय रेल के लिए मालभाड़ा परिचालन सूचना प्रणाली (एफ.ओ. आई.एस.) परियोजना योजना आयोग द्वारा 1098 करोड़ रुपये की लागत से नवम्बर 1989 में इस शर्त के साथ अनुमोदित की गई थी कि पहले चरण में इसे उत्तर रेलवे पर कार्यान्वित किया जाएगा। उत्तर रेलवे के लिए एफ.ओ.आई.एस. का विस्तृत अनुमान 267.2 करोड़ रुपये की लागत पर दिसम्बर 1992 में स्वीकृत किया गया था और इसे पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31.12.95 थी।

(ख) अब तक इस परियोजना पर लगभग 162 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इस परियोजना को अभी पूरा किया जाना है और जब तक यह पूरी नहीं होती मालभाड़े का परिचालन परस्पर ढंग से नियंत्रित करना होगा।

(ग) रेल सूचना प्रणाली केन्द्र (क्रिस) की स्थापना 1986 में मुख्यतः एफ.ओ.आई.एस. के अभिकल्प विकास तथा कार्यान्वयन के लिए की गई थी।

(घ) क्रिस द्वारा अब तक विकसित साफ्टवेयर उत्तर रेलवे के दिल्ली क्षेत्र में परीक्षणाधीन है। परीक्षणों के दौरान साफ्टवेयर में पाई गई विभिन्न समस्यायें तथा कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया था। बहरहाल, इनमें से अनेक अभी भी मौजूद हैं। इसके कारणों का पता लगाने और उनका हल निकालने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) दिल्ली को अक्टुबर 1995 में इस परियोजना का तकनीकी अध्ययन सौंपा गया था। आई.आई.टी. की रिपोर्ट जिसमें साफ्टवेयर की आवश्यकता तथा उपयोगिता का मूल्यांकन किया गया है में इस प्रणाली को कार्यक्षम, फायदेमंद तथा किफायती बनाने के लिए सिफारिशें की गई हैं, प्राप्त हो गई है और इसकी जांच की जा रही है।

(ङ) यद्यपि इस परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब हो रहा है, फिर भी अब तक लागत में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

बेलूर रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाएं

253. **श्री हन्नान मोल्लाह : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के बेलूर रेलवे स्टेशन पर न्यूनतम यात्री सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रतीक्षालय, शौचालय, पेयजल, ऊपरिपुल और जलनिकास की व्यवस्था करने के लिए कोई कदम उठाया गया हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ). बेलूर एक उपनगरीय रेलवे स्टेशन हैं और वहां पर संभाले जा रहे यात्री यातायात की मात्रा के अनुरूप सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं। इस स्टेशन पर प्रतीक्षालय, शौचालय, पीने के पानी और ऊपरी पैदल पुल की सुविधा पहले से उपलब्ध हैं।

उपनगरीय रेलगाड़ियों का विलम्ब से चलना

254. **श्री अनिल बसु : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ महीनों से कलकत्ता की सभी उपनगरीय रेलगाड़ियां प्रतिदिन विलम्ब से चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उपनगरीय रेलगाड़ियों को समय से चलाए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). रेलगाड़ियों को समय पर चलाने का रेलों का प्रयास रहता है। बहरहाल, कभी-कभी अपरिहार्य कारणों से जैसे आन्दोलनों, बन्द, शरारती तत्वों की गतिविधियों, दुर्घटनाओं, उपस्कर में खराबी आ जाने के कारण विस्थापना तथा मौसम इत्यादि के खराब हो जाने से गाड़ियां देरी से चलती हैं। गाड़ियों के समय-पालन में सुधार लाने के लिए और अधिक कड़ी निगरानी शुरू की गई है।

प्लासी रेलवे स्टेशन को पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण स्थलों में शामिल करना

255. **डा. असीम बाला :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार इससे परिचित है कि प्लासी पश्चिम बंगाल का ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्टेशन है तथा रेलवे ने पूर्वी रेलवे द्वारा प्रकाशित रेलवे समय सारणी में पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण स्थानों/ पर्यटक स्थलों में प्लासी को शामिल नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पूर्वी रेलवे की समय सारणी में इस स्थान का नाम शामिल किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). समय सारिणी में प्रकाशित पर्यटक स्थलों की सूची वृहद नहीं हैं। बहरहाल पूर्व रेलवे की अगली समय सारिणी में प्लासी को शामिल किया जाएगा।

कलकत्ता दूरभाष केन्द्र में प्रतीक्षा सूची

256. **श्री अजय मुखोपाध्याय :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता दूरभाष के अन्तर्गत केन्द्र-वार टेलीफोन कनेक्शन के लिए केन्द्र-वार कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) इस बकाया को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) अक्तूबर, 1996 तक केन्द्र-वार कितने व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किया गया; और

(घ) कलकत्ता टेलीफोन के कार्यकरण में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) कलकत्ता टेलीफोन एक्सचेंज के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा-सूची में दर्ज व्यक्तियों की एक्सचेंज-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) चालू वित्त वर्ष 1996-97 के दौरान, कम-से-कम 55000 लाइनों के नए कनेक्शन प्रदान करने और तकनीकी रूप से अव्यवहार्य कुछ मामलों को छोड़कर वर्ष 1997-98 के दौरान शेष कनेक्शन दिए जाने की योजना है।

(ग) अक्तूबर, 1996 तक के दौरान, जिन व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए हैं उनको एक्सचेंज-वार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) कलकत्ता टेलीफोन्स के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

(1) सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सभी इलेक्ट्रोमेकेनिकल एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजो से और आगे विस्तार किया जा रहा है।

(2) डक्ट को शुरूआत करके बाह्य संयंत्रों का उन्नयन करने, जैली भरे केबलों का प्रयोग करने और ओवर हेड लाइनों आदि की मरम्मत करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। सभी सीमा तक मौजूदा दोषप्रवण केबलों को बदला जा रहा है।

(3) अच्छी गुणवत्ता वाले पुश बटल उपकरणों का प्रयोग करके सभी घिसे-पिटे टेलीफोन उपकरणों को बदलने का प्रस्ताव है।

(4) जंक्शन मीडिया में ऑप्टिकल फाइबर और डिजिटल माइक्रोवेव प्रणालियों की शुरूआत करना।

(5) दोष मरम्मत सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण।

(6) उपभोक्ता सेवा केन्द्रों का उन्नयन।

(7) बिल संबंधी कार्य-प्रणाली को युक्तिसंगत बनाना।

विवरण I

31.10.96 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की सं.
1	2	3
1.	बुर्राबाजार ई डब्ल्यूएसडीएम	387
2.	सेन्ट्रल सी-400	861
3.	सेंट्रल	1427
4.	चितरंजन	1826
5.	सर्कस	1702
6.	पिकनिक गार्डन आरएलयू	1410
7.	एलीपोर आरएलयू	715
8.	अलीपुर एक्स बार	710
9.	अमटोला आरएलयू	203
10.	बेहाला ई-10 बीएम	4358
11.	बेहाला रीछ आर एलयू	2718
12.	बज बज आरएलयू	725
13.	गार्डन एक्स बार	812
14.	जोका आरएलयू	725
15.	नोडारवाली सी-डाट	54
16.	बेशनबघटा आरएलयू	826

1	2	3
17.	बारूपुर आरएलयू	336
18.	जादवपुर ई-10 बीएम	3841
19.	जादवपुर ओसीबीएम	394
20.	नरेन्द्रपुर आरएलयू	1290
21.	रानीकुथी आरएलयू	3637
22.	बालीगंज पी आई आरएलयू	355
23.	कालीघाट ई-10 बीएम	316
24.	कालीघाट एक्स बार	934
25.	कस्बा आर एलयू	650
26.	रस्सा ई डब्ल्यूएसडीएम	1295
27.	रस्सा ईडब्ल्यू एस डी एम	1295
28.	रस्सा आर एल यू	158
29.	चौरंगी आर एल यू	11
30.	सिटी	869
31.	टिरेटटा बाजार आरएल यू	43
32.	टिरेटटा बाजार I	336
33.	टिरेटटा बाजार II	1201
34.	टिरेटटा बाजार III	
35.	बरसात आर एल यू	1722
36.	बेरकपुर आर एल यू	1894
37.	बटपारा आर एल यू	2669
38.	कल्याणी आर एल यू	2815
39.	पानीहाटी आर एल यू	3612
40.	एअरपोर्ट आर एल यू	377
41.	बिराती आर एल यू	988
42.	डम डम एक्स ई 10 बी एम	5907
43.	डम डम एक्स बार	1644
44.	जेस्सोर रोड आर एल यू	812
45.	लेक टाउन आर एस यू	2525
46.	मध्यमग्राम आर एल यू	620
47.	साल्ट लेक ई डब्ल्यू एस डी एम	7959
48.	साल्ट लेक फेटेक्स एम	
49.	साल्ट लेक आर एल यू	
50.	साल्ट लेक आर एस यू	
51.	बागबाजार ईडब्ल्यू एस डी एम	934
52.	कोसीपोर ई 10 बी	5228
53.	पूर्वी ई 10 बी एम	2484
54.	अंडुल आर एल यू	1063
55.	बेलूरमठ आर एल यू	1467
56.	गुलमोहर आर एल यू	354
57.	इच्छापुर आर एल यू	1636
58.	सलकिया आर एल यू	3392
59.	शिवपुर ई-बी एम	2105
60.	शिबपुर एक्स बार	1390
61.	चंदननगर आर एल यू	379
62.	बिंसुरा ई 10 बी एम	2359
63.	सिरमपुर एक्स बार	2192
64.	सिमपुर आर एल यू	1798
65.	त्रिवेनी आर एल यू	1042
66.	उत्तरपारा आर एल यू	702
67.	उत्तरपारा एक्स बार	2134
68.	उत्तरपारा एक्स बार	741

विवरण II

दिनांक 31.10.96 तक प्रदान किये गये एक्सचेंजवार टेलीफोन कनेक्शन

	एक्सचेंज	संख्या
	1	2
1.	टेलीफोन भवन (ईडब्ल्यूएसडी)	1084
2.	टेलीफोन भवन (ई-10बी)	137
3.	टेलीफोन भवन (एफईटीईएक्स)	515
4.	चौरंगी आरएलयू	118
5.	त्रेता बाजार आरएलयू	98
6.	त्रैता बाजार III	98
7.	त्रैता बाजार I	120
8.	त्रैता बाजार II	153
9.	सेंट्रल I (ई-10-बी)	543
10.	सेंट्रल I (ईडबल्यूएसडी)	1
11.	सेंट्रल II	34
12.	बुर्रा बाजार	444
13.	चितरंजन I	253

1		2
14.	चितरंजन II	345
15.	सर्कस	748
16.	पिकनिक गार्डन	49
17.	शिवपुर (ई-10-बी)	279
18.	शिवपुर I (एक्स-बार)	71
19.	गोलमोहर	308
20.	इचापुर आरएलयू	256
21.	अंडुल आरएलयू (669)	14
22.	उल्लूबेरिया आईएलटी	4
23.	सलकिया आरएलयू	354
24.	वेलूरमठ आरएलयू	301
25.	उत्तरपारा	327
26.	उत्तरपारा आरएलयू	313
27.	सेरमपुर आरएलयू	96
28.	सेरमपुर	36
29.	चिनसुरा	107
30.	चंदन नगर आरएलयू	618
31.	त्रिवेनी आरएलयू	12
32.	अलीपुर आरएलयू	213
33.	अलीपुर	167
34.	जी आर आरएलयू	32
35.	बल्ली प्लेस आरएलयू	353
36.	रूसा आरएलयू	690
37.	कस्बा आरएलयू	197
38.	कालीघाट I	305
39.	कालीघाट II	54
40.	जादवपूर	1398
41.	जादवपुर II	235
42.	रानीकुठी आरएलयू	225
43.	नरेन्द्रपुर आरएलयू	127
44.	बेसनव घाट आरएलयू	529
45.	वीआरपी आरएलयू	77
46.	बेहाला	667
47.	बेहाला II	232
48.	जोका आरएलयू	59
49.	बज बज आरएलयू	106
50.	अमतोला आरएलयू	55
51.	नोडाखाली	1
52.	साल्ट लेक (एफईटीईएक्स)	215
53.	साल्ट लेक आरएलयू (ई-10-बी)	193
54.	साल्ट लेक (ईडबल्यूएसडी)	17
55.	ईस्ट I	836
56.	ईस्ट II	1
57.	बाग बाजार	162
58.	बाग बाजार आरएलयू	503
59.	बाग बाजार I	1087
60.	कोस्सीपुर	597
61.	डम डम	1112
62.	डम डम II	176
63.	एअर पोर्ट आरएलयू	300
64.	जेस्सेर रोड आरएलयू	468
65.	बिराती आरएलयू	482
66.	मध्यमग्राम	733
67.	बरसात आरएलयू	513
68.	पानीहाती आरएलयू	1015
69.	बैरकपुर आरएलयू	441
70.	भटपारा आरएलयू	77
71.	कल्याणी आरएलयू	85

[हिन्दी]

कोंकण रेल परियोजना

257. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेल परियोजना बंद होने के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस परियाजना को चालू रखने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

असम जाने वाली सभी रेलगाड़ियों को कलकत्ता से चलाने का प्रस्ताव

258. श्री उधव बर्मन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार असम जाने वाली सभी रेलगाड़ियों को एअर-ब्रेक सिस्टम सहित कलकत्ता से चलाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस प्रणाली को बदलने में विलंब के क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ). 6519/6520 बेंगलूरू-गुवाहाटी एक्सप्रेस में बात ब्रेक रेकों की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है तथा चालू वर्ष के दौरान 5659/5660 कामरूप एक्स्प्रेस में वात ब्रेक रेकों की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। उत्पादन इकाइयों से वात ब्रेक स्टॉक की उपलब्धता के आधार पर इस खंड पर शेष रेलगाड़ियो को वात ब्रेक में परिवर्तन करने के लिए अन्य निर्वात ब्रेक रेल गाड़ियों के साथ-साथ चरणबद्ध रूप में धीरे-धीरे लिया जाएगा।

केरल के यात्रियों की कठिनाइयां

259. श्री ए. सम्पथ : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल के यात्रियों द्वारा हावड़ा से यात्रा करते समय जिन-जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनकी जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि केरल और हावड़ा के बीच कोई सुपरफास्ट रेलगाड़ी नहीं चल रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह सच है कि हावड़ा और केरल के बीच सभी रेलगाड़ियां चेन्नई होकर जाती हैं;

(ङ) क्या हावड़ा और त्रिवेन्द्रम के बीच सबसे अधिक छोटे मार्ग से होकर सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाने के लिए कोई कदम उठाये जा रहे हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). इस समय में हावड़ा केरल के साथ 4 जोड़ी साप्ताहिक एक्सप्रेस गाड़ियों यथा 6321/6322 गुवाहाटी-तिरूवनंतपुरम, 6323/6324 तिरूवनंतपुरम-हावड़ा, 6313/6314 गुवाहाटी-कोचीन और 6315/6316 हावड़ा-कोचीन एकसप्रेस से जुड़ा हुआ है। गाड़ी बदलने की सुविधा से युक्त ये सेवाएं कुल मिलाकर हावड़ा और केरल के बीच प्राप्त होने वाले यातायात की आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं। यथापि, त्यौहारों और कुछ अवकाशों, आदि के कारण कुछ अवधियों में अतिरिक्त भीड़ होती है।

(ग) और (घ). जी हां

(ङ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) परिचालनिक कठिनाई और संसाधन की तंगी के कारण।

पश्चिम रेलवे के विरार के लिए रेलसेवाओं की आवृत्ति

260. श्री राम नाईक : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी रेल की नयी समय सारणी में स्थानीय रेल सेवा की बढ़ायी गई 52 आवृत्तियों में से विरार स्टेशन के लिए मात्र दो नीय आवृत्तियों की वृद्धि का प्रावधान किया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विरार के लिए रेल सेवा आवृत्ति में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है;

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) विरार को जाने वाली दो जोड़ी लोकल गाड़ियों (ई.एम.यू) बढ़ा दिए गये हैं जोकि 1.10.96 से प्रभावी हैं।

(ख) परिचालन कठिनाई तथा संसाधनों की तंगी।

(ग) विरार तक अतिरिक्त फेरे व्यावहारिक नहीं पाए गए हैं। बहरहाल 1996-97 के दौरान विरार से/तक 42 कार सेवाओं की संख्या 60 तक बढा दी गई है।

पूरे कलकत्ता को रेल द्वारा जोड़ना

261. श्री सुब्रता मुखर्जी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता देश के कुछेक से अभी तक रेल द्वारा नहीं जुड़ा है;

(ख) यदि हां, तो कलकत्ता को राजकोट, गांधीधाम, द्वारिका, गोवा, जेसलमेर, कन्याकुमारी, बीकानेर जैसे स्थानों से सीधे रेल सेवा द्वारा जोड़ने के लिए क्या कदम उठाये जायेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं। कलकत्ता रेलों से भली भांति जुड़ा हुआ है।

(ख) और (ग). हावड़ा पहले ही बीकानेर, राजकोट, गांधीधाम से सीधी गाड़ियां/थ्रू सवारी डिब्बों से जुड़ा हुआ है। हावड़ा से द्वारका, गोवा, जैसलमेर, कन्याकुमारी तक नई गाड़ियां चलाना परिचालनिक कठिनाई और संसाधनों की तंगी के कारण व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

रेल फाटक पर ऊपरि पुल का निर्माण

262. **श्री के.पी. नायडु :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालम कालोनी, नई दिल्ली में रेल फाटक आमतौर पर बंद रहता है क्योंकि हाल में आमान परिवर्तन का कार्य शुरू किए जाने के कारण अब अनेक रेलगाड़ियां उस पटरी से गुजरती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सड़क यातायात के सुचारू आवगमन के लिए उक्त रेल फाटक पर एक ऊपरि पुल बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ). समान्यतः समपार सड़क यातायात हेतु खुला रखा जाता है समपारों को बन्द करने की संख्या कम हुई है क्योंकि आमान परिवर्तन के पश्चात गाड़ियों की संख्या कम हुई है।

समपार को ऊपरी सड़क पुल से बदलने से संबंधित दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक प्रस्ताव की अभी योजना बनाई जा रही है क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अभी तक अपेक्षित प्राथमिकताऐं पूरी नहीं की हैं।

रेल नेटवर्क

263. **श्री दिनशा पटेल :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में रेल नेटवर्क के विकास का लक्ष्य क्या है;

(ख) क्या उपलब्धि लक्ष्य से काफी कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उपलब्धि दर को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में विभिन्न योजना शीर्षों के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 की समाप्ति पर संभावित उपलब्धियों का विवरण निम्नांकित है :-

योजना शीर्ष		आठवीं योजना के लक्ष्य	संभावित उपलब्धि
1.	चल स्टाक (संख्या)		
I.	रेल इंजन	1499	1517
II.	सवारी डिब्बे	9100	9136
III.	ई एम यू	1265	1288
IV.	माल डिब्बे	120000/99509*	97303+5000 1996-97 में अपने माल डिब्बे के मालिक बने योजना के अंतर्गत माल डिब्बा इकाइयां
2.	रेलपथ नवीकरण (कि.मी.)	12500	13972
3.	आमान परिवर्तन (कि.मी.)	6000/8100*	7033
4.	विद्युतीकरण (कि.मी.)	3000/2700*	2700
5.	दोहरीकरण (कि.मी.)	1250	1088
6.	नई लाइनें (कि.मी.)	लक्ष्य नहीं	714

(*संशोधित लक्ष्य)

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पर्यटन के विकास के लिए महाराष्ट्र को आबंटित धनराशि

264. **श्री दत्ता मेघे :** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पर्यटन के विकास हेतु योजनबद्ध कितनी राशि आबंटित की गई;

(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के पर्यटन उद्योग में काफी प्रगति हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत वर्ष के दौरान महाराष्ट्र के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर कितने विदेशी पर्यटक आए?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) पर्यटन विभाग ने महाराष्ट्र राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु 196 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 6 परियोजनाओं को अभिनिर्धारित किया है। ये परियोजनाएं इस प्रकार हैं :-

1. औरंगाबाद हालीडे रिजार्ट, औरंगाबाद।
2. शिर्डी तीर्थ स्थान।
3. हरिहरेश्वर तथा गणपतिफुले में कोंकणी कुटीरें।
4. कुंकेश्वर में पर्यटक परिसर, पिंगुली में पर्यटक परिसर व शिल्प क्रेन्द्र।
5. धामपुर में झील पर पर्यटक परिसर व जलक्रीड़ा परिसर।

(ख) और (ग). महाराष्ट्र में पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य सरकार, निजी निवेशकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े स्तर पर प्रोत्साहन-छूटें प्रदान कर रही हैं। अभी तक राज्य सरकार ने 102 करोड़ रुपये राशि के निजी निवेश हेतु 55 प्रस्ताव प्राप्त किए हैं।

(घ) वर्ष 1995 के दौरान महाराष्ट्र में विभिन्न स्थलों को देखने के लिए 8,81,351 विदेशी पर्यटक आए।

अभ्रक का उत्पादन/निर्यात

265. श्री शिवराज सिंह :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान अब तक राज्यवार देश में अभ्रक का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) गत तीन वर्षो के दौरान वर्षवार उपरोक्त उत्पादन के कितने प्रतिशत का निर्यात किया गया; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान इसका किन-किन देशों को निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1994-95, 1995-96 और अप्रैल, 96 से अगस्त, 96 के दौरान अभ्रक का राज्यवार उत्पादन निम्नवत है:-

(मात्रा टन में)

राज्य	1994-95		1995-96		अप्रैल, 96 से अगस्त, 96	
	कच्चा	अपशिष्ट और कूडा करकट	कच्चा	अपशिष्ट और कूड़ा-करकट	कच्चा	अपशिष्ट और कूडाकरकट
भारत	1998	1465	1761	1198	815	611
आंध्र प्रदेश	783	558	756	359	343	215
बिहार	1138	401	956	318	445	202
राजस्थान	67	506	49	521	27	194

(ख) उत्पादन के संबंध में दी गई सूचना अभ्रक (अपरिष्कृत) और अपशिष्ट तथा कूड़ा-करकट की है जबकि निर्यात की गई वस्तुओं में अनिर्मित और निर्माण में काम आने वाला अभ्रक अर्थात ब्लाक, स्पिलिटिंग, कंडेंसर फिल्म, वेस्ट और स्क्रैप, प्लैट कट वाशर और डिस्क, माइकानाइट और अन्य निर्मित अभ्रक शामिल है। इन वस्तुओं के अलावा, अभ्रक पाउडर की भी बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है जो कुल निर्यातित अभ्रक का 80-85 प्रतिशत है।

(ग) अभ्रक मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्विटजरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, चीन, कोरिया, सिंगापुर, स्पेन, हांग कांग, नार्वे, नीदरलैंड, सऊदी अरब इत्यादि देशों को निर्यात किया जा रहा है। 1994-1995, 1995-96 और अप्रैल, 96 के दौरान क्रमशः 38.7 करोड़ रु, 44.0 करोड़ रु. की विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी।

पर्यटन उद्योग में वृद्धि

266. श्री कचरू भाऊ राउत : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में देश के पर्यटन उद्योग में कोई वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष की तुलना में अब तक कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) जी, हां।

(ख) चालू वर्ष के पहले दस महीनों के दौरान, पिछले वर्ष की इसी समयावधि की तुलना में, भारत के लिए पर्यटक यातायात में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

[अनुवाद]

इस्को का पुनरूद्धार

267. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 अक्तूबर, 1996 के "द इकॉनोमिक टाइम्स" में इस्कों सैवियर्स सीक टाइम्स टू फारवर्ड पैकेज टू सेल नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और अद्यतन स्थिति क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख). जी, हां। संयुक्त उद्यम समझौते के माध्यम से इस्को के पुनरूद्धार/आधुनिकीकरण हेतु भागीदारी के लिए "सेल" ने संयुक्त उद्यम कम्पंनी में अपना 51 प्रतिशत शेयरधारिता बहुमत रखते हुए प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। सेल को दो पार्टियों अर्थात रूस की मैसर्स त्याजप्रोमेक्सपोर्ट (टी.पी.ई.) और जापान की मैसर्स मित्सुई से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सेल ने औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई. एफ.आर.) से समय बढ़ाने को कहा है ताकि उनके द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का और आंकलन किया जा सके। बी.आई.एफ.आर. ने सेल को 6 जनवरी, 1997 तक का और समय दे दिया है। इस संबंध में नवीनतम स्थिति यह है कि जापान की मैसर्स मित्सुई ने साम्या भागीदारी जो संयुक्त उद्यम भागीदार के चयन हेतु अनिवार्य है, हेतु अनिच्छा जाहिर की है।

चूंकि इस्को को बी.आई.एफ.आर. को संदर्भित किया गया है, अतः इसके आधुनिकीकरण के संबंध में शुरू की जाने वाली कोई भी योजना बी.आई.एफ.आर. के आदेशों के अनुरूप ही होगी।

[हिन्दी]

रेलगाड़ी का पटरी से उतरना

268. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू जाने वाली झेलम एक्सप्रेस 14 सितम्बर, 1996 को प्रातः 7.00 बजे पर मिम्बौरा और खैरा रेलवे स्टेशनों के बीच पटरी से उतर गई थी जिसके परिणामस्वरूप बहुत से रेल कर्मचारियों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दुर्घटना के कारणों की कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो जांच के ब्यौरे क्या है और दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है और सरकारी उपस्करों इत्यादि की कितनी हानि हुई है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या नीति अपनाई जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). 14-9-96 को मध्य रेल के खण्ड का भुसावल खण्ड पर रावेर और निंभोरा स्टेशनों के बीच जम्मू तवी-पूणे-झेलम एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इस दुर्घटना में एक यात्री की मृत्यु हुई 4 व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए और अन्य 15 के मामूली चोटें आई।

(ग) और (घ). इस दुर्घटना की रेलवे संरक्षा आयुक्त सेन्ट्रल सर्कल द्वारा जांच की जा रही है, रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

(ङ) गाड़ी के पटरी से उतरने की घटना में कमी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

(1) रेल पथ ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है वेल्डिंग करके और फिश प्लेट हटाकर पटरियों को लम्बी वैल्ड वाले रेल पैनल में परिवर्तित किया जा रहा है।

(2) टाई टेम्पिंग और बैलास्ट क्लीनिंग मशीनों द्वारा रेल पथ का अनुरक्षण किया जाता है रेल पथ को रेल पथ नवीकरण गाड़ियों और पोर्टल क्रेनों द्वारा भी बिछाया जा रहा है।

(3) रेल पथ जयमिति और रेल पथ की चालू विशिष्ठता की मानीटरिंग के लिए परिष्कृत रेल पथ अभिलेखी यान दोलनलेखी यान और पोर्टेबल त्वरण मापकों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(4) पटरी में आंख से न दिखाई पड़ने वाली छुपी हुई दरार का पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्टर का प्रयोग किया जा रहा है।

(5) चल स्टॉक की हाल में सुधार किया गया है चार पहियों वाले माल डिब्बों को बेहतर बोगी एयर ब्रेक स्टॉक से बदला जा रहा है।

(6) धुरों की कोल्ड ब्रेकेज मामलों को रोकने के लिए धुरों में बन रही दरारों को समय पर पता लगाने के लिए सभी नैमितिक ओवर हालिंग डिपुओं को अल्ट्रासोनिक परीक्षण उपस्कर से सुसज्जित किया गया है।

(7) माल गाड़ियों व सवारी गाड़ियों के परीक्षण ढांचे को युक्तिसंगत बनाया गया है।

(8) कारखानों का आधुनिकीकरण किया गया है।

(9) संरक्षा निरीक्षणों और संरक्षा जांच को तेज किया गया है।

[अनुवाद]

नई रेल परियोजनाएं

269. श्री बलाई चन्द्र रायः

श्री महबूब जहेदी :

श्री आर. साम्बासिवा रावः

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 1996-97 के दौरान देश में कुछ नई रेल परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो जोनवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजनाओं के कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या योजना आयोग ने उक्त परियोजनाओं की मंजूरी दे दी है; और

(ङ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के लिये सरकार ने कितनी धनराशि आबंटित की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख), (ग) तथा (ङ). विवरण इस प्रकार है :-

क्र.स.	परियोजना का नाम	क्षेत्र/रेलवे	96-97 में आबंटित राशि (करोड़ रु. में)	लक्ष्यतिथि
1.	नंदयाल-येरगुंटला	दक्षिण मध्य	0.50	10वी योजना
2.	सकरी-हसनपुर	पूर्वोत्तर	3.00	9वीं योजना
3.	कड्डूर-चिकमगलूर-सकलेशपुर	दक्षिण	1.00	9वीं योजना
4.	हरिदासपुर - पारादीप	दक्षिण पूर्व	1.00	9वीं योजना
5.	दौसा-गंगापुर सिटी	पश्चिम	0.50	*आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदन के बाद कार्य शुरू किया जाएगा। कार्य शुरू होने पर लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।
6.	कुमारघाट-अगरतला	पूर्वोत्तर सीमा	1.00	10वीं योजना
	आमान परिवर्तन :			
1.	मानसी-सहरसा	पूर्वोत्तर	08.00	31.12.97
	हाजीपुर-बछवारा	पूर्वोत्तर सीमा	10.67	31.12.97
2.	लमडिंग-सिलचर	पूर्वोत्तर सीमा	10.00	10वीं योजना
3.	मैसर-हसन (1995-96 के बजट से, लेकिन आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा स्वीकृति अब दी गई)	दक्षिण	01.00	30.6.97
4.	रुपसा-बांगरीपोसी (-वही-)	दक्षिण पूर्व	00.50	9वीं योजना

(घ) जी हां, उपर्युक्त 5 के अलावा जो आस्थगित कर दी गई है।

स्वर्ण की खोज

270. श्री एस.डी.आर. वाडियार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में ऊटी में स्वर्ण की खोज का कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में स्वर्ण की खोज के लिये की गई खुदाई का ब्यौरा है;

(ग) इस क्षेत्र में अनुमानतः कितना स्वर्ण भंडार होने की संभावना है; और

(घ) राज्य में उचित ढंग से स्वर्ण संबंधी खोज कार्य के लिये क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) जी, हां, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कर्नाटक के ऊटी क्षेत्र में स्वर्ण के लिए गवेषण किया है।

(ख) ऊटी क्षेत्र में ऊटी तथा ऊटी मन्दिर खंडों में 74 बेधन छिद्रों में कुछ 9156.95 मी. तक खुदाई की गई हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कार्नाटक के रायचूर, कोलार, धारवाड़, टुमकुर, चित्रदुर्ग, शिमोगा, हासन तथा मैसूर जिलों में भी स्वर्ण के गवेषण के लिए खुदाई की है।

(ग) अनुमान है कि इस क्षेत्र में 130 मीटर की गहराई तक तथा 1.00 से 7.32 मीटर की चौड़ाई के बीच प्रतिटन 2.04 से लेकर 18.95 ग्राम स्वर्ण अयस्क के 0.884 मिलियन टन (संभावित भंडार) के स्वर्ण भंडार हैं।

(घ) धारवाड़ जिले के नागावी उत्तरी मालासमुद्र खंडों, शिमोगा शिष्ट क्षेत्र के चिनमुलगुड, कालेड़ेवर-होसा होनाटटी और कारजागी खंडों, गोन्नुर खंड, चित्रदुर्ग जिले तथा बेलेरा खानों के समीपस्थ क्षेत्रों, चित्रदुर्ग शिष्ट क्षेत्र के टुमकुर जिले तथा मैसूर जिले के बालागेरी अम्बाले क्षेत्र में खुदाई, गडढ़े तथा खाई खोदकर, भू-रसायनिक तथा भू-भौतिकीय पद्धतियों से गवेषण कार्य जारी है।

आकाशवाणी के प्रसारण केन्द्र

271. **श्री एस. रामचन्द्र रेड्डी :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मछुआरों को समय पर मौसम की जानकारी देने के लिये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश सीमा से आगे जिन क्षेत्रों में आकाशवाणी का प्रसारण नहीं पहुंच पाता है वहां यह सुविधा प्रदान करने हेतु सोमपेटा, काकीनाड़ा और नेल्लौर में आकाशवाणी के तीन प्रसारण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या अन्य कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उड़ीसा तथा आन्ध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र कटक, विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम के उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों एवं उड़ीसा स्थित पुरी तथा बरहामपुर के एफ.एम. ट्रांसमीटर के कवरेज क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं जो 24 घंटे मौसम संबंधी समाचारों एंव चक्रवाती तूफानों आदि के बारे में चेतावनी के प्रसारण के माध्यम से मछुआरों सहित सभी श्रोताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

गोपालपुर (उड़ीसा) में इस्पात संयंत्रों की स्थापना

272. **श्री के.पी. सिंह देव :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के गोपालपुर में विभिन्न निजी कम्पनियों और सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों द्वारा इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है;

(ख) इन कम्पनियों द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ग) क्या इस्पात संयंत्रों के पुराने स्थान को बदलने का निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो नए स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह निर्णय लिए जाने के क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख). उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, निजी क्षेत्र की दो कंपनियों अर्थात टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी लि. (टिस्को) और लार्सन एण्ड टुब्रो लि. (एल एंड टी) ने गोपालपुर में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए स्थानों का चयन कर लिया है।

पुनर्वास बस्ती के लिए टिस्को को 537.888 एकड़ भूमि का कब्जा दे दिया गया है और शेष आवश्यकता हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। एल एंड टी की परियोजना के मामले में भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिसूचना संबंधी कार्य किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). उपरोक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

फिल्मों में अश्लीलता

273. **श्री नीतीश कुमार :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फिल्मों में अश्लीलता के संबंध में कोई अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त हुई है जैसाकि 29 अगस्त, 1996 के "पायोनियर" समाचार पत्र में दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्राप्त हुई रिपोर्टों की संख्या क्या है; और

(घ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (घ). पिछले तीन वर्षों में सरकार को फिल्मों में अश्लीलता सम्बन्धी विषय पर कोई अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। पूर्व में, 80 के दशक में, भारतीय जनसंचार संस्थान ने दर्शक प्रतिक्रिया सर्वेक्षण एवं फिल्म सेंसरशिप अध्ययन किया था तथा चार रिपोर्टें प्रस्तुत की थीं। तथापि, प्राक्कलन समिति (दसवीं लोक सभा) तथा संचार संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार अप्रैल, 1996 मे "फिल्मों में कामुकता एवं हिंसा तथा समाज पर इसका प्रभाव" के बारे में अध्ययन संबंधी कार्य भारतीय जनसंचार संस्थान को सौंपने का निर्णय लिया गया था। अध्ययन के सम्बन्ध में शर्तें केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के परामर्श से निर्धारित की गई थीं और अध्ययन हेतु सरकार की व्यय संबंधी मंजूरी अगस्त, 1996 में

जारी की गई थी। भारतीय जनसंचार संस्थान उक्त अध्ययन कार्य को शुरू किए जाने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर पूरा करेगा।

[अनुवाद]

भारतीय टेलीफोन उद्योग के संयंत्रों की संख्या

274. डॉ. कृपासिन्धु भोई : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय टेलीफोन उद्योग द्वारा स्थानवार कितने संयंत्रों की स्थापना की गयी है;

(ख) इन संयंत्रों द्वारा इस समय किन विभिन्न प्रकार के कलपुर्जो/उपस्करों का उत्पादन किया जा रहा है;

(ग) क्या देश में दूरसंचार क्षेत्र हेतु आवश्यक सभी कलपुर्जो और उपस्करों का उत्पादन इन संयंत्रों द्वारा किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षो के दौरान भारतीय टेलीफोन उद्योग का कार्य निष्पादन किस प्रकार कर रहा है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) एवं (ख). आई टी आई द्वारा सस्थापित संयंत्रों तथा उनमें उत्पादित की जाने वाली मदें निम्नानुसार है :-

संयंत्र	मदें
1. बंगलोर कम्प्लेक्स (कर्नाटक)	स्वेचन, पारेषण तथा ऑप्टो-इलैट्रानिक उपस्कर टर्मिनल उपस्कर, नियंत्रण प्रणाली माइक्रो इलेक्ट्रानिक्स
2. नैनी इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	टेलीफोन उपकरण, पारेषण उपस्कर एवं ऑप्टो इलेक्ट्रानिक्स उपस्कर।
3. श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर)	टेलीफोन उपकरण
4. रायबरेली (उत्तर प्रदेश)	सी-डॉट ई- 10बी सब एसेम्बलीज पारेषण उपस्कर, स्विचमोड पावर सप्लाई तथा मैकेनिकल पार्टस।
5. पालाक्काड (केरल)	ओ सी बी- 283 कोर उपस्कर तथा डिजिटल ट्रंक एक्सचेंज
6. मनकापुर गोंडा जिला (उत्तर प्रदेश)	ई-10बी और ओ सी बी एक्सचेंज।
7. इलेक्ट्रानिक सिटी यूनिट बंगलोर	सी-डॉट उत्पाद।

(ग) दूर संचार सेक्टर के लिए आवश्यक अधिकांश पड़े उपस्करों का विनिर्माण इस कंपनी द्वारा किया जाता है।

(घ) पिछले तीन वर्षो के दौरान कम्पनी का वित्तीय निष्पादन निम्नानुसार रहा :

	1993-94	1994-95 (करोड़ रुपये)	1995-96
कारोबार	1527.25	1036.62	782.42
लाभ/हानि	(-) 84.35	(-) 81.91	(-) 283.96

बेकल पर्यटन स्थल विकास निगम लिमिटेड में अंशदान

275. श्री टी. गोविन्दन : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का बेकल पर्यटन स्थल विकास निगम लिमिटेड में कम से कम 10 करोड़ रुपये का अंशदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का बेकल जिले के संरक्षण और सौंदर्यीकरण का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख). पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने बेकल परियोजना के लिए केरल सरकार को 1.90 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराई है।

(ग) और (घ). बेकल किला, बेकल परियोजना का एक हिस्सा है। केरल सरकार का उद्देश्य समग्र क्षेत्र का एकीकृत विकास करने का है।

रेल दुर्घटनाओं में वृद्धि

276. श्री प्रदीप भट्टाचार्य :
श्री अजय चक्रवर्ती :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री विजय कुमार खंडेलवाल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीने के दौरान रेल दुर्घटनाएं तथा गाड़ी पटरी से उतरने की घटनाओं में वृद्धि हुई है जिसके कारण यात्रियों की असुविधा का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक जोन में स्थान वार आज तक हुई रेल दुर्घटनाओं तथा गाड़ी पटरी से उतरने की घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन दुर्घटनाओं तथा गाड़ी पटरी से उतरने की घटनाओं के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) इन प्रत्येक रेल दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति माने गये और घायल हुये, कितनी रेलगाड़ियां रद्द की गई/रेलगाड़ियों को दूसरे मार्ग से ले जाया गया तथा रेलवे को इससे कितनी हानि हुई;

(ङ) क्या इनसे रेलवे की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है तथा सरकार इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाने में असफल रही है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). जी नहीं, मई 1996 से अक्टूबर 1996 की अवधि के दौरान परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 190 की तुलना में 183 थी।

(ग) दुर्घटनाओं के लिए मुख्य कारण मानवीय चूक (रेल कर्मचारी से अन्य को सम्मिलित करके) उपस्कर की खराबी, तोड़-फोड़ आदि थे।

(घ) इन दुर्घटनाओं में यात्री एवं रेल कर्मचारियों ने अपनी जान गंवाई तथा 71 जख्मी हुए इसके साथ-साथ मुख्यतः चौकीदार वाले एवं बिना चौकीदार वाले समपारों की दुर्घटनाओं में 125 (यात्रियों एवं रेल कर्मचारियों के अलावा) हताहत हुए तथा 96 जख्मी हुए। रेल परिसंपत्ति को हुई क्षति की लागत 20.59 करोड़ रु. (लगभग) थी। इन दुर्घटनाओं के कारण रद्द की गई/मार्ग परिवर्तित की गई गाड़ियों की संख्या के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(ङ) और (च). जी नहीं, गाड़ी परिचालन में संरक्षा को सदा अत्यधिक उच्च प्राथमिकता दी जाती है, और रेलों ने संरक्षा सुधार के लिए ठोस कदम उठाए हैं।

होसपेट और हुबली के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण

277. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माणाधीन गदग-होटगी लाइन में होसपेट और हुबली के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) यह कार्य कब तक आरंभ कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

टेलीविजन सैटों के लाइसेंस

278. श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार टेलीविजन सैटों पर पुनः लाइसेंस प्रणाली शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई समिति गठित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

दूरदर्शन अधिकारियों द्वारा त्यागपत्र

279. श्री आर.एल.पी. वर्मा :
प्रो. अजित कुमार मेहता :
श्री कृष्ण लाल शर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के बहुत से अधिकारी समयपूर्व सेवानिवृत्ति लेकर विदेशी दूरदर्शन नेटवर्क में भर्ती हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विदेशी दूरदर्शन नेटवर्क में भर्ती होने वाले उन अधिकारियों के बारे में ब्यौरा क्या है जिन्होंने सरकार से बिना अनुमति लिये सेवा छोड़ दी; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). कई दूरदर्शन अधिकारियों ने हाल ही में व्यक्तिगत आधारों पर स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति मांगी है। सेवा से त्यागपत्र दिया हैं।

(ग) और (घ). सरकार को विदेशी टी.वी. नेटवर्कों में उनके शामिल होने की जानकारी नहीं है क्योंकि इनमें से किसी भी अधिकारी ने अपेक्षित अनुमति नहीं मांगी है।

[अनुवाद]

विजयवाड़ा और विशाखापटनम के बीच रेल लाइन का विद्युतीकरण

280. डा. एम. जगन्नाथ : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजयवाड़ा और विशाखापटनम के बीच रेल लाइन के विद्युतीकरण के संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). विजयवाड़ा-विशाखापटनम खण्ड में कुल. 399 मार्ग कि.मी. में से 31.10.1996 को 201 मार्ग कि.मी. का विद्युतीकरण हो चुका है। मार्च, 97 तक पूरे खंड को विद्युतीकृत करने की योजना है।

कोंकण रेल परियोजना

281. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री पी.सी. थामस :
श्री टी. गोपाल कृष्ण :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोंकण रेल परियोजना के अंतर्गत रेल से जोड़े जाने वाले मार्गों और प्रमुख नगरों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक कितना कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) कोंकण रेल परियोजना को कब तक पूरा कर लिये जाने तथा यात्री और माल यातायात हेतु उपलब्ध कराये जाने की संभावना है;

(ग) क्या शोरनूर-मंगलौर तथा अन्य रेल लाइनों का दोहरीकरण किये जाने संबंधी निर्माण कार्य को कोंकण रेल निगम को सौंप दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). निम्नलिखित प्रमुख शहरों/कस्बों से कोंकण रेलवे गुजरती है:- रोहा, खेड़, चिपलुन, रत्नगिरि, ककावली, फुडाल, सावंतवाडी (सावंतवाडी रोड) भपूसा रोड, ओक्स गोवा, मडगांव, करवार, होन्नावर, कुमटा, भटकल, कुंदापुरा, उइपी तथा सूरतकल रोहा से रत्नगिरि (203 कि.मी) तथा मेंगलूरू से कुंदापुरा (100कि.मी.) के खण्डों को पहले ही यात्री सेवाओं के लिए खोल दिया है तथा रत्नगिरि से सांवतवाडी (160 कि.मी.) खंड भी पूरा हो चुका है तथा दिसम्बर 96 के मध्य तक यात्री सेवाओं के लिए इसे खोलने की आशा है।

(ख) मार्च, 1997 तक इस प्रकार यात्री सेवाओं तथा माल सेवाओं के लिए समग्र परियोजना के पूरा होने को सम्भावना है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी दूरदर्शन नेटवर्क

282. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारीशस टी.वी. सोफ्टवेयर कम्पनी को अपनी भारतीय राजसहायता पर शत-प्रतिशत नियंत्रण के लिये मारीशस की अन्य कम्पनी के साथ साझेदारी की अनुमति मिल गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज (आई.टी.आई) लिमिटेड का पुनर्गठन

283. श्री तारीक अनवर : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र को रुग्ण दूरसंचार कम्पनी आई.टी. आई. लिमिटेड को पुनर्गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कुछ कम्पनियों ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

संचार मंत्री (श्री बैनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). मुख्य रूप से प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण होने और दूरसंचार उपस्कर के मूल्यों में गिरावट आने के कारण, आई टी आई की 1994-1995 और 1995-96 के दौरान हानि उठानी पड़ी। अतः संगठन का गहराई से अध्ययन करने और उसको पूरी तरह से बदलने की दृष्टि से कंपनी, एक समुचित परामर्शी फर्म की नियुक्ति करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। कंपनी के व्यापार उसके संगठन तथा वित्तीय पहलुओं के संदर्भ में उसका पुनर्गठन करने और नीतियां तैयार करने के लिए विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ). जी हां।

निम्नलिखित कंपनियों ने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं :-

(1) मैं आथुर डी लिटल, बंबई (2) मैं आइसर कंसलटंसी सर्विसेज, दिल्ली। (3) मैं. कूपर्स एंड लिब्रैंड लिमिटेड बंबई (4) मैं.

कॉसमोड, हैदराबाद (5) मैं. एस.एफ.सी.जी. के बी एम जी पीट का डिविजन। (6) मैं प्राइस वाटरहाउस, नई दिल्ली (7) मै. आई सी आई सी आई बंबई।

सरकार, परामर्शी की नियुक्त करने के लिए आई टी आई के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

बोनस के लिए पात्रता

284. श्री अजय चक्रवर्ती :

श्री ए.सी. जोस :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन उद्योगों के मजदूर जिन पर बोनस भुगतान अधिनियम लागू होता है बोनस भुगतान हेतु पात्रता की अधिकतम सीमा को समाप्त करने के लिये वर्तमान अधिनियम में संशोधन की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार इस संबंध में बोनस अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) केन्द्रीय सरकार को बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में पात्रता की सीमा समाप्त करने में/संशोधन करने के लिए व्यवसाय संघों से अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं।

(ख) और (ग). यह अधिनियम पिछली बार 1995 में ही संशोधित किया गया था जिससे पात्रता की सीमा 2500/-रुपये प्रतिमाह से बढ़ा कर 3500/-रुपये प्रतिमाह और गणना सीमा 1600/- रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2500/-रुपये प्रतिमाह कर दी गई थी। वर्तमान में अधिनियम में और संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

भारतीय जन संचार संस्थान प्रशिक्षण केन्द्र

285. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में झाबुआ स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान के प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). झाबुआ में भारतीय जनसंचार संस्थान की शाखा के लिए संस्थान द्वारा भूमि अधिगृहित कर ली गयी है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में भवनों के निर्माण को शामिल करने का प्रस्ताव है।

भारत को हवाई मार्ग संबंधी सुविधा

286. प्रो. ओमपाल सिंह निडर :

श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों द्वारा द्विपक्षीय समझौता करने के बावजूद भारत को अपने हवाई क्षेत्र का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इन देशों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन देशों के साथ यह मुद्दा उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (घ). ओमान यू.ए.ई., बहरीन और सऊदी अरेबिया जैसे कुछ अरब देश इस समय इजराइल के लिए तथा से विमान सेवाओं के प्रचालन के लिए अपने हवाई क्षेत्र के ऊपर से उड़ान की अनुमति नहीं दे रहे हैं। इजराइल के लिए एयर इंडिया के प्रचालनों के लिए, सऊदी अरेबिया के ऊपर से एक छोटा मार्ग उपलब्ध है। यद्यपि, सऊदी अरेबियन सरकार के साथ आकाश मार्ग से गुजरने की अनमति देने संबंधी प्रश्न उठाया गया था, परंन्तु इस बाबत अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई है।

[अनुवाद]

समता एक्सप्रेस को नियमित करना

287. श्री भक्त चरण दास : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समता एक्सप्रेस को सप्ताह में तीन बार चलाने, वातानुकूलित 3 टियर डिब्बा तथा पेन्ट्री कार की व्यवस्था करके इस गाड़ी को नियमित करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन/अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अभ्यावेदनों/अनुरोधों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है; और

(घ) इस गाड़ी को कब तक नियमित कर दिया जाएगा तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ). 8543/8544 समता एक्सप्रेस में रसोई यान शीघ्र मुहैया कराया जा रहा है। इस गाड़ी में वाता. 3 टियर सवारी डिब्बा लगाना तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं है क्योंकि यह गाड़ी निर्वात ब्रेक रेकों के साथ चल रही है जबकि वाता. 3 टियर सवारी डिब्बों

में वात ब्रेक प्रणाली होती है। तथापि दूसरे दर्जे का एक वातानुकूल शयनयान इस गाड़ी में 2.10.96 से मुहैया कराया गया है। परिचालनिक कठिनाई और संसाधनों की तंगी के कारण इस गाड़ी को प्रतिदिन चलाना व्यवहार्य नहीं है।

रेलवे द्वारा कम महत्व के कार्य निजी क्षेत्र को सौंपना

288. श्री चित्त बसु :

श्री बीर सिंह महतो :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल द्वारा कुछ कम महत्व के कार्य निजी क्षेत्र को सौपे गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा आज की तारीख तक निजी क्षेत्र को सौंपे गए कम महत्व के कार्यों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). निजी क्षेत्रों की भागीदारी के लिए केवल आर्फ लाइन के कार्य कलापों जैसे नई खान-पान सेवाएं, विपणन तथा पर्यटन रेलगाड़ियों का प्रबन्धन एवं अमानती सामान गृहों इत्यादि को खोला गया है।

[हिन्दी]

खुफिया एजेंसियों को सर्किट के साथ जोड़ना

289. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेलुलर फोन की निविदा की शर्तों के अनुसार खुफिया एजेंसियों को देश के प्रत्येक शहर अथवा सर्किल में मुख्य स्विचिंग सैंटर से जोड़ने की सुविधा का प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी सेलुलर कम्पनियों ने इसके लिए अपनी सहमति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो उन कम्पनियों के क्या नाम हैं जिन्होंने अपनी सहमति नहीं दी है; और

(च) उनके खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्री (श्री बैनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). लाइसेंस धारी कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेलुलर सेवा को भारतीय टेलीग्राफ एक्ट, 1885 द्वारा शासित किया जाता है। इस अधिनियम के धारा 5 (2) के प्रावधानों के अनुसार लाइसेंस धारी को उसके नेटवर्क से होकर गुजरने वाले संदेशों के इंटरसेप्सन के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकारी के नामित प्राधिकारियों को अनिवार्य सुविधाएं प्रदान करनी होगी।

भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के धारा 5(2) का पाठ निम्नानुसार है;

"केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार या केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा इस कार्य के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत अधिकारी का किसी आपात स्थिति के उत्पन्न होने पर अथवा लोक सुरक्षा के हित में, यदि इस बात से समाधान हो जाता है कि भारत की प्रभुसत्ता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा दूसरे देशों से मैत्री संबंधों अथवा सार्वजनिक व्यवस्था के हित में अथवा आदेश द्वारा लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से किसी अपराध के किए जाने की उत्तेजना को रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, जो वह निदेश दे सकता है कि किसी दूरसंचार प्रणाली अथवा दूरसंचार उपस्कर के पास किसी व्यक्ति के लिए अथवा किसी व्यक्ति से संप्रेषण के लिए लाये गये अथवा संप्रेषित किए गए अथवा प्राप्त किए गए किसी भी दूरसंचार संदेश को संप्रेषित नहीं किया जाए अथवा उसका अंतर्रोधन कर दिया जाए अथवा निरूद्ध कर दिया जाए, अथवा आदेश देने वाली सरकार को आदेश में उल्लिखित उसके किसी अधिकारी को बता दिया जाए।"

(ग) से (च). सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के सभी लाइसेंसधारियों को उपरोक्त (क) एवं (ख) में वर्णित प्रावधानों द्वारा शासित किया जाता है।

[अनुवाद]

समेकित टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली

290. श्री महबूब जहेदी :

श्री हाराधन राय :

श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अन्य महानगरों की तरह पानागढ़ बडबड से बारंकित/चितरंजन क्षेत्र को समेकित टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली के अंतर्गत लाने की आवश्यकता के बारे में संसद सदस्यों से हाल ही में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या आसनसोल-दुर्गापुर क्षेत्र की समूची औद्योगिक और कोयला पट्टी ने इस प्रणाली के लिये मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) बहुत से माननीय संसद सदस्यों ने दिनांक 10.9.96 को एक संयुक्त अभ्यावेदन दिया था, जिसमें यह अनुरोध किया गया है

कि दुर्गापुर, रानीगंज, आसनसोल, चित्तरंजन तथा बांकुरा आन्द्रा आदि औद्योगिक एवं कोयला क्षेत्र स्थित एक्सचेंजों को एक एकीकृत एक्सचेंज प्रणाली के अंतर्गत लाया जाए। इस अभ्यावेदन की जांच की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विभाग की मौजूदा नीति के अनुसार एक एकीकृत एक्सचेंज प्रणाली जिसे ग्रुप डायलिंग प्रणाली भी कहा जाता है, केवल उसी कम दूरी वाले प्रभारण क्षेत्र में प्रदान की जा सकती है। उक्त क्षेत्र मोटे तौर पर एक तहसील के सदृश होता है। चूंकि दुर्गापुर, रानीगंज, आसनसोल तथा चित्तरंजन अलग-अलग कम दूरी के प्रभारण क्षेत्रों में स्थित हैं, अतः इनमें एकीकृत प्रणाली प्रदान नहीं की जा सकती है। फिर भी दुर्गापुर एसडीसीए एक्सचेंजों को कनेक्ट करने के लिए मार्च, 96 में 11000 लाइनों की क्षमता वाले एक नई प्रौद्योगिकी का ओ सी बी 283 एक्सचेंज, चालू किया गया है। बराकर, नियामतपुर, चित्तरंजन, रानीगंज तथा बर्नपुर स्थित एक्सचेंजो को कवर करने के लिए आसनसोल एसडीसीए के लिए भी इसी तरह के एक 14000 लाइनों वाले बड़े एक्सचेंज की योजना बनाई गई हैं।

दूरदर्शन पर कृषि चैनल

291. **श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दूरदर्शन पर पृथक कृषि चैनल शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कृषि चैनल कब तक शुरू कर दिया जाएगा?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

गाड़ियों को रद्द करना

292. **श्री भीमराव विष्णुजी बडाडे : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनमाड-मुम्बई के बीच गत 50 वर्षों से लाभ में चल रही 321 अप और 322 डाउन पैसेन्जर गाड़ी बिना किसी कारण के रद्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस लाइन के आस-पास रह रहे किसानों को इस गाड़ी के रद्द किए जाने से हानि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस गाड़ी को पुनः आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). 1021/1022 मुंबई-पुणे इन्द्रायणी एक्सप्रेस के लिये लाइन क्षमता सृजित करने के लिये 1.5.88 से केवल बंबई (मुंबई) -पुणे खंड पर 1321/1322 बंबई (मुंबई)-पुणे-दौंड-मनमाड़ यात्री गाड़ी चालन में कटौती की गई है।

(ग) से (ङ). इस गाड़ी को बहाल करने के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस गाड़ी को इसके मूल पैटर्न पर चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, दौंड-मनमाड़ के यात्रियों की सुविधा के लिये अहमदनगर-मनमाड़ के रास्ते दौंड और मुंबई के बीच एक थ्रू कोच उपलब्ध है।

[अनुवाद]

अमरीका के साथ समझौता ज्ञापन

293. **श्री शरत पटनायक : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार उद्योग सेवा संघ ने दूरसंचार के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिये अमरीका के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). भारतीय दूरसंचार उद्योग और सेवा संघ ने सरकार को यह सूचित किया है कि सम्मान (आनरेरी) और मैत्री सदस्यता प्रमाण-पत्र का आदान-प्रदान करने और परस्पर यात्राएं करने, विचारों, मुख्य प्रकाशनों का आदान-प्रदान करने के साथ-साथ, विभिन्न सहयोगात्मक क्रियाकलापों में शामिल होने के लिए और दूसरे संघ द्वारा आयोजित दूरसंचार प्रदर्शनी अथवा संगोष्ठी में भाग लेने हेतु प्रत्येक संघ के सदस्यों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, यू एस ए के दूरसंचार उद्योग संघ के साथ एक सम्मान और मैत्री सदस्यता करार पर हस्ताक्षर किया गया है।

इस मामले में सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

नई पेंशन तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं में संशोधन

294. **श्री संदीपन थोरात : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय मजदूर संघ के विभिन्न संगठनों से नई पेंशन तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं में संशोधन करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विचाराधीन/अंतिम रूप दिये गये परिवर्तनों/संशोधनों का क्या ब्यौरा है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग). सरकार को कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में कतिपय परिवर्तन करने के लिए सुझाव प्राप्त हुए थे। ये सुझाव अन्यों के साथ-साथ विवाहित पुत्रों और विवाहित पुत्रियों के मध्य भेदभाव समाप्त करने और पुनर्विवाह करने वाली विधवाओं और पुनर्विवाह करने वाले विधुरों के मध्य भेदभाव समाप्त करने, 5000/- रुपये प्रतिमाह से अधिक मजदूरी आहरित करने वाले कर्मचारियों को योजना लाभ प्रदान किए जाने, संराशीकरण के लिए प्राबधान करने, पेंशन की अग्रिम अदायगी के लिए घटी हुई दर में कमी करने, चूक के मामलों में पेंशन की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करने, परिवार पेंशन योजना, 1971 में शामिल न होने वाले अंशदाताओं के लिए योजना को लागू किए जाने, उजरती दरों वाले कर्मकारों को छूट प्रदान किए जाने और शामिल किए जाने के मामले में परिवार पेंशन सम्बद्ध आहरण लाभ की वापसी से संबंधित है। इन सुझावों की पड़ताल की गई है और कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में आवश्यक संशोधन करने से संबंधित अधिसूचना 28.2.1996 को पहले ही जारी कर दी गई है। व्यक्तिगत विकल्प की व्यवस्था करने, पेंशन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने और पेंशन को तृतीय लाभ के रूप में प्रदान किए जाने जैसे अन्य सुझावों को बीमाकंन की दृष्टि से व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

2. क.रा.बी. योजना के बारे में प्राप्त किए गए सुझाव व्याप्ति के लिए मजदूरी सीमा में बढ़ोत्तरी करने, प्रति व्यक्ति चिकित्सा व्यय में वृद्धि करने, क.रा.बीमा. योजना में केन्द्रीय सरकार के अंशदान की व्यवस्था करने, कर्मकारों के अशंदान की बाबत यथास्थिति बनाए रखने आदि से संबंधित है। एक मसौदा अधिसूचना जारी की गई है जिसमें अन्यों के साथ-साथ मजदूरी की अधिकतम सीमा को 3,000/- रुपये से बढ़ाकर 6,500/- रुपये प्रति माह करने और नियोक्ताओं के अंशदान की दर को मासिक वेतन के 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 4.75 प्रतिशत करने और कर्मचारियों के अंशदान को दर को उसके 1.50 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.75 प्रतिशत करने की व्यवस्था की गई है और सभी संबंधितों से आपत्तियां/सुझाव मांगे गए हैं।

बाल श्रमिक

295. श्री नारायण अठावले :

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्री के.डी. सुल्तानपुरी :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बाल श्रम/खतरनाक उद्योगों में कार्यरत बाल श्रम के उन्मूलन के उद्देश्य से योजनाओं के क्रियान्ययन की गति पर असंतोष प्रकट किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में सरकार द्वारा इस संबंध में राज्यवार क्या प्रभावी कदम उठाये गये है;

(ग) इस अवधि के दौरान राज्यवार तथा महानगरों में विशेषरूप से क्या उपलब्धि हासिल हुई है तथा इस उद्देश्य के लिये कितनी धनराशि का उपयोग किया जा चुका है; और

(घ) श्रम कानून के अंतर्गत बच्चों को रोजगार देने के संबंध में कितने नियोक्ताओं पर कानूनी कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सरकार ने बाल श्रम के पुनर्वास के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 1987 में घोषित की गई राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के एक हिस्से के रूप में, परियोजना आधारित कार्य योजना मजदूरी/अर्द्ध मजदूरी वाले रोजगार में लगे हुए बाल श्रमिकों के उच्च बहुलता वाले क्षेत्रों में शुरू की गई है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन.सी.एल.पी) के अधीन शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यकलाप रोजगार से निकाले गए बालकों को अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुपूरक पोषणाहार वृत्तिकाएं आदि प्रदान करने के लिए विशेष स्कूलों की स्थापना करना है।

वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान कार्यान्वित की गई राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की संख्या 9 और 12 थी जिनमें क्रमशः 7000 और 14,000 बालकों को शामिल किया गया था। अगस्त, 1994 में एक बड़े कार्यक्रम की घोषणा की गई थी जिसमें खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत बाल श्रमिकों को पुनर्वासित करने की बात कही गई थी। कार्यक्रम की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में सरकार वर्तमान में सन् 2002 तक खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत लगभग 2 मिलियन बालकों को पुनर्वासित करने के कार्य में लगी हुई है। वर्ष 1995-96 के दौरान, 11 वाल श्रम की बहुलता बाले राज्यों में खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत लगभग 1.5 लाख बालकों को पुनर्वासित करने के लिए 76 बाल श्रम परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। इन 76 परियाजनाओं से संबंधित राज्य वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। सभी राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं में मिलकर पिछले 3 वर्षों के दौरान किया गया कुल व्यय नीचे दिया गया है:-

वर्ष	व्यय
1993-94	2.89 करोड़
1994-95	1.43 करोड़
1995-96	33.90 करोड़

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम,1986 के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए वर्ष, 1995-96 के दौरान 415 नियोक्ताओं के विरूद्ध अभियोग चलाए गए।

विवरण

सरकार द्वारा मंजूर की गई 76 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के राज्य वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या	स्कूलों की सं.	शामिल किए जाने वाले बालकों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	20	807	43,550
2.	बिहार	8	174	12,200
3.	गुजरात	2	40	2,000
4.	कर्नाटक	3	100	5,000
5.	मध्य प्रदेश	5	138	9,800
6.	महाराष्ट्र	2	74	3,000
7.	उड़ीसा	16	430	33,000
8.	राजस्थान	2	60	3,000
9.	तमिलनाडु	8	379	19,500
10.	उत्तर प्रदेश	4	130	9,000
11.	पश्चिम बंगाल	6	219	12,000

सर्वेक्षण कार्य

296. श्री रमेश चेन्नित्तला :

प्रो. पी.जे. कुरियन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1995-96 के बजट में शामिल किया गया केरल में सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या थाकाजी-तिरूतेल्ला-पत्रमाधिट्टा, कायमकुलम-अदूर-युनालूर और चेंगानूर-अदूर लाइन का सर्वेक्षण कार्य कर लिया गया है, और

(घ) यदि हां, तो सर्वेक्षण रिपोर्ट को कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) चालू वित्त वर्ष के भीतर।

त्रिपुरा की टेलीफोन सलाहकार समिति

297. श्री बादल चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन सलाहकार समिति में सदस्यों के मनोनयन हेतु क्या मानदंड अपनाया जाता है;

(ख) क्या त्रिपुरा सरकार ने टेलीफोन सलाहकार समिति के गठन के संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) त्रिपुरा की टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्यों के क्या नाम हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) दूरसंचार सलाहकार समिति के सदस्यों की नियुक्तियां दूरसंचार सार्कलों के प्रमुखों, संसद सदस्यों, विधायकों द्वारा और दूरसंचार विभाग के मुख्यालय से प्राप्त अभ्यावेदनों में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखकर की जाती हैं।

दूरसंचार सलाहकार समिति के सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी से होने चाहिए :-

1. राज्य विधायिका, 2. प्रेस, 3. चिकित्सा व्यवसाय, 4. कानूनी व्यवसाय, 5. इंजीनियर/वास्तुविद आदि जैसे अन्य सभी व्यवसाय, 6. व्यापार, वाणिज्य और उद्योग, 7. जन सेवक और अन्य, 8. संसद सदस्यों का नामाकंन संसद सदस्यों की श्रेणी के अंतर्गत संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। 9. राज्य प्रशासन, 10. निगम/नागरिक निकाय।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) त्रिपुरा राज्य के लिए कोई भी टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया है। तथापि, अगरतला हेतु एक टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन किया गया है जिसमें त्रिपुरा के विभिन्न स्थानों के सदस्य शामिल हैं। इस टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

एक टेलीफोन सलाहकार समिति में प्रतिनिधित्व वाली श्रेणियों/व्यवसायों की सूची

	श्रेणियां	मौजूदा संख्या
	1	2
1.	संसद सदस्य	- दो (संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित किए जाने हैं।
2.	राज्य विधायिका	- सात

	1	2
3.	राज्य प्रशासन	– एक
4.	निगम/निगरिक निकाय	– एक (नामित किए जाने है)
5.	प्रेस	– एक
6.	चिकित्सा व्यवसाय	– एक
7.	कानूनी व्यवसाय	– एक
8.	इंजीनियरों/वास्तुविद इत्यादि जैसे अन्य व्यवसाय	– एक
9.	व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग	– पांच
10.	जन सेवक तथा अन्य	– तेंतालिस

त्रिवेन्द्रम डिविजन में रेल यात्री डिब्बों की कमी

298. **श्री वी.एम. सुधीरन :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को त्रिवेन्द्रम डिविजन में रेल यात्री डिब्बों की भारी कमी की जानकारी है जिसके कारण यात्रियों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). समग्र उपलब्धता के भीतर यातायात की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तिरुवनंतपुरम मण्डल में पर्याप्त संख्या में सवारी डिब्बे उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

खुर्जा जंक्शन पर एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का ठहराव

299. **श्री अशोक प्रधान :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में खुर्जा जंक्शन से होकर गुजरने वाली कुछ एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का इस जंक्शन पर ठहराव नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या खुर्जा जंक्शन पर इन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का ठहराव बनाने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) परिचालनिक कठिनाइयों तथा यातायात के औचित्य की कमी के कारण।

(ग) खुर्जा में अतिरिक्त रेलगाड़ियों को रोकने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भारतीय रेल की संरक्षा

300. **श्री हाराधन राय :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय रेल की संरक्षा में सुधार के लिए आल इंडिया एसोसिएशन की ओर से गत तीन वर्षों के दौरान अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) रेल परिचालन में रेलें संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उनके द्वारा दिए गए सुझावों की जांच की जाती है तथा सुझावों के गुण-दोष के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

दिल्ली–राजतारा–बैलाडिला रेल लाइन

301. **श्रीमती छबिला अरविन्द नेताम :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली–राजतारा–बैलाडिला रेल लाइन की मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस लाइन पर कार्य कब तक प्रारम्भ हो जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) इस कार्य को रेल बजट में शामिल किया गया है।

(ख) इस्पात मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिये जाने के बाद इस्पात मंत्रालय दल्लीराजरा से राव घाट की इस लाइन के चरण-1 के निर्माण के लिए अपेक्षित धन राशि जमा करेगा जो उनकी लागत पर वित्त पोषित किया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं

302. श्री एन.जे. राठवा : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के पिछड़े क्षेत्रों और विशेषरूप से जनजातिय क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग). देश के आदिवासी क्षेत्रों के समग्र विकास की प्रक्रिया में एक इनपुट के रूप में संतोषप्रद दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा विभाग की मुख्य योजना के पृथक खंड के रूप में दूरसंचार सम्बन्धी ट्राइबल सब प्लान के रूप में कार्यक्रम तैयार करने की नीति अपनायी जा रही हैं।

इसके अलावा सरकार का सन् 2000 ई. तक पिछड़े क्षेत्रों को शामिल करते हुए लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रत्येक गांव में टेलीफोन प्रदान करने का प्रस्ताव है।

विमान किराए में वृद्धि

303. श्री बीर सिंह महतो :
श्री सौम्य रंजन :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1996 से इंडियन एयर लाइन्स के किराए में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) किराए में वृद्धि के फलस्वरूप इंडियन एयर लाइन्स को कितनी अतिरिक्त आय होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

नई खनन नीति

304. श्री अन्ना साहिब पाटिल : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई खनन नीति को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नीतिगत परिवर्तनों के क्या उद्देश्य हैं तथा नये निवेश तथा रोजगार सृजन के मामले में इनका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा निजी क्षेत्र, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी वित्तीय संस्थाओं द्वारा चालू वर्ष के दौरान नये निवेश हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख). राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा मार्च, 1993 में की गई तथा इसे 5 मार्च, 1993 को सदन के सदन के पटल पर रखा गया।

(ग) नीति के उद्देश्य निम्नवत् हैं :-

- भूमि में तथा तटवर्ती क्षेत्रों में खनिज संपदा का पता लगाना;
- राष्ट्रीय तथा महत्वपूर्ण अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए खनिज संसाधनों का विकास करना तथा वर्तमान जरूरतों तथा भावी आवश्यकताओं को देखते हुए उनकी पर्याप्त आपूर्ति तथा अत्युक्तम उपयोग सुनिश्चित करना;
- देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खनिज उद्योग के सुचारू तथा निर्विघ्न विकास के लिए आवश्यक संबंध बढ़ाना;
- खनिजों के अनुसंधान तथा विकास का संवर्धन;
- खनिज उद्योग की जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव संसाधन विकास के लिए समुचित शैक्षिक तथा प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना सुनिश्चित करना;
- समुचित सुरक्षात्मक उपाय अपनाकर वन पर्यावरण तथा परिस्थितिकी पर खनिज विकास के दुष्प्रभावों को कम करना; तथा
- सभी संबंधितों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए खनन कार्यों के आयोजन का सुनिश्चय करना।

आशा है कि इस नीति से घरेलू तथा विदेशी दोनों निजी निवेशों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा इसके परिणामस्वरूप रोजगार के अवसरों में बढ़ोत्तरी होगी।

(घ) सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए कोई लक्ष्य निधारित नहीं किया है।

महाराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शन

305. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में जिलेवार 1995-96 के दौरान और आज की तारीख तक कितने टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं;

(ख) राज्य में जिलेवार विशेषकर चीयूर-अर्जुनी बदुस-मोरेगांव क्षेत्रों में जून, 1996 तक प्रतीक्षा सूची में कितने आवेदन हैं;

(ग) जिलेवार प्रतीक्षा सूची का कब तक निपटान कर लिए जाने की संभावना है;

(घ) जिलेवार मांग को पूरा करने हेतु इस वर्ष कितनी अतिरिक्त टेलीफोन लाइनें उपलब्ध कराये जाने की संभावना है;

(ङ) क्या राज्य में कुछ दूरभाष केंद्र उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन दूरभाष केंद्रों को आधुनिक बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) तकनीकी अवहार्यता के कारण कुछ मामलों को छोड़कर, मौजूदा प्रतीक्षा सूची के 1997-98 तक पूरा होने की संभावना है।

(घ) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, लागू नहीं होता।

(छ) सभी मियाद समाप्त एक्सचेंजों को चरणबद्ध तरीके से आधुनिक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदला जा रहा है।

विवरण

जिला	पैरा "क" प्रदान किए गए टेलीफोन 1995-96	1996-97 31.10.96 तक	पैरा "ख" जून, 96 तक की प्रतीक्षा सूची	पैरा "घ" 1996-97 के दौरान प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त टेलीफोन लाइनें
1	2	3	4	5
रायगढ़	7507	5211	6516	7000
जलगांव	8569	1716	10616	5800
नासिक	12638	2970	22829	15300
धूले	2302	990	12634	4700
कोल्हापुर	20294	3057	9706	4400
शोलापुर	6402	2701	8581	8800
सतारा	3900	1608	6973	5800
संगली	9009	13108	13155	7000
रत्नागिरि	3323	450	5132	1800
सिंधुदुर्ग	1705	362	2696	1500
अ. नगर	9200	1969	12634	9200
अ. बाद	8110	2118	8749	7600
जालना	1512	257	1418	700
लातूर	5390	1455	3411	3000
उस्मानाबाद	1710	638	1379	1200
नांदेड़	3010	312	2040	2700
परभनी	2173	868	1391	1600
बीड	2520	326	1324	1700
पुणे	33042	17810	54220	39500
गोवा	21126	1045	12968	10000

1	2	3	4	5
नागपुर	22050	5369	13258	13000
कल्याण	12280	1444	57301	36000
आकोला	5286	1663	2670	3900
अमरावती	4702	1243	3457	3700
भण्डास	2467	962	1765	1100
बुलधाना	2220	466	1540	1000
चन्द्रपुर	2053	737	2397	2500
गडचिरोली	215	116	348	
वर्धा	1569	1351	1751	1500
योतमाल	1680	352	2420	1000

हरियाणा में दूरभाष केंद्रों की क्षमता का उपयोग

306. **श्री आई डी स्वामी :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में ऐसे कितने दूरभाष केंद्र हैं जहां उनकी क्षमता का उपयोग अधिकतम उपयोग क्षमता से कम है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्षमता उपयोग को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) हरियाणा में जिलेवार कितने गांव हैं जहां टैलीफोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन गांवों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) सरकार को हरियाणा के सांसदों द्वारा गांवों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने हेतु कितने पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ज) इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग). हरियाणा दूरसंचार सर्किल में 599 टेलीफोन एक्सचेंज अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में हैं जहां की संस्थापित क्षमता का इस समय पूरी तरह प्रयोग नहीं हो रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि विभागीय नीति के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र में केवल 10 कनेक्शनों को पंजीकृत मांग के आधार पर एक नया टेलीफोन एक्सचेंज खोला जाता है। ऐसा, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सुविधा के प्रोत्साहन और अभिवृद्धि के लिए किया जाता है। ऐसे एक्सचेंजों की न्यूनतम संस्थापित क्षमता 56/88 लाइनों की है, जिसे और कनेक्शनों के लिए मांग प्राप्त होते ही उत्तरोत्तर रूप से पूरा कर दिया जाता हैं। तकनीकी कारणों, जिनमें जांच और अनुरक्षण उद्देश्य तथा साथ ही साथ शीघ्र अप्रत्याशित मांगों को पूरा करना भी शामिल है, के लिए कुछ क्षमता अप्रयुक्त भी रखनी पड़ती है। इन एक्सचेंजों की क्षमता का अधिकतम प्रयोग करने के सदैव प्रयास किए जाते हैं।

(घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) और (च). जी हां, 1996-97 के दौरान सभी गांवों को शामिल किए जाने की योजना बनाई गई है।

(छ) इस संबंध में हरियाणा के संसद सदस्यों से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ज) उपर्युक्त भाग (छ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	गांवों की संख्या जिन्हें टेलीफोन सुविधाएं प्रदान नहीं की गई
1	2	3
1.	अम्बाला (पंचकुला सहित)	39
2.	भिवानी	72
3.	फरीदाबाद	145
5.	गुड़गांवा	358
5.	हिसार	5
6.	जिंद	31
7.	करनाल	121
8.	कैथल	159
9.	कुरूक्षेत्र	111

1	2	3
10.	मोहिन्दरगढ़	130
11.	पानीपत	69
12.	रेवाड़ी	76
14.	सिरसा	3
15.	सोनीपत	3
16.	यमुनानगर	3
	जोड़	1562

निजी विमान सेवाओं में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु मानदण्ड

307. श्री हरिन पाठक : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी विमान सेवाओं में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु मानदण्ड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एक वर्ष के दौरान महानिदेशक, नागर विमानन के सुरक्षा लेखा परीक्षा दल द्वारा किये गये निरीक्षण का ब्यौरा क्या है तथा विसंगतिपूर्ण मामलों में क्या कार्यवाही की गई?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). विभिन्न विनियामक दस्तावेजों में सुरक्षा प्रतिमानों का उल्लेख है। ये निजी एयरलाइनों सहित सभी एयरलाइनों पर लागू होते हैं। सुरक्षा प्रतिमानों को सतत रूप से अद्यतन किया जाता है।

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान (अक्तूबर, 1995 से आज तक) नागर विमानन महानिदेशालय ने जैगसन एयरलाइन्स, मैस्को एयरलाइन्स और एअर इंडिया का सुरक्षा आडिट किया सुरक्षा ऑडिट में उल्लिखित खामियों को आवश्यक संस्थागत उपचारी उपाय करने हेतु, प्रचालकों की जानकारी में लाया गया था।

सुन्दरवन को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल घोषित करना

308. श्री समीक लहिरी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल घोषित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख). पर्यटक स्थलों का विकास करना, मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। पश्चिमी बंगाल सहित राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजनाओं के लिए, उनके गुण-दोषों तथा पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर, केन्द्रीय पर्यटन विभाग प्रत्येक वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 1988-89 के दौरान, पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार को, सुन्दरवनों के लिए क्रूस वेसल को खरीदने हेतु 49.50 लाख रुपये स्वीकृत किए थे।

डेंगू महामारी का पर्यटन उद्योग पर प्रभाव

309. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेंगू महामारी के फैलने से पर्यटन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस महामारी के फैलने से पर्यटन उद्योग को कुल कितनी क्षति हुई?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ग). अक्तूबर, 1996 माह के दौरान पर्यटक आगमनों के पिछले वर्ष के इसी माह की तुलना में 2.8 प्रतिशत की समग्र वृद्धि हुई है। तथापि, कुल मिलाकर पर्यटक आगमनों पर डेंगू के प्रभाव का निश्चित अनुमान लगाना कठिन है।

वरिष्ठ नागरिकों को किराया रियायत लाभ देना

310. श्री माधवराव सिंधिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से विभिन्न श्रेणियों में रेल यात्रा के संबंध में वरिष्ठ नागरिकों को प्राप्त किराया रियायत लाभों को दूसरे दर्जे से ऊपर भी देने और यात्रा रियायत को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) वरिष्ठ नागरिकों को द्वितीय और तृतीय श्रेणी वातानुकूलित यात्रा हेतु रियायत देने पर प्रतिवर्ष अनुमानतः कितने राजस्व की हानि होगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). रेल बजटीय सहायता के कम होने के बावजूद विशेष मामले के रूप में 65 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को बिना किसी दूरी सीमा के पहले से ही दूसरी और शयनयान श्रेणी में 25 प्रतिशत रियायत प्रदान कर रही हैं। यदि वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च श्रेणियों में रियायत बढ़ा दी जाती है जो राजस्व का अनुमानित घाटा 70 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा। गाड़ियों के परिचालन, अनुरक्षण आदि की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए वित्तीय तंगी के कारण और रियायत देना संभव नहीं है।

श्रमिकों के लिए कल्याण योजनाएं

311. श्री गोरधन भाई जावीया : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के संगठित क्षेत्र में श्रमिकों की क्या संख्या है;

(ख) क्या सरकार 1995-96 के दौरान श्रमिकों के लिए राज्य सरकार को कल्याणकारी योजनायें आरंभ किए जाने हेतु धनराशि प्रदान करने पर सहमत हो गई है;

(ग) यदि हां, तो क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं को कितनी सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) कौन-कौन सी योजना केन्द्र सहायता के लिए लंबित है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ). गुजरात सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कुछ स्थानों को पर्यटक स्थल घोषित करना

312. श्री सुख लाल कुशवाहा :
श्री हरिवंश सहाय :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश के चित्रकूट, अमरकंटक, देवतालाब और मैहर और अयोध्या, और पुरूलिया जैसे ऐतिहासिक और दार्शनिक स्थलों को पर्यटक स्थल घोषित करने और उन्हें पर्यटक स्थलों की सूची में शमिल करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ग). स्थलों को पर्यटक स्थल घोषित करना मुख्यतया राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन विभाग, राज्य सरकारों को विशिष्ट प्रस्तावों के लिए उनके गुण-दोषों, पारस्परिक प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पर्यटन विभाग ने चित्रकूट में एक जलपान गृह, एक यात्री निवास और अमरकंटक में एक यात्रिका के निर्माण के लिए धन मुहैया किया है।

अजंता तथा एलोरा क्षेत्र में पर्यटन का मूलभूत ढांचा

313. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अजंता तथा एलोरा में पर्यटन के मूलभूत ढांचे को मजबूत करने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं तथा गत दो वर्षों के दौरान इस कार्य के लिए कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) अजंता तथा एलोरा की गुफाओं में पर्यटक आने से गत दो वर्षों में कितनी आय हुई है;

(ग) क्या इन गुफाओं के विकास के लिए संयुक्त राज्य अमरीका की नेशनल पार्क सर्विस ने कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त विकास योजना को कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) सरकार ने महाराष्ट्र में अजंता तथा एलोरा के संरक्षण और विकास के लिए जनवरी, 1992 में जापान के विदेशी आर्थिक सहयोग कोष (आ इ सी एफ), के साथ एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेशी आर्थिक सहयोग कोष की सहायता 3.7 बिलियन जापानी येन के मूल्य के समान है। इन परियोजना के दिसम्बर 1996 तक पूरा होने की आशा है। वनरोपण, औरगांबाद में हवाई अड्डा सुविधाओं का उन्नयन, सड़कों को पक्का करना, जल आपूर्ति और सीवरेज का विकास, विद्युत आपूर्ति में सुधार करना, स्मारकों का संरक्षण और आगन्तुक प्रबंध व्यवस्था इस परियोजना के प्रमुख घटक हैं। विदेशी आर्थिक सहयोग कोष अग्रिम रूप से उपलब्ध नहीं है। कार्यान्वयन अभिकरण अर्थात राज्य सरकारों को पहले अपने संसाधनों से खर्च करना होता है और उसके बाद वे विदेशी आर्थिक सहयोग कोष से प्रतिपूर्ति का दावा करते हैं।

अजंता तथा एलोरा परियोजना के लिए विदेशी आर्थिक सहयोग कोष द्वारा 18.98 करोड़ रुपए की पहले ही प्रतिपूर्ति की जा चुकी है।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मुहैया की गई सूचना के अनुसार अंजता तथा एलोरा की गुफाओं में पर्यटक आने से हुई आय निम्नानुसार है :-

1994-95	3,64,808
1995-96	4,53,038

(ग) से (ङ). संयुक्त राज्य अमरीका की नेशनल पार्क सर्विस ने जून, 1991 में एक संरक्षण और पर्यटन में वृद्धि की योजना तैयार की है जिसमें भूमि उपयोग योजना, हेरिटेज स्थलों का प्रबंधन और रख-रखाव, भाषांतरण और आगंतुक सुविधाओं को शामिल करते हुए इन स्थलों का एकीकृत विकास शामिल है।

विदेशी आर्थिक सहयोग कोष परियोजना में उपर्युक्त सिफारिशें सम्मिलित हैं।

पर्यटकों का आगमन

314. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, भारत में विश्व पर्यटकों का आगमन 0.4 प्रतिशत तथा पर्यटन से प्राप्तियां 0.7 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो पर्यटन पर इतना बल दिए जाने के बावजूद इन आंकड़ों के बहुत ही कम होने के क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में अन्य देशों की तुलना में भारत के आंकड़े क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा विश्व पर्यटन में भारत की स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (घ). भारत चूंकि एक विकासोन्मुख राष्ट्र है अतः यहां आधारभूत सुविधाएं सीमित हैं। विश्व पर्यटक यातायात में भारत की सबसे कम भागीदारी होने के मुख्य कारण, यहां पहुंचने के साधन तथा आधारभूत सुविधाओं में कमी होना है। सरकार द्वारा विश्व पर्यटन में भारत की भागीदारी में सधार लाने के लिए किए जा रहे उपायों में ये शामिल हैं- आधारभूत सुविधाओं में सतत् सुधार, पर्यटक आकर्षणों में विकास, प्रचार पर ज्यादा जोर देना तथा विदेश में विपणन आदि।

वर्ष 1995 के दौरान विश्वव्यापी पर्यटक यातायात तथा पर्यटक आगमनों में भारत तथा दक्षिण एशिया क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा निम्नलिखित था :-

देश	पर्यटक आगमन (हजारों में)	विश्व आगमनों में % हिस्सा	पर्यटक आगमन (मिलियन अमेरिकी डालर)	विश्व आगमन में % हिस्सा
भारत	2124	0.37	2754	0.74
बंगलादेश	150	0.03	21	0.01
पाकिस्तान	528	0.09	125	0.03
ईरान	365	0.06	155	0.04
मालद्वीव	324	0.06	205	0.06
नेपाल	346	0.06	170	0.05
श्रीलंका	451	0.08	248	0.07
अन्य	98	0.02	29	0.01

*अन्य :- अफगानिस्तान, भूटान, म्यानमार।

कच्छ क्षेत्र में पर्यटन की संभावना के संबंध में सर्वेक्षण

315. **श्री बी.एस. गढ़वी : क्या पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पर्यटन की संभावना का सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तीर्थयात्री तथा इसमें पर्यटन के लिए कच्छ क्षेत्र के विकास हेतु केन्द्र सरकार ने क्या कार्यक्रम बनाया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख). गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग की नीति के अनुसार कच्छ एक ऐसा क्षेत्र है, जहां पर्यटन के बहुत अधिक बढ़ावा मिल सकता है।

राज्य सरकार ने, पर्यटन के संवर्धन के लिए, कच्छ जिले के संरचनात्मक विकास हेतु एक मास्टर प्लान भी तैयार किया है। 1995-96 के दौरान पर्यटन विभाग में कच्छ मेले के लिए भी धन राशि प्रदान की थी।

[हिन्दी]

सूरत-भुसावल रेल लाइन

316. **श्री महेश कुमार एम. कनोडिया : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सूरत-भुसावल रेल लाईन का दोहरीकरण करने तथा उसका विद्युतीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). एकल लाइन खण्ड के दोहरीकरण का कार्य तब आरंभ किया जाता है जब उनकी वहन क्षमता संतृप्त हो जाती है। लम्बे खण्डों पर पहले नाजुक खण्डों, के लिए चरणों में ऐसे दोहरीकरण शुरू किए जाते हैं। इस मामले में नरदाना-अमलनेर खण्ड (28 कि.मी.) के दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है। शेष खण्ड के बारे में यातायात की आवश्यकता के अनुसार यथासमय विचार किया जाएगा। सूरत से उधना और भुसावल से जलगांव का हिस्सा पहले से ही विद्युतीकृत है। उधना-जलगांव, सूरत-भुसावल खण्ड का एक गैर विद्युतीकृत भाग है। उधना-जलगांव खण्ड के विद्युतीकरण कार्य को वर्ष 1997-98 के बजट में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में दूरदर्शन/आकाशवाणी पर उड़िया कार्यक्रम

317. **श्री सौम्य रंजन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में स्थानवार कितने आकाशवाणी केन्द्रों तथा दूरदर्शन केन्द्रों के पास उड़िया भाषा में मूल कार्यक्रम निर्मित करने की सुविधा है;

(ख) राज्य में कार्यान्वयनाधीन ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़िया भाषा को राष्ट्रीय नेटवर्क तथा दूरदर्शन के चैनलों पर प्रसारण के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ). दूरदर्शन का राष्ट्रीय नेटवर्क किसी भी क्षेत्रीय भाषा में कोई कार्यक्रम प्रसारित नहीं करता है। तथापि, ऐसी क्षेत्रीय फिल्में जिन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं या पैनोरमा प्रविष्टि प्राप्त की है तथा क्षेत्रीय भाषा के प्रसिद्ध कलाकारों के नृत्य एवं संगीत कार्यक्रम भी राष्ट्रीय नेटवर्क में प्रसारित किए जाते हैं।

दूरदर्शन केन्द्र, भुवनेश्वर से प्रसारित कार्यक्रम केबल कनेक्शन के जरिए संपूर्ण देश में उपलब्ध हैं।

दूरदर्शन केन्द्र, भुवनेश्वर प्रतिदिन सायं 4.30 बजे से 8.30 बजे तक क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रसारित करता है जिन्हें संपूर्ण उड़ीसा में स्थलीय रूप से देखा जा सकता है।

विवरण

उड़ीसा में स्थित निम्नलिखित ग्यारह आकाशवाणी केन्द्रों के पास उड़िया भाषा में मौलिक कार्यक्रम निर्माण की सुविधा है :-

1. कटक
2. जैपोर
3. सम्भलपुर
4. क्योंझर
5. बारीपाड़ा
6. बरहमपुर
7. बोलनगीर
8. भवानीपटना
9. राऊरकेला
10. धुरी
11. जोरान्डा

दूरदर्शन केन्द्र, भुवनेश्वर तथा संम्भलपुर के पास उड़िया भाषा में कार्यक्रम निर्माण के लिए स्टूडियो सुविधा हैं।

कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं

आकाशवाणी

संभलपुर तथा जैपोर के मौजूदा ट्रांसमीटरों का उन्नयन किया जा रहा है। सोरो (बालासोर) तथा रायरंगपुर में स्थानीय रेडियो केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं।

दूरदर्शन

भवानीपटना में एक स्टूडियो केन्द्र स्थापित किया जा रहा है।

मीटर गेज सवारी डिब्बे हेतु क्रयादेश देना बंद करना

318. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड के मीटर गेज सवारी डिब्बे संबंधी क्रयादेश देना बंद कर दिया है और उक्त डिब्बे आम तौर पर अत्यधिक पुराने हो चुके हैं और यात्रियों के आवागमन हेतु असुरक्षित हैं;

(ख) यदि हां, तो पुराने सवारी डिब्बों का ब्यौरा क्या है और ऐसे डिब्बे किस स्थिति में हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान निर्मित नये मीटर गेज सवारी डिब्बों की संख्या कितनी है तथा वर्तमान में कितने क्रयादेश बकाया है और पुराने डिब्बों की संख्या कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) योजनाबद्ध आमान परिवर्तन से मीटर लाइन के सवारी डिब्बों की आवश्यकता में कमी को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने मीटर लाइन के नए सवारी डिब्बों का निर्माण न करने का विनिश्चय किया है। यह कहना सही नहीं है कि मीटर लाइन के सवारी डिब्बे सामान्यतः गतायु हैं और यात्री परिचालन के लिए सुरक्षित नहीं हैं।

(ख) मीटर लाइन के सवारी डिब्बों की औसत निर्धारित (आर्थिक) आयु 25 वर्ष है। 31.3.96 को लगभग 16 प्रतिशत मीटर लाइन के सवारी डिब्बे सेवा के 25 वर्ष पूरे कर चुके हैं। इस सवारी डिब्बों की हालत संतोषजनक है और ये सभी प्रकार से परिचालन के लिए सुरक्षित और सक्षम हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मित मीटर लाइन के नए सवारी डिब्बों की संख्या निम्नानुसार है :-

वर्ष	निर्मित सवारी डिब्बों की संख्या
1993-94	70
1994-95	कोई नहीं
1995-96	कोई नहीं

वर्तमान में मीटर लाइन के सवारी डिब्बों के निर्माण के लिए कोई भी आदेश बकाया नहीं है। 31.3.96 को मीटर लाइन के 5565 सवारी डिब्बों में से 890 सवारी डिब्बे सेवा के 25 वर्ष पूरे कर चुके थे।

[हिन्दी]

नई दिल्ली तथा मद्रास के बीच गाड़ियों का विलंब से चलना

319. **श्री हंस राज अहीर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली-मद्रास के बीच चलने वाली अधिकांश रेलगाड़ियां विलंब से चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत दो महीनों के दौरान उक्त मार्ग पर अपने निर्धारित स्थानों पर विलंब से पहुंची एक्सप्रेस/सुपरफास्ट रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). जी नहीं। तथापि तटीय क्षेत्रों के समुद्री तूफान दुर्घटनाओं, आंदोलनों, उपस्कर की खराबी, खतरे की जंजीर खींचे जाने, शरारती गतिविधियों, खराब मौसम आदि के कारणों से कभी कभी गाड़ियों का चालन प्रभावित होता है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) गहन चेकिंग तथा विभिन्न स्तरों पर दैनिक निगरानी सहित विभिन्न प्रयास नियमित रूप से किए जा रहे हैं। इसके अलावा, निरीक्षक तथा अधिकारी दोनों स्तरों पर समय पालन संबंधी अभियान भी चलाए जा रहे हैं।

विवरण

*पिछले दो महिनों के दौरान विलम्ब से चलीं एक्सप्रेस/सुपरफास्ट गाड़ियों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :-

गाड़ी संख्या		सितम्बर, 96		अक्टूबर, 96	
		चलने के दिन	देरी से चलने के दिन	चलने के दिन	देरी से चलने के दिन
1.	2615 जी.टी. एक्सप्रेस	30	3	30	4
2.	2616 जी.टी. एक्सप्रेस	30	5	29	3
3.	2621–तमिलनाडु एक्सप्रेस	30	5	30	8
4.	2622–तमिलनाडु एक्सप्रेस	30	7	29	7
5.	2431 राजधानी एक्सप्रेस	05	2	03	–
6.	2432 राजधानी एक्सप्रेस	04	1	03	2
7.	6031 मद्रास–जम्मूतवी एक्सप्रेस	12	4	06	2
8.	6032 जम्मूतवी–मद्रास एक्सप्रेस	12	2	09	5
9.	2633 राजधानी एक्सप्रेस	–	–	03	2
10.	2634 राजधानी एक्सप्रेस	–	–	3	1

[अनुवाद]

दीमापुर और दिल्ली के बीच राजधानी एक्सप्रेस शुरू करना

320. **श्री बाबू बन रियान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दीमापुर और दिल्ली के बीच शीघ्र ही एक और राजधानी एक्सप्रेस शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने इस आशय की घोषणा की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ). प्रधानमंत्री ने 2423/2424 नई दिल्ली–गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस को दीमापुर तक बढ़ाने की घोषणा की है। उत्पादन इकाइयों द्वारा अतिरिक्त राजधानी रेक के निर्माण तथा दीमापुर में अनुरक्षण अवसंरचना तथा टर्मिनल के विकास के बाद इसे किया जाएगा।

आन्ध्र प्रदेश में नई रेल लाइनें

321. **डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :**

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में 1996–97 के दौरान कितनी नई रेल लाइनों का निर्माण किया जाएगा;

(ख) राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के पास राज्य में नई रेल लाइन बिछाने, पुरानी लाइनों को उन्नत बनाने तथा उन्हें बड़ी लाइनों में परिवर्तित करने हेतु कितने प्रस्ताव भेजे गए हैं;

(ग) क्या सभी नई रेल लाइनों का निर्माण कार्य 1996-97 के दौरान पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(घ) आन्ध्र प्रदेश में रेलवे के विकास हेतु चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) 1996-97 में आन्ध्र प्रदेश में दो नई रेल लाइनों अर्थात् पेद्दापल्ली करीमनगर-निजामाबाद तथा नांदयाल-येरागुंन्तकल का निर्माण शुरू कर दिया गया है।

(ख) 11 नई रेल लाइनों तथा दो मी.ला. खण्ड के आमान परिवर्तन का प्रस्ताव आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है।

(ग) जी नहीं।

(घ) आन्ध्र प्रदेश में नई लाइनों, आमान परिवर्तन तथा दोहरीकरण के लिए 1996-97 के बजट में कुल 257.14 करोड़ रुपए आबंटन किया गया है।

कलकत्ता में टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार

322. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता टेलीफोन नेटवर्क/क्षेत्र का विस्तार करने की कोई मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग). विगत में भंगोर, चंपाहारी, फाल्टा, सोनारहाट इत्यादि जैसे कुछ निकटवर्ती क्षेत्रों को कलकत्ता टेलीफोन्स में शामिल करके, कलकत्ता टेलीफोंस के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने की मांग की जाती रही है। दूरसंचार विभाग की मौजूदा नीति के अनुसार, कलकत्ता जैसी एक स्थानीय टेलीफोन प्रणाली की सीमा, आमतौर पर इसकी नगरपालिका की सीमाओं अथवा महानगरीय विकास प्राधिकरण द्वारा परिभाषित सीमाओं के अनुरूप होती है। इस नीति के आधार पर और तकनीकी पहलुओं के अनुसार इस मांग को स्वीकार करना संभव नहीं हुआ है।

गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस को दैनिक रूप से चलाया जाना

323. श्री उधव बर्मन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस को दैनिक रूप से चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस रेलगाड़ी में सवारी डिब्बों को बढ़ाने और उक्त गाड़ी को पूर्वोत्तर रेलवे को सौंपे जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कन्याकुमारी और कलकत्ता के बीच सुपर फास्ट रेलगाड़ी चलाया जाना

324. श्री ए. सम्पथ : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कन्याकुमारी और कलकत्ता के बीच सुपर फास्ट रेलगाड़ी चलाने हेतु सरकार को किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) इस रेलगाड़ी को शुरू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). सवारी डिब्बों और रेल इंजनों की कमी और परिचालनिक कठिनाई तथा कन्याकुमारी और हावड़ा में अतिरिक्त टर्मिनल/रख रखाव की सुविधा की अनुपलब्धता और विभिन्न मार्गवर्ती खंडों पर लाइन क्षमता की तंगी के कारण फिलहाल कन्याकुमारी और हावड़ा के बीच सीधी गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कलकत्ता और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच शताब्दी एक्सप्रेस शुरू करना

325. श्री सुब्रता मुखर्जी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता और न्यू जलपाईगुड़ी के मध्य शताब्दी एक्सप्रेस शुरू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस रेलगाड़ी को इस वर्ष शुरू करने के लिए कोई पहल की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो भारतीय रेलवे के इस महत्वपूर्ण मार्ग की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). कलकत्ता और जलपाईगुड़ी के बीच शताब्दी एक्सप्रेस के चलाने की जांच की गई है लेकिन परिचालनिक कठिनाई और संसाधनों की तंगियों के कारण व्यवहार्य नहीं पाया गया।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में प्रसारण केन्द्र

326. श्री दत्ता मेघे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन स्थानों पर उक्त प्रसारण केन्द्र स्थापित करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). जी, हां। महाराष्ट्र राज्य के उन स्थानों के ब्यौरे जहां टी.वी. ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन/स्थापना के लिए परिकल्पित हैं, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ). राज्यों में टेलीविजन सेवा के उन्नयन हेतु राज्य सरकारों सहित विभिन्न मंचों से अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। दूरदर्शन परियोजनाओं हेतु स्थानों को अंतिम रूप देते समय जोकि एक सतत कार्यकलाप है, स्थल की उपयुक्तता, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, परिणामी कवरेज की सीमा तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं जैसे अन्य पहलुओं के साथ-साथ ऐसे अनुरोधों को ध्यान में रखा जाता है।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य में कार्यान्वयनाधीन/स्थापना के लिए परिकल्पित टी.वी. ट्रांसमीटर

कार्यान्वयनाधीन ट्रांसमीटर	स्थापना के लिए परिकल्पित ट्रांसमीटर
1	2
	उ.श.ट्रां.
	चन्द्रपुर
	जलगांव
	महिपतगढ़
	ब्रहमपुरी
अ.श.ट्रां.	**अ.श.ट्रां./अ.अ.श.ट्रां.**
शिरपुर	रावेर
नवापुर	पांधरकवड़ा
मानगांव	खानापुर
खोपोली	मंगलवेधा
महद	अकलकोट
उमरखेड	दर्यापुर
सताना	धाडगांव
सिरोंचा	फलतन
चन्दुर	चिमुर
अहेरी	साकोली
चिकोली	अरजुनी
अम्बेट	कुरखेड़ा
	सिंदेवाही
	पाटन (सतना)
	कारंजा (वर्धा)
	पुलगांव
	तिवसा
	भंडारा
	तुमसर
	पिम्पलनेर-साकरी
	वाई
	कोरेगांव
	अश्ती
अ.अ.श.ट्रां.	
मालवा	
मलकापुर	
भोकर	
बदलापुर	

[अनुवाद]

हावड़ा माल गोदाम

327. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हावड़ा माल गोदाम को बंद करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). हावड़ा माल गोदाम शेड परिचालन में है तथा उसे बंद नहीं किया गया है। दक्षिणी छोर पर हावड़ा कोचिंग स्टेशन के तुरन्त बाद यह शेड स्थित है उपनगरीय तथा अनुपनगरीय यात्री सेवा के भविष्य

में होने वाली वृद्धि और उनके स्वरूप को देखते हुए हावड़ा कोचिंग स्टेशन के ढांचे में परिवर्तन तथा विस्तार अपेक्षित है। इस उद्देश्य के लिए दो विशेषज्ञ समितियों द्वारा माडेलिटी की जांच की गई थी तथा कोचिंग स्टेशन के ढांचे में परिवर्तन तथा विस्तार के लिए योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इसके अलावा योजना आयोग, पश्चिम बंगाल, महानगर विकास प्राधिकरण, कलकत्ता, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट, कलकत्ता निगम, पूर्व, द.पू. तथा मेट्रो रेलवे के प्रतिनिधियों के एक कार्य दल ने 1983 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें हवड़ा माल गोदाम शेड को शिफ्ट करके अतिरिक्त कोचिंग सुविधाओं के विकास की सिफारिश की गई थी। रेल सुधार समिति ने 1983 में अपनी रिपोर्ट में भी हवड़ा मालगोदाम शेड को शिफ्ट करने की सिफारिश की थी। हावड़ा माल गोदाम शेड को यथा समय शिफ्ट करने की आवश्यकता होगी। दानकुनी जो हावड़ा माल गोदाम शेड से 15 कि.मी. की दूरी पर है, पहले से ही थोक यातायात को संभाल रहा है और जब इसका और विकास हो जाएगा तब वह हावड़ा माल गोदाम शेड के मौजूदा यातायात को पूर्ण रूप से संभाल सकेगा।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों का विकास

328. **श्री शिवराज सिंह :**

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :

श्री तरित बरण तोपदार :

श्री सौम्य रंजन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा आधुनिकीकृत/विकसित किए गए रेलवे स्टेशनों का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने आधुनिकीकरण/विकास हेतु कुछ अन्य रेलवे स्टेशनों का चयन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन स्टेशनों के आधुनिकीकरण कार्य की स्थिति क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ). स्टेशनों का विकास/आधुनिकीकरण आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रमों के अनुसार किया जाता है जो धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है और इस संबंध में निर्माण कार्यों को रेलों के वार्षिक निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। निर्माण कार्यों के रेलवार सूचना बजट प्रलेखों के साथ संसद में प्रस्तुत की जाती है। राज्यवार/केन्द्र शासित प्रदेशवार सूचना रेल मंत्रालय में नहीं रखी जाती है। इसके लिए गत दो वर्षों में तथा चालू वित्तीय वर्ष में आबंटित धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार है :-

वर्ष	आबंटन (करोड़ रुपयों में)
1994-95	73.35
1995-96	87.98
1996-97	120.00

देश में एस टी डी सुविधा

329. **श्री कचरु भाऊ राउत : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 1996-97 के दौरान देश में राज्यवार और स्थानवार किन-किन स्थानों को एस टी डी टेलीफोन सेवा से जोड़े जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : 1996-97 के दौरान, देश में 1939 स्थानों को एस टी डी सुविधा से जोड़ने का प्रस्ताव है। राज्य वार तथा अवस्थिति वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

ऐसे स्थानों का राज्य-वार ब्यौरा जहां 1996-97 के दौरान एस टी डी सुविधा प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है।

राज्य	अवस्थितियों की सं.
1	2
आंध्र प्रदेश	300
असम	26
बिहार	18
गुजरात	100
हरियाणा	25
हिमाचल प्रदेश	50
जम्मू और कश्मीर	26
कर्नाटक	250
केरल	*
मध्य प्रदेश	300
महाराष्ट्र	98
गोवा	6
अरुणाचल प्रदेश	23
मणिपुर	14
मेघालय	15

1	2
मिजोरम	15
नागालैंड	15
त्रिपुरा	23
उड़ीसा	40
पंजाब	150
राजस्थान	36
तमिलनाडु	50
उत्तर प्रदेश	253
पश्चिम बंगाल	99
सिक्किम	5
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	2
जोड़	1939

*सभी केन्द्रों को एस टी डी सुविधा प्रदान कर दी गई है।

कम्प्यूटरीकरण के पश्चात् उपभोक्ताओं की समस्यायें

330. **श्री पंकज चौधरी :**
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लि. द्वारा टेलीफोन बिलों को जमा करने, डुप्लीकेट बिलों को तैयार करने और अन्य विभिन्न सेवाओं के संबंध में कंप्यूटरीकरण की व्यवस्था की किए जाने के बावजूद उपभोक्ताओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार किसी नई योजना को शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक इसे कार्यान्वित कर दिया जाएगा?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) महानगर टेलीफोन निगम लि. उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए अपनी सेवाओं में लगातार सुधार और अपनी अवसंरचना का आधुनिकीकरण करता आ रहा है। उपभोक्ताओं के समक्ष आने वाली किसी भी कठिनाई को कम करने के सतत् प्रयास किये जाते हैं।

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में आधुनिक "ग्राहक सेवा केन्द्र" स्थापित किये गये हैं। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में किसी भी क्षेत्र के लिए अब डुप्लीकेट बिल उपलब्ध होते हैं और उन बिलों का भुगतान, देय तिथि की समाप्ति के बाद एमटीएनएल के किसी भी काउंटर पर किया जा सकता है।

भुगतान काउंटर लगभग सभी दूरस्थ एक्सचेंज क्षेत्रों में खोले गये हैं। पोस्ट बैग की मार्फत भुगतान प्रणाली की शुरूआत करके टेलीफोन बिल जमा करने की प्रक्रिया को और भी सरल बना दिया गया है। "रिवाल्विंग एकाउन्ट सिस्टम" और "इलैक्ट्रानिक क्लीयरेंस सिस्टम" ऐसी स्कीमें हैं जिनसे टेलीफोन बिलों के भुगतान के लिए उपभोक्ताओं को किसी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है।

(ग) "ग्राहक सेवा प्रबंधन प्रणाली" को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में प्रारंभ किये जाने का प्रस्ताव है। उपभोक्ताओं को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रणाली से दिल्ली तथा मुम्बई दोनों नगरों में अत्यधिक स्वचालित कम्प्यूटरीकृत नेटवर्क सेवा का सृजन होगा।

(घ) ग्राहक सेवा प्रबंधन प्रणाली (सीएसएमएस) परियोजना को अगले वर्ष कार्यान्वित किये जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

डाक संबंधी प्रशिक्षण केन्द्र

331. **श्री एस.डी.एन.आर वाडियार :**
श्री भीमराव विष्णु जी बडाडे :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने डाक संबंधी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं तथा विगत वर्ष के दौरान उनमें राज्यवार कितने प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किए;

(ख) क्या सरकार का इन डाक केन्द्रों का आधुनिकीकरण तथा दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) डाक विभाग के पांच डाक प्रशिक्षण केंद्र हैं। वर्ष 1995–96 के दौरान इन प्रशिक्षण केंद्रों में राज्य–वार जितने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इन डाक प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आधुनिक प्रशिक्षण उपकरणों और कम्प्यूटरों की पूरी व्यवस्था है। निदेशक, पोस्टल स्टाफ कालेज के पद का वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड में दर्जा बढ़ाया जा रहा है।

(ग) आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के एक अंग के रूप में सभी डाक प्रशिक्षण केंद्रों में कम्प्यूटरों, इलेक्ट्रानिक टाइपराइटरों, टेलीविजनों, फैक्स मशीनों, ओवर हैंड एण्ड स्लाइड प्रोजेक्टरों, इलेक्ट्रानिक स्टैंसिल कटर, फ्रैंकिंग मशीनों आदि की व्यवस्था की गई हैं। डाक प्रशिक्षण केंद्र, मैसूर में रिजोग्राफ मशीन भी सुलभ कराई गई है। डाक प्रशिक्षण केंद्र मैसूर में कम्प्यूटरों की क्षमता बढ़ाई गई है। पोस्टल ओरिएंटेड साफ्टवेयर विकसित करने के लिए एक कम्प्यूटर

प्रयोगशाला स्थापित की गई हैं। गत तीन वर्षों के दौरान कुल 93.45 लाख रु. की राशि मशीनरी और उपस्कर खरीदने में तथा 69.50 लाख रु. की राशि भवन सुविधाओं के उन्नयन के लिए प्लान फंड के तहत व्यय की गई है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम (सर्किल)	वर्ष 1995-96 में प्रशिक्षित किए गए कर्मचारियों की संख्या
1.	असम	338
2.	आंध्र प्रदेश	907
3.	बिहार	651
4.	दिल्ली	395
5.	गुजरात	1173
6.	हरियाणा	446
7.	हिमाचल प्रदेश	238
8.	जम्मू और कश्मीर	84
9.	कर्नाटक	1349
10.	केरल	832
11.	मध्य प्रदेश	1159
12.	महाराष्ट्र	2014
13.	उत्तर पूर्व	153
14.	उड़ीसा	594
15.	पंजाब	461
16.	राजस्थान	643
17.	तमिलनाडु	1971
18.	उत्तर प्रदेश	666
19.	पश्चिम बंगाल	704
	योग	14858

रेलगाड़ियों की आवृत्ति में वृद्धि

332. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1 अक्तूबर, 1996 से कुछ रेलगाड़ियों की आवृत्ति में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो उन रेल गाड़ियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 2421 अप 2422 डाउन राजधानी एक्सप्रेस की आवृत्ति को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). जी हां, अक्तूबर-96 से निम्नलिखित 8 जोड़ी रेल गाड़ियों की बारम्बारता बढ़ा दी गई है :-

1. 5209/5210 बरोनी अमृतसर जन सेवा एक्सप्रेस सप्ताह में दो बार से सप्ताह में तीन बार।
2. 6043/6044 मद्रास पटना एक्सप्रेस साप्ताहिक से सप्ताह में दो बार।
3. 6045/6046 मद्रास-अहमदाबाद नवजीवन एक्सप्रेस सप्ताह में 6 दिन से रोजाना।
4. 8301/8302 हीराकुंज एक्सप्रेस सप्ताह में तीन बार से सप्ताह में चार बार।
5. 4863/4864 मरूधर एक्सप्रेस सप्ताह में तीन बार से सप्ताह में 4 दिन।
6. 8403/8404 पुरी-अहमदाबाद एक्सप्रेस साप्ताहिक से सप्ताह में तीन बार।
7. 6339/6340 नागरकोइल-मुंबई सी.एस.टी. एक्सप्रेस साप्ताहिक से सप्ताह में तीन बार।
8. 7003/7004 हावड़ा-सिकन्दराबाद फलकनुमा एक्सप्रेस सप्ताह में तीन बार से रोजाना।

(ग) और (घ). उत्पादन इकाइयों से अतिरिक्त राजधानी रेक उपलब्ध होने पर 2421/2422 नई दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस की साप्ताहिक से सप्ताह में दो बार बारम्बारता बढ़ाने का प्रस्ताव हैं।

बोल्ट योजना शुरू करना

333. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोल्ट योजना कब से शुरू कर रहा है;

(ख) इस योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं में बोल्ट योजना में निजी क्षेत्र के भागीदारों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन परियोजनाओं में आज तक कितनी प्रगति हुई हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) निर्माण-स्वामित्व-पट्टा-हस्तांतरण (बोल्ट) प्रणाली रेलों द्वारा नवंबर, 1994 में शुरू की गई थी।

(ख) रेलों की विस्तार योजनाओं के लिए बजटीय सहायता में एकदम से कमी आने के कारण निजी क्षेत्रों द्वारा निवेश के माध्यम से कुछ परियोजनाएं शुरू करना।

(ग) बोल्ट प्रणाली के तहत निम्नलिखित फर्मों ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए बोलियां प्रस्तुत की थीं :-

आमान परिवर्तन तथा दोहरीकरण

1. मैसर्स वेस्टर्न इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पुणे।
2. मैसर्स शक्ति कंक्रीट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हैदराबाद।
3. मैसर्स हाइड्रोन इनवाइरों सिस्टम लिमिटेड, अहमदाबाद।
4. मैसर्स इंडियन रेलवे कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड, नई दिल्ली।
5. मैसर्स जी.एस.पांडेय एंड कंपनी, गोरखपुर।
6. मैसर्स मुकन्द लिमिटेड, थाणे।
7. मैसर्स कालिन्दी रेल निर्माण (इंजीनियरस) लिमिटेड, जयपुर।
8. मैसर्स प्रोग्रेसिव कन्सट्रक्शन, नई दिल्ली।
9. मैसर्स तांतिया कन्स्ट्रक्शन, कलकत्ता।
10. मैसर्स कालिन्दी इन्फ्रास्ट्रकचर डेवलेपमेन्ट (पी) लिमिटेड, नई दिल्ली

रेल विद्युतीकरण

1. मैसर्स लारसन एंड टरबो लिमिटेड, मद्रास।
2. मैसर्स के.ई.सी. (इंटरनेशनल) लिमिटेड, मद्रास।
3. मैसर्स एस.ए.ई. (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली।
4. मैसर्स एस.पी.आई.सी.-एस.एम.ओ. लिमिटेड, मद्रास।

चल स्टॉक

1. मैसर्स बेहल, भोपाल।
2. मैसर्स इडबी, मुंबई।
3. मैसर्स इरकॉन, नई दिल्ली।
4. मैसर्स जैगसन इंटरनेशनल, नई दिल्ली।
5. मैसर्स बैस्को, कलकत्ता।
6. मैसर्स सिमको, कलकत्ता।
7. मैसर्स टेबमा इंजीनियरिंग, लिमिटेड, मद्रास।
8. मैसर्स बेमल, बेंगलूरू।
9. मैसर्स एस आर एफ फाइनेन्स, नई दिल्ली।

रेलपथ मशीन

1. मैसर्स प्लेजर एंड थियूरर, आस्ट्रिया।
2. मैसर्स इंजीनियरिंग प्रेसट्रेस्ड अन्त्री यूनिट, ग्वालियर।
3. मैसर्स जैगसन इंटरनेशनल, नई दिल्ली।
4. मैसर्स एमीका, इटली।
5. मैसर्स रोटारूक्की, फिनलैण्ड।
6. मैसर्स करशॉ, यू.एस.ए.।
7. मैसर्स लोरम, यू.एस.ए.।

(घ) बोल्ट प्रणाली के तहत विभिन्न परियोजनाओं के आमंत्रित कुल 34 निविदाओं में से चार मामलों में ठेका दे दिया गया है। (2 आमान परिवर्तन के लिए तथा 2 चल स्टॉक के लिए) 11 निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है तथा 19 को छोड़ दिया गया है।

कोंकण रेल निगम द्वारा किराया बढ़ाना

334. श्री राम नाईक : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोंकण रेल निगम ने सितम्बर, 1996 से यात्री किराया और माल भाड़ा 40 प्रतिशत बढ़ा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) किराया कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए है/उठाने का प्रस्ताव हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). प्रतिफल की कम आंतरिक दर तथा कोंकण रेलवे निगम द्वारा लिए भारी बाजार ऋण के पुनर्भुगतान की आवश्यकताओं के साथ-साथ निर्माण, अनुरक्षण तथा परिचालन प्रभारों की ऊंची लाग को देखते हुए केन्द्र सरकार के प्रभार के लिए दूरी की वृद्धि स्वीकृति की है जो यात्री तथा अन्य कोचिंग यातायात हेतु 40 प्रतिशत की दर से और जो कोंकण रेलवे पर माल यातायात हेतु 50 प्रतिशत है भारतीय रेल पर इसकी परियोजनाओं के प्रतिफल की लाभकारी दर की प्राप्ति हेतु दूरी में वृद्धि लागू करना एक सामान्य प्रक्रिया है परियोजना की व्यावहारिकता का आकलन करने हेतु दूरी में वृद्धि की आवधिक वित्तीय समीक्षा की जाती है तथा इन अध्ययनों के आधार पर प्रभार हेतु दूरी में वृद्धि को या तो हटा लिया या कम कर दिया जाता है।

कर्नाटक एक्सप्रेस में अत्यधिक भीड़भाड़

335. श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलोर और नई दिल्ली के बीच चलने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस में अक्सर काफी भीड़-भाड़ रहती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निजामुद्दीन और बंगलोर के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस को सप्ताह में दो बार चलाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) बेंगलूर और नई दिल्ली के बीच कर्नाटक एक्सप्रेस में कुछ अवधियों में काफी भीड़ होती है।

(ख) और (ग). निजामुद्दीन-बेंगलूरू राजधानी एक्सप्रेस की बारम्बारता का अतिरिक्त राजधानी रेक उपलब्ध होने पर साप्ताहिक से सप्ताह में दो बार बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है।

रेलवे पूछताछ प्रणाली

336. डा. एम. जगन्नाथ :
श्री सिद्दय्या कोटा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर संशोधित रेलवे पूछताछ प्रणाली शुरू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रणाली को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). यात्री गाड़ियों के चालन के संबंध में कंप्यूटर जनित उत्तर देने के लिए एक इन्टरएक्टिव वापस रेस्पांस सिस्टम (आई वी आर एस) पहले से ही विशाखापट्टनम पर संस्थापित किया गया है। यह प्रणाली कंप्यूटरीकृत प्रणाली से पूछताछ करने वाले व्यक्ति को सीधे दूरभाष से उत्तर उपलब्ध कराती है। ऐसे व्यक्ति को इस सिस्टम को पूछताछ से संबंधित संगत विवरण देने के लिए कहा जाता है ताकि यह प्रणाली उत्तर दे सके। इसके अतिरिक्त यात्री गाड़ियों के चालन के बारे में पूछताछ का उत्तर पूछताछ क्लर्क द्वारा टेलीफोन पर अथवा व्यक्तिगत रूप से दिये जाते हैं। वर्तमान व्यवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दूरदर्शन की विज्ञापनों/धारावाहिकों से आय

337. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विज्ञापनों तथा प्रायोजित कार्यक्रमों से दूरदर्शन की आय/वाणिज्यिक राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वे कार्यक्रम/धारावाहिक कौन से हैं जिन्होंने अधिकतम राजस्व कमाने में मदद की है;

(ग) क्या सरकार का आय में और अधिक वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो स्रोतों/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन द्वारा अर्जित सकल राजस्व निम्न प्रकार से है :-

वर्ष		सकल राजस्व (करोड़ रुपए में)
1993-94	:	372.98
1994-95	:	398.02
1995-96	:	430.13

(ख) उक्त अवधि के दौरान अधिकतम राजस्व अर्जित करने वाले कार्यक्रम/धारावाहिक निम्नलिखित है :-

हिंदी फीचर फिल्में, चित्रहार, रंगोली, चन्द्रकान्ता, तहकीकात, अलीफ लैला, बी.पी.एल. एक से बढ़कर एक, जुनून, सुपरहिट मुकाबला, श्री कृष्णा तथा कानून।

(ग) और (घ). सामाजिक तथा राष्ट्रीय उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों की गुणवत्ता से समझौता किए बिना वाणिज्यिक राजस्वों को बढ़ाने के लिए दूरदर्शन सतत प्रयासरत रहता है।

आर.एस.पी. तथा बी.एस.पी. का आधुनिकीकरण

338. श्री भक्त चरण दास :
प्रो. रीता वर्मा :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला और बोकारो इस्पात संयंत्रों (आर.एस.पी. और बी.एस.पी.) का आधुनिकीकरण कार्य निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस कार्य में अब तक हुई प्रगति का संयंत्र वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में संयत्र-वार कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ङ) इस कार्य पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है और इस कार्य के पूरा होने तक कितनी धनराशि और खर्च होगी;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(छ) क्या उच्चतम न्यायालय ने प्रदूषणरोधी उपाय नहीं किए जाने के लिए उक्त संयंत्रों की हाल ही में की है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (ज). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मूलभूत टेलीफोन सेवाएं

339. श्री जय प्रकाश अग्रवाल :
प्रो. पी. जे. कुरियन :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने मूलभूत टेलीफोन सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस देने हेतु कंपनियों का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन कंपनियों द्वारा वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए सहायता देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन कंपनियों को कौन-कौन सी अतिरिक्त सहायता देने का विचार है;

(च) इस मामले में अब तक इन कंपनियों तथा दूरसंचार विभाग के बीच कुल कितनी बैठकें हुई हैं; और

(छ) इन बैठकों के क्या परिणाम रहे?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

(ग) वित्तीय संसाधन जुटाने की पूरी जिम्मेदारी बोलीदाताओं की है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार नेटवर्किंग और अवसरंचनात्मक मामलों में निविदा की शर्तों के अनुसार सहायता प्रदान करेगी।

(च) कराकर दस्तावेजों से संबंधित मामलों पर कई बैठकें 25.7.96 से 7.8.96, 11.9.96, 17.10.96, 18.10.96 और 24.10.96 से 30.10.96 तक आयोजित की गई थीं।

(छ) बहुत से मामलों का हल निकाल लिया गया है।

विवरण

सर्किलों का नाम	बोलीदाताओं का नाम	आशय-पत्र जारी किए जाने की तारीख
तमिलनाडु	मै. बेसिक टेली सर्विसेज लि.	13.03.96
दिल्ली	मै. एच एल सी एल बेजेक टेलीकॉम लि.	04.03.96
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	-वही-	-वही-
हरियाणा	-वही-	-वही-
उड़ीसा	-वही-	-वही-
आंध्र प्रदेश	मै. टाटा टेली सर्विसिज लि.	13.03.96
बिहार	मै. टैक्नो टेलीकॉम लि.	13.03.96
पंजाब	मै. एस्सार कॉम्मविजन	13.03.96
गुजरात	मै. रिलायन्स टेलीकॉम	13.03.96
महाराष्ट्र	मै. ह्यूजिज इस्पात लि.	19.03.96

[अनुवाद]

हरिहर नाथ मेला

340. श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के सोनपुर जिले में "हरिहर नाथ मेला" भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार इसे राष्ट्रीय पर्यटन पशु मेले के रूप में विकसित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान हरिहर नाथ मेले को विकसित करने के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) सोनपुर का "हरिहर नाथ मेला" सबसे बड़े मेलों में से एक है।

(ख) और (ग). पर्यटन विभाग ने सोनपुर मेले को वित्तीय सहायता अनुदान के लिए अभिनिर्धारित किया है। इस मेले का भारतीय पर्यटक कार्यालयों द्वारा भारत तथा विदेशों में संवर्धन किया जा रहा है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत वित्तीय सहायता की राशि नीचे दिए गए अनुसार है :-

1994-95	1995-96	1996-97
शून्य	3,03,962.00	3,00,000

[हिन्दी]

दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ियों का देरी से चलना

341. श्री भीमराव विष्णुजी बडाडे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1996 में दुर्घटनाओं के कारण सभी दिल्ली जाने वाली गाड़ियां अठारह से चौबीस घंटे देरी से चल रही थीं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) भविष्य में रेल दुर्घटना से बचने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं तथा इस दुर्घटना से प्रभावित लोगों को सरकार द्वारा क्या राहत दी जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). दक्षिण-मध्य रेल में दरार के कारण दक्षिण से केवल दिल्ली की ओर चलने वाली रेलगाड़ियां असामान्य रूप से देरी से चली।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाये गए कुछ कदम इस प्रकार है :-

1. ट्रंक मार्गों और महत्वपूर्ण मुख्य लाइनों पर रेलपथ परिपथन कार्य में तेजी लाई गई है।
2. जब तक कि पूर्ववर्ती गाड़ी के लिए नीचे स्थिति में किए गए स्टार्टर और अग्रिम स्टार्टर सिगनल को वापस "आन" स्थिति में नहीं ला दिया जाता तब तक होम सिगनल को नीचे की स्थिति में आने से रोकने के लिए सिगनल सर्किटरी में परिवर्तन किया जा रहा है।
3. बम्बई उपनगरीय खंडों पर चलती गाड़ी के ड्राइवर को खतरे के सिगनल के बारे में अग्रिम चेतावनी देने के लिए सहायक चेतावनी प्रणाली पहले ही शुरू कर दी गई है।
4. भारी पटरियों और कंक्रीट स्लीपरों का उपयोग करके रेलपथ संरचना का ग्रेडोन्नयन कर दिया गया है।
5. रेलपथ का टाईटेम्पिंग और बैलास्ट क्लिनिंग मशीनों द्वारा अनुरक्षण किया जाता है। रेलपथ भी अब रेलपथ नवीकरण गाड़ियों और पोर्टल क्रेनों से बिछाया जा रहा है।
6. रेलपथ ज्यामिति और रेलपथ की चालन विशेषताओं की निगरानी के लिए आधुनिक रेलपथ अभिलेखी यान, आसिलोग्राफ यान और पोर्टेबल गतिमापकों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।
7. सवारी डिब्बों और मालडिब्बों की अनुरक्षण सुविधाओं को आधुनिक बनाया गया है।
8. धुरों की कोल्ड ब्रेकेज को रोकने के लिए धुरों में होने वाली कमियों का समय से पता लगाने के लिए सभी नैमित्तिक ओवर हालिंग डिपुओं को अल्ट्रासॉनिक टेस्टिंग उपकरणों से सुसज्जित किया गया है।
9. ड्राइवरों, गार्डों और गाड़ी परिचालन से संबंधित अन्य कर्मचारियों की प्रशिक्षण सुविधाओं को आधुनिक बनाया जा रहा है। ड्राइवरों को सिम्युलेटरों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
10. कर्मचारियों के कार्य निष्पादन पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। कर्मचारी जिन के ज्ञान में कमी पायी जाती है को परामर्श दिया जाता है और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

दुर्घटना के तत्काल बाद रेल प्रशासन द्वारा उनके तत्काल खर्चों को पूरा करने के लिए मृतकों के आश्रितों को 15000/- रुपये, गंभीर रूप से घायल होने के मामले में 5000/- रुपए तथा मामूली रूप से घायल होने के मामले में 500/- रुपए की अनुग्रह राहत दी जाती है।

बाद में, उन यात्रियों के आश्रितों को 2 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि का भी भुगतान किया जाता है जो गाड़ी दुर्घटना में मारे जाते हैं या सदा के लिए अपंग हो जाते हैं। घायल होने के अन्य मामलों में भुगतान की गई राशि 16000/- रुपये से 1,80,000/- रुपये के बीच है।

इसके अलावा, दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को तत्काल चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार का विस्तार

342. श्री बादल चौधरी :

श्री उधव बर्मन :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न भागों में और अधिक एस टी डी/ आई एस डी/ पी सी ओ उपलब्ध कराने/आबंटित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, जिले-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) 1996-97 के दौरान प्रस्तावित एस टी डी/आई एस डी/ पी सी ओ के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :-

क्र.सं.	राज्य/दूरसंचार जिले का नाम	पीसीओ की संख्या
1.	अरुणाचल प्रदेश	51
2.	मणिपुर	85
3.	मेघालय	81
4.	मिजोरम	60
5.	नागालैंड	55
6.	त्रिपुरा	68
7.	गुवाहाटी	300
8.	डिब्रूगढ़	50
9.	जोरहाट	40
10.	सिल्चर	50
11.	तेजपुर	20
12.	नौगांव	20
13.	बोगैगांव	30

(ग) एक्सचेंजों की क्षमता में वृद्धि की जा रही है और बहुत से एक्सचेंजों की एस टी डी सम्पर्कता को बढ़ाया जा रहा है।

कोचीन में ए-320 विमान का संचालन

343. श्री वी.एम. सुधीरन : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के लोगों की कोचीन हवाई अड्डे से ए-320 विमान चालू करने की मांग की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). कोचीन हवाई अड्डे पर उपलब्ध धावनपथ 6000 फुट है लेकिन यह एक एकदिशीय धावनपथ है और इस पर उपलब्ध अवतरण दूरी मात्र 5,645 फुट ही है। इस हवाई अड्डे की ए-320 विमानों के प्रचालनार्थ उपयुक्तता का मूल्यांकन एक समिति द्वारा किया जा रहा है जिसमें नागर विमानन महानिदेशालय, इंडियन एयर लाइन्स, सी टी ई हैदराबाद तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रतिनिधि शामिल हैं।

[हिन्दी]

रेल सम्पर्क

344. श्री अशोक प्रधान : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में बुलन्दशहर और खुर्जा को दिल्ली से रेल लाइन द्वारा जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई सर्वेक्षण करवाया गया है/करवाये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त शहर कब तक दिल्ली से रेल लाइन द्वारा जोड़ दिए जाएंगे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन का केन्द्रीय स्टूडियो

345. श्रीमती छबिला अरविन्द नेताम : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के केन्द्रीय स्टूडियों में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो यह स्टूडियो खाली रहने तथा इसके स्टेज तथा उपकरण को किराये पर देने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में गत दो वर्षों के दौरान इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) विभिन्न केन्द्रों में उपलब्ध अन्य स्टूडियो की तुलना में केन्द्रीय निर्माण केन्द्र अधिक सुसज्जित स्टूडियो परिसर है। कार्यक्रम निर्माण के लिए इसमें सभी मूलभूत सुविधाओं वाले दो स्टूडियो हैं।

(ख) विभिन्न दूरदर्शन चैनलों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए केन्द्रीय निर्माण केन्द्र स्थित स्टूडियो कार्यक्रमों के निर्माण के लिए पूरे वर्ष निरंतर व्यस्त रहते हैं। सभी मूलभूत सुविधाओं के होने के बावजूद, केन्द्रीय निर्माण केन्द्र को रिकार्डिंग स्टूडियो, संतुलित संपादन सुविधाएं तथा इलैक्ट्रानिक क्षेत्र निर्माण उपकरणों जैसी सहायक सुविधाओं को आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें आवश्यकतानुसार किराए पर प्राप्त किया जाता है। प्रत्येक विशेष अवसर पर जब निर्माण के दौरान अपेक्षाकृत अधिक स्थान की मांग होती है तो मंच किराए पर लिया जाता है।

(ग) मंच तथा उपकरण किराए पर लेने हेतु इस अवधि के दौरान 14,84,594 रुपए का व्यय हुआ था।

छोटा उदयपुर क्षेत्र स्थित सेतु को हुई क्षति

346. श्री एन.जे. राठवा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में जम्बूसर-छोटा उदयपुर मीटरगेज रेल लाइन पर बोडाली के निकट डोखलिया नाले पर बना पुलिया और भेराज नदी पर बने पुल को क्षति पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनकी मरम्मत के लिए धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पुल और पुलिया की मरम्मत कब तक हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) दोखलिया -1x6.1 एम गर्डर पुल पूर्णरूप से खराब हो गया है।

भेराज -12x18.3 जी पुल के दो स्पैन बह गए थे।

(ग) से (ङ). मामला विचाराधीन है।

नई इलैक्ट्रानिक मीडिया नीति

347. श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटिल : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निजी निर्माताओं को दूरदर्शन पर समाचार संबंधी कार्यक्रमों के प्रसारण की अनुमति न देते हुए समाचार संबंधी कार्यक्रमों की नीतियों में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका मीडिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) नई इलेक्ट्रानिक मीडिया नीति के अंतर्गत विचाराधीन/अंतिम रूप प्रदान किए गए अन्य प्रमुख नीतिगत परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार द्वारा प्रसारण संबंधी विधेयकों को अंतिम रूप देने और प्रसार भारती अधिनियम में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं

348. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में ऐसे रेलवे स्टेशनों के नाम क्या हैं जिन पर रेस्तरां, प्रतीक्षालय, पीने के पानी की सुविधा, विश्रामगृह और प्लेटफार्मों के ऊपर शेड्स उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का इन रेलवे स्टेशनों पर चालू वर्ष के दौरान यह सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). पीने का पानी, प्रतीक्षालय, बैठने की व्यवस्था, और शौचालय जैसी सुविधाएं सभी स्टेशनों पर मुहैया कराई जाती हैं। महत्वपूर्ण स्टेशन पर सम्हाले जाने वाले यातायात की मात्रा और लंबी दूरी की गाड़ियों के ठहराव, स्टेशन से प्रारम्भ होने या समाप्त होने वाली गाड़ियों की संख्या के आधार पर जलपान गृह, विश्रामालय गृह, प्लेटफार्म सायबान आदि जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। अतः सभी स्टेशनों पर सुविधाओं की उपलब्धता एक जैसी नहीं हो पाएगी। महत्वपूर्ण स्टेशनों और बड़ी मात्रा में यातायात संभाल रहे स्टेशनों पर सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। छोटे स्टेशनों पर जहां यातायात की मात्रा कम है वहां उपर्युक्त सभी सुविधाएं उसी मात्रा में मुहैया नहीं कराई जाती हैं।

तथापि, एक सतत् प्रक्रिया के रूप में रेलवे प्रत्येक स्टेशन पर सुविधाओं की पर्याप्तता और कमी का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करती हैं। जहां भी कमी ध्यान में आती है उन्हें ठीक करने के लिए रेलों के वार्षिक कार्यक्रमों में शामिल किया जाता है। बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

तथापि, रेल मंत्रालय यह सूचना राज्य-वार नहीं रखता है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में दूरदर्शन/आकाशवाणी की परियोजनाएं

349. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में आकाशवाणी के स्टेशन स्थापित किए जाने के संबंध में स्थान-वार पूर्ण/लंबित परियोजनाओं की क्या संख्या है;

(ख) अब तक इन पर कितना खर्च किया गया है;

(ग) चालू योजनावधि के दौरान शुरू की जाने वाली दूरदर्शन/आकाशवाणी की परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) जनजातीय क्षेत्रों में अलग-अलग स्थापित की जाने वाली इन परियोजनाओं की क्या संख्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) और (घ). आकाशवाणी द्वारा सोरो तथा रायरंगपुर स्थित जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय रेडियो केन्द्रों की दो और स्कीमें शुरू करने की योजना है जबकि दूरदर्शन द्वारा बरहमपुर, बहलदा तथा पाईकमल में तीन अतिरिक्त ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसके लिए अभी स्कीमें अनुमोदित की जानी हैं। यह उड़ीसा में कार्यान्वयनाधीन 37 ट्रांसमीटरों (जनजातीय क्षेत्रों सहित) भवानीपटना स्थित स्टूडियो सेट अप तथा सम्बलपुर (स्थायी सेट-अप) के अतिरिक्त है।

विवरण

क्र.सं.	स्कीम का नाम	चालू करने की तारीख	पूंजीगत व्यय (रु. लाखों में) अनुमानित
1.	बरहमपुर स्थित स्थानीय रेडियो केन्द्र	1.4.1993	274.93
2.	बोलंगीर स्थित स्थानीय रेडियो केन्द्र	29.12.1993	242.87
3.	राऊरकेला स्थित स्थानीय रेडियो केन्द्र	20.4.1995	297.45
4.	पुरी स्थित स्थानीय रेडियो केन्द्र	29.6.1995	168.08
5.	भवानीपटना स्थित नया रेडियो केन्द्र	30.12.1993	697.22
6.	जोरांडा स्थित स्थानीय रेडियो केन्द्र	3.10.1995	186.60
7.	जैपोर स्थित 20 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर का 100 कि.वा. में उन्नयन	16.9.1993	195.41
8.	कटक में स्टीरियो चैनल सहित 6 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर पी.बी. स्टूडियो	27.5.1994	39.48
9.	सबलपुर स्थित 20 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर का 100 कि.वा. में उन्नयन	अभी चालू किया जाना है।	280.64
10.	जैपोर स्थित नया 50 कि.वा. श.वे. ट्रांसमीटर	-तथैव-	62.22
11.	क्षेत्रीय स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी) भुवनेश्वर	-तथैव-	1202.63*

*कुल परियोजना लागत तथा जनजातीय क्षेत्रों में स्थित

निजी चैनल के लिए उपग्रह प्रसारण हेतु समयावधि आबंटित करना

350. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने निजी चैनल के लिए पट्टे पर उपग्रह प्रसारण समय आबंटित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी शर्तें क्या-क्या हैं और इस तरह से कितना उपग्रह प्रसारण समय पट्टे पर आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक श्रमिक

351. श्री सुख लाल कुशवाहा : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों की स्थिति से परिचित है जो प्रबंधक तथा राज्य सरकार द्वारा श्रम कानूनों की उपेक्षा/उल्लंघन का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन श्रमिकों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी जा रही है तथ इनके साथ बंधुआ मजदूरी की तरह व्यवहार किया जाता है तथा भर्ती के समय ही जबरन उनसे त्यागपत्र तथा ऋण पत्रों पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अहमदाबाद हवाई अड्डे का विस्तार

352. श्री हरिन पाठक : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार अहमदाबाद हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि का कब तक अधिग्रहण कर लेने का है;

(ख) क्या सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान विस्तार कार्य को आरंभ करने के लिए कोई बजटीय प्रावधान किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अधिग्रहण की गई भूमि पहले ही अगस्त, 1996 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अपने अधिकार में ले ली गई है। तथापि, इससे पूर्व कि कार्य शुरू किया जा सके राज्य सरकार द्वारा पानी की पाइप लाइन जैसे कतिपय अवरोधों का अपवर्तन किया जाना है।

(ख) और (ग). जी, हां। विस्तृत आकलन तैयार किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

बोकारो इस्पात संयंत्र में ठेके के मजदूर

353. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक और निजी इस्पात उद्योगों, विशेषकर बोकारो इस्पात संयंत्र में ठेके कितने मजदूर कार्यरत हैं;

(ख) ये मजदूर कब से कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन्हें सरकारी सेवाओं में रखने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों की कुल चालन अवधि कम करना

354. श्री बाजू बन रियान : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार दिल्ली और पूर्वोत्तर राज्यों और कलकत्ता और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच चल रही गाड़ियों की कुल चालन अवधि को कम करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). परिचालन व्यवहार्य को ध्यान में रखते हुए गाड़ियों की गति बढ़ाना भारतीय रेलों पर एक सतत् प्रक्रिया है। 1.10.1996 से 4055 ब्रहमपुत्र मेल की गति 25 मिनट बढ़ायी गई है।

आंध्र प्रदेश में नया पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान खोला जाना

355. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश की सरकार ने केन्द्र सरकार से हैदराबाद में नया पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान खोले जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने ऐसे संस्थान की स्थापना संबंधी राज्य सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ग). आंध्र प्रदेश सरकार ने, हैदराबाद में भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान की एक नई शाखा खोलने के लिए एक प्रस्ताव भेजा था। संसाधनों की कमी के कारण, आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया।

पश्चिम बंगाल में खराब दूरसंचार सुविधाएं

356. **श्री सुब्रता मुखर्जी :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालवा, उत्तर तथा दक्षिण दिनाजापुर, कूचबिहार, जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग में टेलीफोन प्रणाली की स्थिति खराब है;

(ख) यदि हां, तो कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा इन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं। जलपाईगुड़ी जिले में अलीपुरद्वार और मालदा जिले में हरिश्चंद्रपुर स्थित प्रणाली में कुछ व्यवधानों को छोड़कर दूरसंचार सेवाएं संतोषजनक है।

(ख) अलीपुरद्वार और हरिश्चंद्रपुर की टेलीफोन सेवाओं के बारे में पहले कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अलीपुरद्वार स्थित एक्सचेंज को अब 1000 लाइनों वाले नए डिजिटल एक्सचेंज से बदल दिया गया है। आउटडोर प्लांट का भी धीरे-धीरे उन्नयन किया जा रहा है। परिणामस्वरूप अलीपुरद्वारा की सेवा में अब पर्याप्त सुधार आया है। हरिश्चंद्रपुर के एक्सचेंज की दो यूनिटों के बीच इंटर कनेक्शन की समस्या थी, जिसे दूर कर दिया गया है।

(ग) सेवा में और सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :-

(1) उपस्करों की नियमित जांच

(2) दोषों का तत्काल सुधार।

(3) स्पेयर और स्टोर के पर्याप्त स्टॉक को सुनिश्चित करना।

(4) प्रभारी अधिकारी द्वारा सख्त पर्यवेक्षण।

डाक्टरों की सेवाओं को नियमित करना

357. **श्री अजय मुखोपाध्याय :**
श्री बलाई चन्द्र राय :
श्री संतोष कुमार गंगवार :
प्रो. जितेन्द्र नाथ दास :
श्री महबूब जहेदी :
श्री हन्नान मोल्लाह :
डा. असीम बाला :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने भारतीय रेलवे के विभिन्न महत्वपूर्ण केन्द्रों पर बड़ी संख्या में होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और यूनानी डाक्टरों को अंशकालिक/अस्थायी रूप में नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और यूनानी डाक्टरों की सेवायें नियमित करने संबंधी आदेश जारी किया है; और

(घ) यदि हां, तो इन डाक्टरों की सेवायें नियमित करने हेतु मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) रेलों पर कर्मचारी कल्याण निधि समितियों द्वारा होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक डाक्टर अंश कालिक आधार पर निश्चित मानदेय पर लगाए गए हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

रेलवे	होमियोपैथिक डाक्टर	आयुर्वेदिक डाक्टर	कुल
मध्य	15	2	17
पूर्व	17	10	27
उत्तर	14	10	24
पूर्वोत्तर	24	05	29
पूर्वोत्तर सीमा	08	02	10
दक्षिण	08	03	11
दक्षिण मध्य	03	04	07
दक्षिण पूर्व	14	कुछ नहीं	14
पश्चिम	10	कुछ नहीं	10

[हिन्दी]

विदेशों के साथ समझौता

358. **श्री शिवराज सिंह :**
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत दो वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में अब तक सरकार ने देश में रेल परियोजनाओं के निष्पादन/रख-रखाव हेतु विदेशों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खनिज सम्पदा

359. **श्री कचरु भाऊ राउत :**
श्री कृष्ण लाल शर्मा :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खनिज सम्पदा का लगातार ह्रास हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में खनिज सम्पदा की खोज को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) खनिज देश के ऐसे संसाधन हैं जिनका नवीकरण नहीं किया जा सकता। इनकी समाप्ति दोहन की गई मात्रा के ही अनुपात में है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।.

(ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण उन प्रमुख संगठनों में से एक है जो देश में गवेषण संबंधी कार्यों के प्रति पूर्णतः समर्पित है। समूचे देश में वर्ष में लगभग 170 खनिज अन्वेषण संबंधी परियोजनाओं पर काम हो रहा है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को विभिन्न महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों के संसाधनों के संवर्धन में सफलता मिली है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने नौवीं पंचवर्षीय योजना में अधिक मांग वाले अयस्कों और खनिजों जैस आधार धातु, टीन, टंगस्टन, मोलिब्डेनम आदि के साथ-साथ स्वर्ण, हीरा आदि जैसे कीमती अपर्याप्त पदार्थों पर विशेष बल सहित खनिज गवेषण की ओर भी विशेष ध्यान दिया है।

खनन और भूविज्ञान निदेशालय द्वारा भी संबंधित राज्यों में गवेषण कार्य किया जाता हैं। इसके अलावा, निजी क्षेत्रों के जरिए बड़े क्षेत्रों में खनिजों के पूर्वेक्षण के लिए दिशा-निर्देश भी हाल ही में जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा होटलों का पुनः निर्माण

360. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :
श्री मोहन रावले :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम का देश में कुछ होटलों का पुनः निर्माण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन होटलों के डिजाइन तैयार करने और निर्माण करने के लिए कुछ विदेशी कम्पनियों को संयुक्त उद्यम के लिए आमंत्रित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन संयुक्त उद्यमों के लिए क्या शर्तें निर्धारित किए जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख). जी, हां। भारत पर्यटन विकास निगम, नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1997-2002) के दौरान, चरणबद्ध तरीके से इसके लोधी, जनपथ और रणजीत होटलों के नवीकरण के लिए योजनाएं प्रारंभ करने पर विचार कर रहा है।

(ग) से (ङ). फिलहाल इन योजनाओं के लिए किसी विदेशी कम्पनी के साथ संयुक्त उद्यम का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेल लाइनों के इर्द-गिर्द अप्राधिकृत निवास तथा निर्माण

361. श्री राम नाईक : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल लाइनों के इर्द-गिर्द अप्राधिकृत निवास के निर्माण से मध्य रेलवे की कार्यकुशलता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इन्हें हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने के प्रस्ताव हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास यह प्रस्ताव रखा है कि मुंबई में अप्राधिकृत निवासों में रहने वालों लोगों को भूखण्डों का आबंटन कराया जाए ताकि वर्तमान अप्राधिकृत निवासी को हटाया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) रेलवे भूमि के अप्राधिकृत अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1971 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन केन्द्र के संवर्धन के लिए वृहत परियोजनाएं

362. श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने "पर्यटन केन्द्र" पर विशेष ध्यान देते हुए अनेक वृहत परियोजनाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो चयनित स्थान, अनुमानित लागत कार्यान्वयन की समय सीमा तथा पर्यटन पर इसके पड़ने वाले प्रभाव का परियोजनावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) शीर्ष स्तर तथा राज्य सरकार दोनों स्तर पर क्या क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है;

(घ) विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने तथा स्वदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने वाली अन्य नवीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार पर्यटन विकास प्राधिकरण गठित करके शीर्ष स्तर पर ढांचात्मक परिवर्तनों पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या केन्द्र सरकार का पर्यटन केन्द्र पर विशेष ध्यान देते हुए कर्नाटक के हम्पी, बेलूर तथा हाले बीच आदि स्थानों पर बहुत परियोजनाएं स्थापित करने का भी प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (घ). वृहत परियोजनाओं का अभिनिर्धारण, विकास तथा कार्यान्वयन करना पूर्णरूपेण, राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। अभी

तक निम्नलिखित विशेष वृहत परियोजनाएं अभिनिर्धारित की गई हैं जिनके नाम हैं :- केरल की बेकल पर्यटन परियोजना, केरल की बलियाकुलम परियोजना, उड़ीसा का पुरी-कोणार्क, महाराष्ट्र का सिंधुदुर्ग, तमिलनाडु का मृत्तुकाडु समुद्रतट, दमन व दीव का दीव तथा नई दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय होटल परिसर।

(ङ) और (च). जी, नहीं। तथापि, वृहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केरल तथा उड़ीसा की राजय सरकारों ने विशेष पर्यटन क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना की है।

(छ) और (ज). कर्नाटक की सरकार ने हम्पी स्थल के समग्र विकास हेतु बाह्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

अस्पताल कर्मचारियों की हड़ताल पर आवश्यक सेवायें बनाये रखने का अधिनियम लागू करना

363. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्पताल के कर्मचारियों की आवश्यक सेवा बनाये रखने के अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है;

(ख) सफदरजंग अस्पताल के कर्मचारियों की हड़ताल पर आवश्यक सेवा बनाये रखने का अधिनियम लागू होने से क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) आवश्यक सेवा बनाये रखने का अधिनियम लागू होने के बाद कितने कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने 29.10.96 को एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ हरियाणा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1974, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर भी लागू किया गया है, के अंतर्गत दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों के सभी कर्मचारियों/डाक्टरों की हड़ताल/आन्दोलन को प्रतिषिद्ध कर दिया गया है। केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र ने भी संराधन कार्यवाहियां शुरू कर दी हैं और अन्त में 15.11.96 को एक सौहार्दपूर्ण समझौता हो गया जिसके परिणामस्वरूप हड़ताल समाप्त कर दी गयी।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

टेलीफोन कनेक्शन के अन्तरण संबंधी निर्देश

364. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा स्थानीय टेलीफोन कनेक्शन का अन्तरण 7 दिनों में, एक्सचेंज से 15 दिनों में और राज्य से 30 दिनों में और खराब पड़े टेलीफोन को 40 घण्टों के अंदर ठीक करने के लिए कोई निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) जून, 1996 से अब तक राज्य-वार विभिन्न संचार/महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड कार्यालयों में पृथक-पृथक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और कितनी शिकायतों को निपटाया गया;

(घ) उन शिकायतों का राज्यवार विशेषकर दिल्ली के संबंध में ब्यौरा क्या है जिनको उपरोक्त निर्देशों के अनुसार नहीं निपटाया गया है;

(ङ) इसके क्या कारण हैं और इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) सरकार द्वारा इन निर्देशों के प्रभावी अनुपालन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). जी हां, अनुदेश जारी कर दिए गए हैं इस संबंध में निम्नलिखित मानक निर्धारित किए गए हैं।

1.	स्थानीय शिफ्ट	-	7 दिनों के भीतर
2.	अंतः एक्सचेंज शिफ्ट	-	15 दिनो के भीतर
3.	अंतः नगर शिफ्ट	-	30 दिनों के भीतर
4.	नए टेलीफोन कनेक्शन	-	15 दिनों के भीतर
5.	दोष ठीक करना	-	48 घंटों के भीतर

(ग) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

डी.एम.यू. रेल गाड़ियां चलाना

365. श्री राजीव प्रताप रुडी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के मुजफ्फरपुर-हाजीपुर और छपरा सेक्शन पर डी.एम.यू. रेलगाड़ियां चलाने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग). क्षेत्र में दैनिक यात्री यातायात की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उच्च क्षमता के सवारी डिब्बों के साथ बात ब्रेक शटल गाड़ियां पहले से सिवान-छपरा-हाजीपुर-मुजफ्फरपुर खण्ड पर चलाई गई हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र

366. श्री भीमराव विष्णु जी बडाडे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेलवे कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण संस्थानों के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में इस प्रकार के प्रशिक्षण संस्थानों को खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो इन्हें कब तक खोले जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) देश भर में फैली हुई रेलों पर 169 प्रशिक्षण संस्थान है जो सभी रेल कर्मचारियों की प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का प्रबन्ध करती है।

(ख) महाराष्ट्र में नए प्रशिक्षण संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में उप-डाकघर

367. **डा. साहेबराव सुकराम बागूल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में उन गांवों की संख्या कितनी है जिनमें उप-डाकघर नहीं हैं;

(ख) क्या महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) महाराष्ट्र में 39,098 गांवों में उप डाकघर नहीं हैं। तथापि, राज्य के कुल 40,412 गांवों में से 11,290 गांवों में अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर/शाखा डाकघर हैं।

(ख) जी नहीं। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

(ग) और (घ). उपर्युक्त "ख" में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विमानपत्तनों की क्षमता

368. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विमानपत्तनों की संख्या क्या है तथा वहां प्रतिदिन और महीने में कितने विमान उतरते हैं और उड़ान भरते हैं तथा उनकी रखरखाव क्षमता क्या है;

(ख) क्या अपने देश की विशालता को देखते हुए यह संख्या कम है और यदि हां तो उनकी संख्या बढ़ाने और उनके स्तर को बढ़ाने के लिए क्या योजना है; और

(ग) अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र में भारत की स्थिति क्या है और भारत को किन देशों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) देश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और 115 राष्ट्रीय हवाई अड्डे (28 सिविल इनक्लेवों सहित) हैं। इन हवाई अड्डों पर प्रचालन करने वाले विमानों की संख्या और उनकी सीट-क्षमता एक हवाई अड्डे में दूसरे हवाई अड्डे से भिन्न होती है।

(ख) हवाई अड्डों और अन्य आधारभूत सुविधाओं का उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है और इन्हें प्रायोजित आवश्यकताओं और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए चरणबद्ध तरीके से किया जाता है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जयपुर, लखनऊ, इंदौर, बडौदरा, हैदराबाद, कोयम्बतूर, कालीकट, पटना, भुवनेश्वर, गुवाहाटी और इंफाल स्थित 12 हवाई अड्डों को आदर्श हवाई अड्डों के रूप में तथा गोवा और अहमदाबाद हवाई अड्डों को सीमित अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों के लिए विकसित कर रहा है।

राजस्थान में अजमेर, मिजोरम में लेंगपुई, मेघालय में तूरा, लक्ष्यद्वीप में आन्द्रोथ, जम्मू और कश्मीर में कारगिल में हवाई अड्डों के विकास की योजनाएं हैं। बंगलौर के निकट देवनहाली और कोचीन के पास नेद्रम्बसेरी में हवाई अड्डों के विकास के लिए राज्य सरकारों ने पहल की है।

(ग) भारत अंतर्राष्ट्रीय वाहकों की पसन्द का गंतव्य स्थान है। कुछ और अंतरराष्ट्रीय विमानकम्पनियों ने भारत के लिए प्रचालन करने अथवा प्रचालन की आवृत्ति में वृद्धि करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है।

[अनुवाद]

एअर इंडिया की उड़ानों की संख्या

369. **श्री ई. अहमद :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से सउदी अरब के लिए एअर इंडिया की प्रति सप्ताह उड़ानों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इंडियन एअर लाइन्स द्वारा कालीकट और जेद्दाह के बीच उड़ान संचालित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) एअर इंडिया सउदी अरब के लिए प्रति सप्ताह 18 उड़ानें प्रचालित करता है।

(ख) और (ग). इंडियन एयरलाइंस के पास कालीकट और जेद्दाह को सीधी विमानसेवा से जोड़ने का एक प्रस्ताव है। यह सउदी अरब किंगडम द्वारा देशों के बीच विमान सेवाओं के प्रचालन के लिए इंडियन एयरलाइंस को दूसरे भारतीय वाहक के रूप में नामित करने को मंजूरी दिये जाने के बाद ही संभव होगा।

विमान किराए में वृद्धि

370. **प्रो. पी.जे. कुरियन :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विमान किराए में हुई अत्यधिक वृद्धि से प्रभावित लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को राजसहायता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन

371. श्री राम टहल चौधरी :
श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों को टेलीफोन द्वारा जोड़ने संबंधी लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सर्किलवार ग्रामीण क्षेत्रों में दूरभाष केन्द्रों की स्थापना पर गत दो वर्षों के दौरान कुल कितनी धनराशि का व्यय किया गया;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान इस संबंध में राज्य-वार क्या प्रगति हुई है;

(ङ) देश के सभी गांवों में राज्यवार कब तक दूरसंचार प्रणाली उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है;

(च) क्या पिछड़े राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा को प्राथमिकता दी गयी है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) की व्यवस्था में कमी रही है।

(ख) इस कमी का मुख्य कारण यह है कि आपूर्तिदाताओं द्वारा उपस्कर तथा सहायक उपकरणों की आपूर्ति विलंब से की गई।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) इस संबंध में हुई प्रगति की जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) नौवीं योजना के दौरान, देश के सभी ग्रामों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने की योजना है।

(च) और (छ). सभी ग्रामों में यह सुविधा प्रदान की जानी है। प्राथमिकता देने की ऐसी कोई नीति नहीं है।

विवरण

1994-95 और 1995-96 के दौरान ग्रामीण टेलीफोनों की उपलब्धि के संबंध में सर्किलवार ब्यौरे

क्र.सं.	सर्किल	1994-95 जोड़ सकल लाइनें	1995-96 जोड़ सकल लाइनें
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	23932	46240
2.	अंडमान व निकोबार	505	1456
3.	असम	9168	7872
4.	बिहार	11424	14400
5.	गुजरात	52224	20708
6.	हरियाणा	19304	11368
7.	हिमाचल प्रदेश	18684	37040
8.	जम्मू और कश्मीर	4580	4984
9.	कर्नाटक	61760	28456
10.	केरल	14202	51550
11.	मध्य प्रदेश	63704	20584
12.	महाराष्ट्र	52610	71072
13.	उत्तर पूर्व	6480	10256
14.	उड़ीसा	5272	7432
15.	पंजाब	23224	15576
16.	राजस्थान	59568	20308
17.	तमिलनाडु	56571	55030
18.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	24500	18120
19.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	0	20142
20.	पश्चिम बंगाल	27728	31210
	जोड़	535440	493804

महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों में अयोध्या को शामिल करना

372. डा. राम विलास वेदान्ती : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अयोध्या, उत्तर प्रदेश को महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों की सूची में शामिल कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो अयोध्या के सौंदर्यकरण के लिए की गई व्यवस्था तथा विकास कार्य संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ग). पर्यटक स्थलों का अभिनिर्धारण करना मुख्यतया राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन विभाग, विशिष्ट प्रस्तावों के लिए उनके गुण-दोषों, पारस्परिक प्राथमिकताओं और धन की उपलब्धता के आधार पर धन-राशि मुहैया करता है। वर्ष 1991-92 के दौरान, पर्यटन विभाग ने अयोध्या में एक यात्री निवास के निर्माण के लिए धनराशि मुहैया की।

पूर्णिया में दूरसंचार सर्किल कार्यालय

373. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्णिया, बिहार में कोई दूरसंचार सर्किल कार्यालय नहीं है;

(ख) क्या सरकार का विचार पूर्णिया में दूरसंचार सर्किल कार्यालय स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) पूर्णिया में कोई दूरसंचार कार्यालय नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विभाग की नीति के अनुसार सर्किल कार्यालय सामान्यतः राज्य की राजधानी में अवस्थित होता है। तदनुसार बिहार दूरसंचार सर्किल के लिए सर्किल कार्यालय पटना में अवस्थित है। तथापि, पूर्णिया में एक उपमंडल इंजीनियर अवस्थित है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को सेल्यूलर फोन

374. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19.9.96 के नई दिल्ली से प्रकाशित "द हिन्दू-बिजिनेस लाइन" में "सेंट्रल आफिसियलस टु गेट सेल फोन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या-क्या है:

(ग) इस सुविधा के परिणामस्वरूप दूरसंचार विभाग को अनुमानतः कितनी राजस्व राशि प्राप्त होने की संभावना है:

(घ) इस सुविधा का दुरूपयोग न किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या दूरसंचार विभाग ने अधिकारियों को भी उपर्युक्त सुविधा उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). जी, हां। भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग सरकारी खर्च में किफायत की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चुनिंदा आधार पर सेल्यूलर फोन खरीद कर उसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे प्रस्तावों को मंत्रिमंडल सचिवालय के दिनांक 9 जुलाई, 96 के कार्यालय ज्ञापन सं. 223/5/1/96-सीए-IV के तहत, स्क्रीनिंग समिति द्वारा क्लीयर किया जाता है।

(ग) चूंकि सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा दूरसंचार विभाग द्वारा प्रचालित नहीं की जाती है, अतः इस सुविधा के कारण विभाग को सीधे कोई राजस्व प्राप्त होने की संभावना नहीं है।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित उच्च स्तरीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा प्रस्तावों को स्वीकृत करने की प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि इस सुविधा का दुरूपयोग न होने पाए।

(ङ) और (च). फिलहाल, दूरसंचार विभाग के अधिकारियों को सेल्यूलर फोन नहीं दिए जाते हैं। तथापि, उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर के अनुसार, जब सेल्यूलर फोन प्रदान किए जाएंगे, दूरसंचार विभाग के अधिकारी भी दिशानिर्देशों के दायरे में आएंगे।

[हिन्दी]

बोकारो इस्पात संयंत्र में कामगारों की मृत्यु

375. **श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र के स्टीम लाइन में बल्ब जलाते समय बोकारो इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों की मृत्यु हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत में भी ऐसा विस्फोट हुआ था;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और चालू वर्ष के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र में ऐसी कितनी दुर्घटनाएं हुई;

(ङ) पीड़ित परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया; और

(च) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख). दिनांक 16.10.96 को 8.30 बजे वाष्प लीक होने के कारण बायॅलर संख्या-4 (एस.एम.एस-I) का वाष्प संग्राहक फट गया था जिसके कारण पास में कार्यरत बी.एस.एल. के दो कर्मचारी (वाष्प संग्राहक का वॉल्ब परिचालित करते हुए) गंभीर रूप से जल गए और जख्मों के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

(ग) वाष्प संग्राहक में ऐसी कोई दुर्घटना पूर्व में नहीं हुई है।

(घ) उपरोक्त (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उपरोक्त कर्मचारियों के सीधे आश्रितों में से एक को रोजगार देने और भविष्य निधि और ग्रेच्युटी का भुगतान करने के अतिरिक्त उन्हें वर्कमेन्स कंपैनसेशन, ग्रुप इंश्योरेन्स, एंप्लाई फॅमिली बैनीफिट स्कीम और लाइफ कवर स्कीम के तहत भी भुगतान कर दिया गया है।

(च) ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जैसे स्टीम पाइप का रैजीड्युअल लाइफ एनालाइसिस टैस्ट, मौजूदा वाष्प लाइन जहां वाष्प संग्राहक फट गया था, को हटा दिया गया है और बॉयलर परिचालित करने वाले श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

भारतीय कार्यबल

376. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 अक्तूबर, 1996 के द टाइम्स आफ इंडिया में "इंडियन वर्कफोर्स इज मोस्ट कम्पीटिटिव इन एशिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा भारतीय कार्यबल की दक्षता में और सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) 14 अक्तूबर, 1996 को दि टाइम्स ऑफ इण्डिया में "इण्डियन वर्कफोर्स इज मोस्ट कम्पीटिटिव इन एशिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार लंदन इकानामिस्ट में संक्षेपित परामर्शी फर्म पर आधारित हांग कांग द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है। रिपोर्ट का सार यह है कि जबकि भारतीय श्रम बल श्रम लागत की दृष्टि से सर्वाधिक कम लागत का है, यह कुशल श्रम की गुणता की दृष्टि से इतना न्यून नहीं है।

(ग) भारतीय उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी बनाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन दिए जाने के साथ-साथ सरकार ने कर्मकारों के कौशल और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं जिनमें केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से कर्मकारों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना, मजदूरी को उत्पादकता के साथ सम्बद्ध किए जाने के प्रस्ताव और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों के माध्यम से कर्मकारों का प्रशिक्षण भी शामिल है।

[हिन्दी]

पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय टेलीफोन काल

377. श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वहां स्थानीय टेलीफोन काल के सबंध में क्या प्रबंध किया गया है;

(ख) क्या इस प्रकार का प्रबंध तहसील अथवा विकास खण्ड अथवा किसी स्थान विशेष के महत्व के आधार पर किया गया है; और

(ग) इस नीति के सबंध में क्या ब्यौरा है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) स्थानीय कॉलों के संबंध में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कोई विशेष प्रबंध नहीं किए गए हैं। तथापि, दो कम दूरी के प्रभारण क्षेत्रों, जो आमतौर पर एक तहसील के सदृश हैं; के बीच लंबी दूरी के कॉल पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 30 कि.मी. हेतु 180 सैकंड की पल्स दर पर प्रभारित किए जाते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों के लिए यह 20 कि.मी. है।

(ख) कॉल प्रभारों के प्रयोजन के लिए देश को लंबी दूरी के प्रभारण क्षेत्र (एलडीसीए) तथा कम दूरी के प्रभारण क्षेत्र (एसडीसीए) में बांटा गया है, जहां एलडीसीए/एसडीसीए आमतौर पर क्रमशः एक अथवा अधिक राजस्व जिले/तहसील का प्रतिनिधित्व करता है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भी यही नीति लागू होती है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के संदर्भ में ग्रुप डायलिंग कॉलों का प्रभार 180 सैकण्ड की पल्स दर पर लिया जाता है, बशर्ते की कॉल करने वाला अल्प दूरी प्रभारण केन्द्र और कॉल किया गया अल्प दूरी प्रभारण केन्द्र दोनों समुद्र तल से न्यूनतम 1000 मीटर की ऊंचाई पर और 30 कि.मी. की त्रिज्य दूरी पर अवस्थित हों।

[अनुवाद]

सेल का आधुनिकीकरण

378. डा. एम. जगन्नाथ : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कच्चे इस्पात का कुल कितना उत्पादन होता है और उसमें सेल का बाजार में बिकने वाला हिस्सा कितना है; और

(ख) सेल के आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं यदि लागत में कमी के साथ ही साथ बेहतर उत्पादन भी हो?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) वर्ष 1995-96 के दौरान देश में 219.42 लाख टन अपरिष्कृत इस्पात के कुल उत्पादन में से इस्को को शामिल करते हुए सेल ने 106.37 लाख टन का उत्पादन किया है।

(ख) "सेल" ने प्रौद्योगिकीय उन्नयन, उच्च उत्पादकता प्राप्त करने, उत्पाद लागत में कमी करने, ऊर्जा संरक्षण, उत्पादन में सुधार करने और पर्यावरणीय प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से अपने मौजूदा दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो स्थित इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण का कार्य हाथ में लिया है। आधुनिकीकरण हेतु उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ ओपन हर्थ धमन भट्टिय बन्द करना, नवीनतम बी.ओ.एफ. प्रौद्योगिकी शुरू करना, इंगट रूट के स्थान पर सतत ढलाई प्रक्रिया अपनाना, संयंत्रों और उपस्करों की अच्छी स्थिति बहाल करके उत्पादकता में सुधार करना और क्षमता का इष्टतम उपयोग करना, इत्यादि शामिल हैं।

[हिन्दी]

बेन्जाल संयंत्र में आग

379. प्रो. रीता वर्मा : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र के बेन्जाल संयंत्र (उप-उत्पाद) में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस आग के क्या कारण थे तथा इस अग्नि दुर्घटना के कारण कितनी हानि हुई;

(ग) क्या बेन्जाल संयंत्र में उत्पादन कार्य आरम्भ हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है तथा उत्पादन कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है;

(च) क्या दुर्घटना की जांच के लिए कोई समिति गठित की गई थी;

(छ) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन से हैं तथा इसके क्या परिणाम रहे; और

(ज) उक्त रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्रवाई की गई?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) जी, हां।

(ख) ज्वलनशील बेंजोल उत्पादों के छितरने के साथ बरसात के पानी का रिसाव मोटर कन्ट्रोल सेन्टर (एम.सी.सी.) के केबल ट्रेंचों के भीतर इकट्ठा हो गया था। ज्वलनशील बेंजोल का वाष्प एम.सी. सी. रूप में विद्युत की चिंगरियों के कारण प्रज्जवलित हो उठा। बेंजोल संयंत्र पर लगी इस आग के कारण होने वाली हानि लगभग 1.6 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ). जी, हां। बेंजोल संयंत्र में उत्पादन का कार्य प्रारंभ हो गया है और सभी उत्पादों को सामान्य रूप से तैयार किया जा रहा है।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) से (ज). जी, हां। दुर्घटना की जांच करने हेतु (1) महा प्रबंधक (सेवा), बी.एस.एल.-अध्यक्ष और (2) उप महा प्रबंधक (ई. सी.डी.), बी.एस.एल. -सदस्य से युक्त एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने आग लगने के कारणों का पता लगाया और इसके बचाव संबंधी कार्रवाई हेतु सलाह दी। इस संबंध में अपनी ड्यूटी पर लापरवाही बरतने वाले दो व्यक्तियों को अभिज्ञात किया गया था। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :-

1. विद्युत उप-स्टेशन का स्थान बदलना।
2. केबल ट्रेंचों को हटाना और उनके स्थान पर ओवरहैड केबल लगाना।
3. स्टीम कर्वेचिंग प्रणाली का संस्थापन।

[अनुवाद]

उड़ीसा में निर्माणाधीन रेल परियोजना

380. श्री भक्त चरण दास : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं का, उनके निर्माण कार्य पूरा होने की अनुमानित तिथि सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं की परियोजनावार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं को परियोजनावार कितनी धनराशि आबंटित की गई और जारी की गई;

(घ) क्या रायपुर-वाल्टेयर रेल लाइन के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). ब्यौरा निम्नानुसार है :—

परियोजना का नाम	96-97 में आबंटित धनराशि में (करोड़ रु. में)	पूरा करने की तारीख	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
नई लाइनें			
1. तालचेर-सम्बलपुर	50.00	दिसम्बर, 99	तालचेर-अंगुल (18 कि.मी.) और सम्बलपुर-मानेश्वर (16 कि.मी.) खण्ड पूरा हो चुका है। शेष के लिए कार्य प्रगति पर है।
2. दैतारी-बासपानी	20.00	दिसम्बर, 99 यदि निजी धनराशि उपलब्ध होती है।	कार्य प्रगति पर है।
3. लाजीगढ़-जूनागढ़	1.00	दसवीं योजना	भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। जहां भूमि अधिग्रहण की जा चुकी है वहां कार्य शुरू किया गया है।
4. खुर्दा रोड-बोलनगीर	1.00	दसवीं योजना	अंतिम स्थान सर्वेक्षण किया गया है और भूमि के नक्शे तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4
5. हरिदासपुर-परादीप	1.00	दसवीं योजना	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण किया गया है।
आमान परिवर्तन			
1. रूपसा-बांगरीपोसी	00.50	नौवीं योजना के अंत तक	आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा स्वीकृति मिलने के पश्चात निर्माण कार्य आरंभ होगा।
दोहरीकरण			
1. गजपतिनगरम-विजयनगरम	5.90	दिसं, 97	कार्य प्रगति पर है।
2. रजतगढ़-नरगुंडी	5.16	दिसं, 97	कार्य प्रगति पर है।
3. रघुनाथपुर-राहामा	8.00	दिसं, 97	भूमि अधिग्रहण कार्य प्रगति पर है।
पैच दोहरीकरण			निर्माण कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है।
विद्युतीकरण			
1. खड़गपुर-भुवनेश्वर	10.00 तथा बोल्ट प्रणाली के अंतर्गत 30 करोड़ रुपये	मार्च, 2000	खड़गपुर-भुवनेश्वर खण्ड के विद्युतीकरण का कार्य निजी वित्त पोषण द्वारा अनुमोदित किया गया है। बोल्ट योजना के अंतर्गत निविदा में बोलीदाताओं द्वारा बहुत ऊंचे मूल्य बताने के कारण कार्य को अब तक हाथ में नहीं लिया गया है। बजटीय सहायता से परम्परागत प्रणाली के अंतर्गत कार्य के निष्पादन की अनुमति देने हेतु योजना आयोग को लिखा गया था। योजना आयोग ने अब इच्छा व्यक्त की है कि रेल वित्त पोषण के अंतर्गत निष्पादन के लिए विस्तारित बोर्ड की अनुमति प्राप्त की जाए। तदनुसार विस्तारित बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव किया जा रहा है।

(घ) से (च). फिलहाल रायपुर बाल्टेयर खण्ड को विद्युतीकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में डाकघर की शाखाएं

381. श्री अशोक प्रधान : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से खुर्जा में ऐसे कौन-कौन से गांव हैं जो डाकघर खोले जाने से संबंधित आवश्यक शर्तें पूरी करते हैं और फिर भी वहा अब तक डाकघर शाखाएं नहीं खोली गई हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) डाकघरों की शाखाएं कब तक खोले जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) उत्तर प्रदेश में 2894 गांव डाकघर खोलने के लिए केवल जनसंख्या और दूरी संबंधी मानदंड ही आंशिक रूप से पूरा करते हैं। डाकघर खोलने के लिए वित्तीय मानदंड की जांच लक्ष्यों और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में ऐसे 32 गांवों के लिए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर मंजूर किए गए हैं जो दूरी, जनसंख्या और आय संबंधी सभी मानदंड पूरे करते हैं। खुर्जा में कोई भी गांव डाकघर खोलने की निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता है।

(ख) और (ग). डाकघर वार्षिक योजना स्कीमों के अंतर्गत उत्तरोत्तर रूप से खोले जाते हैं बशर्ते कि विभागीय मानदंड पूरे होते हों और संसाधन उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

उपग्रह संबंधी नीति

382. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपग्रह संचार संबंधी कोई नीति बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी नीति की मुख्य विशेषताएं तथा ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी नीति कब तक बनाये जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). भारत में उपग्रह संचार पर नीति तैयार की जा रही है।

(ग) यह नीति वर्ष 1997 के दौरान तैयार किए जाने की संभावना है।

गुजरात में डाक एवं तार/दूरसंचार प्रणाली

383. श्री गोरधन भाई जावीया : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान डाक, तार एवं दूरसंचार प्रणाली के विकास के लिए गुजरात सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). गुजरात राज्य सरकार से देदियासन औद्योगिक एस्टेट, जिला मेहसाणा तथा उद्योग भवन, गांधीनगर में डाकघर खोलने के दो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। तार सेवा अथवा दूरसंचार प्रणाली के विकास के लिए गुजरात सरकार से पिछले दो वर्षों के दौरान कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) डाकघर खोलने के मानदण्डों के आधार पर देदियासन औद्योगिक एस्टेट, जिला महेसाणा तथा उद्योग भवन, गांधीनगर में डाकघर खोलना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।

दूरसंचार विभाग ने तार सेवा को आधुनिक बनाने के अपने कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले दो वर्षों के दौरान निम्नलिखित विकास योजनाएं शुरू की हैं :-

1. केन्द्रीय तारघर, अहमदाबाद में सितम्बर, 1994 में स्टोर एवं फारवर्ड मैसेज स्विचिंग प्रणाली (एसएफएमएसएस) 64-लाइनों का 128 लाइन प्रणाली में विस्तार किया गया।
2. केन्द्रीय तारघर, राजकोट में अक्टूबर, 1994 में एस एफ एम एस एस 32 लाइन प्रणाली स्थगित की गई।
3. अहमदाबाद में (2), राजकोट, भावनगर, सूरत, वडोदरा, भरूच, आणंद, गोदरा और जामनगर केन्द्रीय तारघरों में इलेक्ट्रॉनिक की बोर्ड कंसन्ट्रेटर (ई के बी सी) कार्य कर रहे हैं।
4. 8 ई के बी सी और 72 ई के बी सी स्थापित किए जा रहे हैं।

आसनसोल के दूरभाष केन्द्र का विस्तार

384. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आसनसोल दूरभाष केन्द्र के अंतर्गत आद्रा और पुरूलिया को लाने का है ताकि लोगों को स्थानीय डायल सुविधाएं प्राप्त हो सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पुरूलिया लम्बी दूरी प्रभारण क्षेत्र (एलडीसीए) के अंतर्गत आद्रा एक कम दूरी प्रभारण क्षेत्र (एसडीसीए) है। पुरूलिया तथा आसनसोल एक दूसरे से लगभग 60 कि.मी. की दूरी पर स्थित दो अलग-अलग दूरी प्रभारण क्षेत्र (एलडीसीए) हैं वर्तमान नीति के अनुसार दो अलग-अलग लम्बी दूरी प्रभारण क्षेत्रों (एलडीसीए) के बीच स्थानीय डायलिंग स्वीकार्य नहीं है।

एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइंस द्वारा संयुक्त अरब अमीरात से कितने भारतीय लाए गए

385. श्री ई. अहमद : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा घोषित निर्वासन के कारण स्वदेश लौटने वाले कितने भारतीय संयुक्त अरब अमीरात से एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइन्स द्वारा लाए गए;

(ख) क्या यह सही है कि एक सौ से भी अधिक भारतीय निर्वासन की अवधि की घोषणा के बाद भी संयुक्त अरब अमीरात में फंसे पड़े रहे; और

(ग) यदि हां, तो इन्हें भारत वापस लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) एअर इंडिया तथा इंडियन एयर लाइन्स ने निर्वासन स्कीम के अंतर्गत क्रमशः 37430 तथा 4626 यात्रियों का वहन किया।

(ख) और (ग) अंतिम तिथि निकल जाने के बाद, निर्वासन स्कीम के अंतर्गत संयुक्त अरब अमीरात से भारतीयों को लाने संबंधी कोई मांग नहीं रही है।

[हिन्दी]

यात्रियों को पयेजल सुविधा

386. श्री हंस राज अहीर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल सिर्फ वातानुकूल प्रथम श्रेणी और वातानुकूल द्वितीय श्रेणी के यात्रियों को ही पेयजल की आपूर्ति करेगा;

(ख) यदि हां, तो इतनी अधिक संख्या में द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को पेयजल सुविधा अब तक प्रदान न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार प्लेटफार्मों पर अनेक जगहों पर पानी के नल लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही कब तक कर ली जायेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ). प्रथम वातानुकूल तथा वातानुकूल 2 टियर यात्रियों के लिए पेयजल का प्रबंध किया गया है। प्रथम श्रेणी के सवारी डिब्बों के परिचर यात्रियों को पानी मुहैया कराते हैं। इसके अतिरिक्त लम्बी दूरी की गाड़ियों के शयनयान सवारी डिब्बों में जेरी केनों की व्यवस्था हेतु भी निर्देश मौजूद हैं। चूंकि दूसरी श्रेणी के साधारण सवारी डिब्बों में व्यक्ति तैनात नहीं किए गए हैं और इनमें यात्रियों का प्रवेश व निर्गम निरन्तर बना रहता है। अतः यात्रियों के लिए पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था प्लेटाफार्मों/स्टेशनों पर की गई है।

इसके अलावा पिछले वर्षों में अलग-अलग क्षमताओं के जलप्रशीतकों, प्लेटफार्मों पर बड़ी संख्या में बहुत से नलों वाले/एक ही नल वाले पानी के स्टैन्ड उचित स्थानों पर लगाकर प्याऊ तथा पानी की गाड़ियां आदि उपलब्ध कराकर पीने के पानी की व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है।

छोटे स्टेशनों पर पेयजल की व्यवस्था घड़ों, नलकूपों (ट्यूबवेल), रिंग कूपों, बाल्टियों, हाथ के नलों आदि द्वारा सुनिश्चित की गई है। पेयजल की आपूर्ति और रखरखाव के लिए अपेक्षित व्यवस्था को जारी रखने के लिए स्थाई पानी वाले भी उपलब्ध हैं।

रेलों के प्रयासों को पूरा करने के लिए सामाजिक स्वयंसेवी संगठनों की सेवाएं भी प्राप्त की जाती है। निजी पार्टियों द्वारा दानस्वरूप जलप्रशीतक भी स्वीकार किए जाते हैं। आवश्यकतानुसार व्यवस्था को सुदृढ़ करना एक सतत् प्रक्रिया है।

पूर्वाह्न 11.09 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

अपराह्न 12.0 $^{1}/_{2}$ बजे

इस समय श्री राम नगीना मिश्र तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

शिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं आदि

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 24 की उपधारा (1) और (2) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 2650, जो 14 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 23 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या का.आ. 239 (अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय शिक्षुता परिषद (संशोधन) नियम, 1996, जो 14 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 390 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजो संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 604/96]

(3) खान अधिनियम, 1952 की धारा 61क के अन्तर्गत तेल खदान (संशोधन) विनियम, 1996, जो 21 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 399 में प्रकाशित हुए थे, कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 605/96]

संविधान के अनुच्छेद 356(3) आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह मंत्री (श्री इंद्रजीत गुप्त) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) गुजरात राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी 19 सितम्बर, 1996 की उद्घोषणा, जो

संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत 19 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 429(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी. 606/96]

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खंड (ग) के उपखंड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा 19 सितम्बर, 1996 को दिये गये आदेश, जो 19 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 430(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी. 607/96]

(2) राष्ट्रपति को प्रेषित गुजरात के राज्यपाल के 13 और 18 सितम्बर, 1996 के प्रतिवेदनों को एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी. 608/96]

(3) गुजरात राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी 23 अक्तूबर, 1996 की उद्घोषणा, जिसके द्वारा 19 सितम्बर, 1996 को राष्ट्रपति द्वारा जारी पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लिया गया है, तथा जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत 23 अक्तूबर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 489(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी. 609/96]

(4) उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी 17 अक्तूबर, 1996 की उद्घोषणा, जिसके द्वारा 18 अक्तूबर, 1995 को राष्ट्रपति द्वारा जारी पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लिया गया है, तथा जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत 17 अक्तूबर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 481(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी. 610/96]

(5) (एक) उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी 17 अक्तूबर, 1996 की उद्घोषणा, जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत 17 अक्तूबर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 482(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी. 611/96]

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खंड (ग) के उपखंड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा जारी 17 अक्तूबर, 1996 को दिये गये आदेश, जो 17 अक्तूबर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 483(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी. 612/96]

(6) राष्ट्रपति को प्रेषित उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के 15 और 16 अक्तूबर, 1996 के प्रतिवदेनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी. 613/96]

संविधान के अनुच्छेद 123(2) (क) के अंतर्गत प्रख्यापित आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 1996 आदि

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 123(2) (क) के अंतर्गत 14 नवम्बर, 1996 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्याक 31) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी. 614/96]

(2) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड और नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी. 615/96]

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की समीक्षा, वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे आदि

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी. 616/96]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड और इस्पात

मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी. 617/96]

(दो) स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी. 618/96]

(तीन) एमएसटीसी लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी. 619/96]

(चार) कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड और इस्पात लिमिटेड के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी. 620/96]

(पांच) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी. 621/96]

(छह) मैग्नीज ओर (इंडिया) लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी. 622/96]

'यात्रा व्यय' के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा दिये गये विशेष आदेश जिसके द्वारा गोवा के राज्यपाल को वर्ष 1995-96 के दौरान अतिरिक्त व्यय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : महोदय, मैं श्री मोहम्मद मकबूल डार की ओर से राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(एक) राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) नियम, 1987 की अनुसूची-दो में 'यात्रा व्यय' के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा दिये गये विशेष आदेश जिसके द्वारा गोवा के राज्यपाल को वर्ष 1995-96 के दौरान अतिरिक्त व्यय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी. 623/96]

(दो) राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) नियम, 1987 की अनुसूची-दो में 'आतिथ्य व्यय'; साजसज्जा का रखरखाव और मरम्मत; संविदा भत्ता और यात्रा व्यय के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा दिये गये विशेष आदेश जिसके द्वारा तमिलनाडु के राज्यपाल को वर्ष 1994-95 के दौरान अतिरिक्त व्यय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी. 624/96]

(2) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 490 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या यू. 14011/160/89-दिल्ली (1) जो 31 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 1990 की अधिसूचना संख्या यू.14011/160/89-दिल्ली (1) में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि दिल्ली नगर निगम के अधिक्रमण की अवधि को 1 अगस्त, 1996 से चार माह की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सके की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी. 625/96]

नाथपा झाकरी पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की समीक्षा, वार्षिक प्रतिवदेन तथा लेखापरीक्षित लेखो आदि

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) नाथपा झाकरी पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नाथपा झाकरी पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी. 626/96]

(2) विद्युत वित्त निगम तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी. 627/96]

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवदेन आदि

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : -

(एक) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली

के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी. 628/96]

संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा तथा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अंतर्गत अधिसूचनायें, आदि

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड 2 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी 9 अक्तूबर, 1996 की उद्घोषणा, जिसके द्वारा 18 जुलाई, 1990 को राष्ट्रपति द्वारा जारी पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लिया गया है, तथा जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अन्तर्गत 9 अक्तूबर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 461(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी. 629/96]

(2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 1996, जो 27 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 444(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 1996 जो 27 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 445(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी. 630/96]

अपराह्न 12.02 बजे

विधेयकों पर अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं 26 अगसत, 1996 को सभा को दी गई सूचना के बाद से पिछले सत्र के दौरान संसद को दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित पांच विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1996

(2) विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1996

(3) उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) संख्यांक 2, विधेयक, 1996

(4) वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 1996

(5) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन विधेयक, 1996

(दो) मैं ग्यारहवीं लोक सभा के दूसरे सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित सात विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन), विधेयक, 1996

(2) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण (संशोधन) विधेयक, 1996

(3) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधयेक, 1996

(4) निक्षेपागार विधेयक, 1996

(5) कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 1996

(6) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) विधेयक, 1996

(7) लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1996

अपराह्न 12.02 1/2 बजे

संचार संबंधी स्थायी समिति

चौथा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं दूरसंचार विभाग से संबंधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण विधेयक,

1996 के बारे में संचार संबंधी स्थायी समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक के बारे में संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाये जाने के बारे में प्रस्ताव

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक, 1996 के बारे में संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय 9 दिसम्बर, 1996 तक बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक, 1996 के बारे में संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय 9 दिसम्बर, 1996 तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.04 बजे

दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक*

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. यू. वेंकटेस्वरलू : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.05 बजे

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 22 नवम्बर, 1996/1 अग्रहायण, 1918 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2 दिनांक 21 नवम्बर, 1996 में प्रकाशित।